



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित,
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी, 3, 1996 (माघ, 14, 1917)]
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1996 (MAGHA 14, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I- अण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 99	भाग II--अण्ड 3--उप-अण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के द्वितीय प्राधिकृत पाठ (गिरे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के अण्ड 3 या अण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I--अण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	79	भाग II--अण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--अण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1	भाग III--अण्ड 1--उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	89
भाग I--अण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	163	भाग III--अण्ड 2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	61
भाग II--अण्ड 1--प्रवृत्तियम, प्रत्यावेध और विनियम	*	भाग III--अण्ड 3--मुख्य जायकतों के प्राधिकार के अधीन प्रथम द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II--अण्ड 1-क--प्रवृत्तियमों, प्रत्यावेधों और विनियमों का द्वितीय भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--अण्ड 4--विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	2607
भाग II--अण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विस तथा रिपोर्टें	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	15
भाग II--अण्ड 3--उप-अण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--संघीय और द्वितीय दोनों में जन्म और मृत्यु के आदेशों को दर्ज करने वाला जनपूरक	*
भाग II--अण्ड 3--उप-अण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*अंकित संख्या नहीं है।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1— Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	95	PART II—SECTION 3—SUB SECTION (iii)— Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	•
PART I—SECTION 2— Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	79	PART II—SECTION 4— Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
PART I—SECTION 3— Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1— Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	89
PART I—SECTION 4— Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	163	PART III—SECTION 2— Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	61
PART II—SECTION 1— Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 3— Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 1-A— Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 4— Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2607
PART II—SECTION 2— Bills and Reports of the Select Committee on Bills	•	PART IV— Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	15
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)— General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART IV— Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	•
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विभिन्न मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1996

संकल्प

क्र. सं. 1/69/92-स्वा. नि. ब्यू. (समन्वय).—भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड 1 में प्रकाशित तारीख 10-3-1993 के संकल्प के अनुसरण में औपचारिक दुरुपयोग की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं की प्राथमिक समीक्षा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया तथा दिनांक 11-3-1994, 14-7-94, 20-9-94, 2-12-94, 19-1-95, 21-4-95, 30-6-95, 2 अगस्त 1995 और 4-10-95 के अनुवर्ती संकल्पों के द्वारा समिति का कार्यकाल 31-12-95 तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस समिति के कार्यकाल का 31-3-1996 तक बढ़ाया जाता है।

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1995

संकल्प

विषय:—पूर्व संकल्प सं. एफ. 7-3/88-वी. डी. 1 दिनांक 20-4-94 का अधिष्ठापन करते हुए संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन।

सं. एफ. 4-4/94-वी. डी. 1.—व्यावसायिक शिक्षा एक पृथक धारा है। जिसका आशय कार्यक्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में विनिर्धारित व्यावसायों के लिए छात्रों को तैयार करना है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना का मुख्य उद्देश्य विविध क्षैतिक अवसर प्रदान करना है ताकि व्यवगत नियोज्यता में वृद्धि की जा सके, कुशल जनशक्ति की मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर को कम किया जा सके और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों अन्तर को कम किया जा सके और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों

जमा दो स्तर पर सामान्य शिक्षा संस्थाओं में व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की अनुसार अनुसूचित प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

2. व्यावसायिक कार्यक्रमों की उचित आयोजना तथा समन्वय की सुनिश्चिता करने के लिए संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद निम्नलिखित कार्य हेतु 1990 में राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई थी:—

— विभिन्न संगठनों/मंत्रालयों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों की आयोजना तथा समन्वय।

— निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना:

*जनशक्ति संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन,

*राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रमों का विकास,

*विज्ञ/ट्रांसफर पाठ्यक्रमों का विकास,

*शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण,

*पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक सामग्री का विकास,

*व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रत्ययन तथा प्रमाणित जिनमें गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

—विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक सुविधाएं सृजित करने हेतु योजनाएं विकसित करना।

— व्यावसायिक शिक्षा में सार्वजनिक प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग को शामिल करने हेतु योजनाएं विकसित करना,

— कार्यकर्तृओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम शुरू करने तथा गैर औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करना,

— व्यावसायिक कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा,

— विशेष अलाभान्वित वर्गों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में संलग्न गैर सरकारी संगठनों का पता लगाना तथा उनकी सहायता करना,

3. संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक छत्र निकाय है। निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :

1. अध्यक्ष—मानव संसाधन विकास मंत्री
 2. उपाध्यक्ष—राज्य मंत्री (शिक्षा) अथवा उपमंत्री (शिक्षा)
- सदस्य :
3. सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग।
 4. सचिव (शिक्षा) भारत सरकार।
 5. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, भारत सरकार।
 6. सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय/महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं), भारत सरकार।
 7. सचिव, श्रम मंत्रालय/महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार।
 8. सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार।
 9. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
 10. सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
 11. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
 12. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
 13. द्वितीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
 14. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल।
- 15-17 व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत स्वयंसेवी अभिकरणों से तीन सदस्य।
- वादर मथ्यु, अधीक्षक, ज्ञान बासकों तकनीकी स्कूल, लीलूया, हावड़ा।
 - डा. ए. के. दासू, मुख्य कार्यपालक, ग्रामीण औद्योगिकीकरण समिति, रांची।
 - डा. एम. एस. कालबाग, निदेशक, विज्ञान आश्रम, पुणे।
- 18-19 महिला प्रशिक्षण तथा रोजगार में कार्यरत दो व्यक्ति।
- प्रधानाचार्य, कमला नंहरू पॉलिटेक्निक, हबेरगवाड (सामुदायिक पॉलिटेक्निक)।
 - प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, गुजरात (सामुदायिक पॉलिटेक्निक)।
- 20-22 तीन संसद सदस्य (2 लोकसभा में तथा 1 राज्य सभा में)।

23-24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित दो सदस्य (सदस्यता अक्रान्तसार दो साल के लिए)।

25-26 राज्यों/संघ राज्यों से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित दो सचिव (सदस्यता अक्रान्तसार दो साल के लिए)।

27-28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित दो निदेशक (सदस्यता अक्रान्तसार दो साल के लिए)।

29-32 सार्वजनिक क्षेत्र महिा उद्योग तथा वाणिज्य से चार व्यावसायिक

— भारतीय वाणिज्य मंडल तथा उद्योग परिषद।

— नेशनल क्लॉयस आफ गंग एण्टर प्रीनियर्स

— भारतीय लघु उद्योग संघों का परिषद।

— भारतीय बैंक संघ।

33-36 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में चार शिक्षाविद/विशेषज्ञ।

— डा. वी. सी. कलदहस्वामी, पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

— फादर टी. वी. कन्कल।

— श्री के. एम. गंदाम, अध्यक्ष तथा निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, हराना, नागपुर।

— श्री जे. ए. रमान, भूतपूर्व निदेशक, शिक्षा तमिलनाडु।

37-39 श्रमिक संघ के तीन प्रतिनिधि।

— इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस।

— भारतीय मजदूर संघ।

— हिन्द मजदूर सभा।

40. संयुक्त सचिव (व्यावसायिक शिक्षा)—सदस्य सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय

4. संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखकर संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद की एक स्थाई समिति भी गठित की गई जिसकी बैठकें अर्धवार्षिक अधिक बार होंगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन कारगर ढंग से हो। स्थाई समिति भी निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है :—

1. अध्यक्ष—शिक्षा सचिव

सदस्य

2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा विभाग।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि (जिसका दर्जा संयुक्त सचिव के दर्जे से कम न हो)।
4. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल।
5. महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण।
6. संयुक्त सचिव (व्यावसायिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि।
8. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
9. प्रधानाचार्य, महिला पॉलिटेक्निक (सामुदायिक पॉलिटेक्निक), कलकत्ता।
10. श्री जे. ए. रत्नायन, पूर्व निदेशक (शिक्षा), तमिलनाडु।
11. डा. एम. एस. कलवाग, विज्ञान आश्रम, पुणे।
- 12-17 बारी-बारी से 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यावसायिक शिक्षा से संबंध रखने वाले शिक्षा सचिव या निदेशक।

सदस्य सचिव :

18. उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार (व्यावसायिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

5. संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद अपने कार्य की प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी तथा इसकी स्थाई समिति की बैठक उसी बार होगी जितनी आवश्यक होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित एजेंसियों व नियोक्ता संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1996

संकल्प

समसंख्यक संशोधनों में निम्नलिखित जीर संशोधन किए जाते हैं :—

संकल्प के पैरा 3 में, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की रचना निम्नवत होगी :

1. प्रधान मंत्री—अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जन संसाधन मंत्री—उपाध्यक्ष
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री—सदस्य
4. केन्द्रीय कृषि मंत्री—सदस्य
5. केन्द्रीय विद्युत मंत्री—सदस्य
6. केन्द्रीय कल्याण मंत्री—सदस्य
7. केन्द्रीय ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री—सदस्य
8. केन्द्रीय गृहरी कार्य एवं रोजगार राज्य मंत्री—सदस्य
9. उपाध्यक्ष, योजना आयोग—सदस्य
10. केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री—सदस्य
11. केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री—सदस्य
12. केन्द्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री—सदस्य
13. केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री—सदस्य
14. केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री—सदस्य
15. मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश—सदस्य
16. मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश—सदस्य
17. मुख्यमंत्री, असम—सदस्य
18. मुख्य मंत्री, बिहार—सदस्य
19. मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली—सदस्य
20. मुख्य मंत्री, गोवा—सदस्य
21. मुख्य मंत्री, गुजरात—सदस्य
22. मुख्य मंत्री, हरियाणा—सदस्य
23. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश—सदस्य
24. मुख्य मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर—सदस्य
25. मुख्य मंत्री, कर्नाटक—सदस्य
26. मुख्य मंत्री, केरल—सदस्य
27. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश—सदस्य
28. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र—सदस्य
29. मुख्य मंत्री, मणिपुर—सदस्य
30. मुख्य मंत्री, मेघालय—सदस्य
31. मुख्य मंत्री, मिजोरम—सदस्य
32. मुख्य मंत्री, नागालैंड—सदस्य
33. मुख्य मंत्री, उड़ीसा—सदस्य
34. मुख्य मंत्री, पांडिचेरी—सदस्य

सं. 6/1/79-पीपी.—राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व मंत्रालय के दिनांक 10 मार्च, 1983 के संकल्प 6/1/79-पीपी तथा दिनांक 14 अक्टूबर, 1985, 29 अक्टूबर, 1985, 21 जनवरी, 1987, 12 दून, 1987, 18 फरवरी, 1984 एवं 22 मार्च, 1994 के

35. मुख्य मंत्री, पंजाब—सदस्य
36. मुख्य मंत्री, राजस्थान—सदस्य
37. मुख्य मंत्री, सिक्किम—सदस्य
38. मुख्य मंत्री, तमिलनाडु—सदस्य
39. मुख्य मंत्री, त्रिपुरा—सदस्य
40. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश—सदस्य
41. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल—सदस्य
42. उप राज्यपाल, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह—सदस्य
43. प्रशासक, चंडीगढ़—सदस्य
44. प्रशासक, दादर एवं नगर हवेली—सदस्य
45. प्रशासक, दमन एवं दीव—सदस्य
46. प्रशासक, लक्षद्वीप—सदस्य

जल संसाधन मंत्रालय के सचिव "राष्ट्रीय जल सभाधन परिषद के सचिव होंगे।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस मसूदा की एक-एक प्रति राष्ट्रपति के निजी व सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जानकारी के लिए भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस मसूदा को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा संबंधित राज्य सरकारों में अनुरोध किया जाए कि वे इस सामान्य जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करें।

एम. एस. इंडी, सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1996

नियमावली

सं. 95/ई (जी. आर.) 1/18/1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों भरने के लिए 1996 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली सम्मिलित प्रतिशोधित इंजीनियरी सेवा परीक्षा की नियमावली मंत्रालयों/विभागों की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

वर्ग 1—सिविल इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

- (1) इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा।
- (2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।

(3) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा।

(4) सैनिक इंजीनियरी सेवा (आई. डी. एम. ई. भवन तथा सड़क संवर्ग)।

(5) सैनिक इंजीनियरी सेवा (निर्माण सर्वेक्षण संवर्ग)।

(6) भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रेड 'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।

(7) केंद्रीय जल इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।

(8) डाक व तार भवन निर्माण (ग्रुप-क) सेवा के सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)।

(9) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क'।

(10) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

(11) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (सिविल इंजीनियरी पद)।

वर्ग 2—यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

(1) यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा।

(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(3) केंद्रीय जल इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(4) केंद्रीय वंशुत इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(5) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(6) भारतीय रेल सेवा आयुध सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(7) सैनिक इंजीनियरी सेवा आई. डी. एस. ई. (वंशुत और यांत्रिक संवर्ग) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(8) केंद्रीय वंशुत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(9) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वंशुत तथा यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी पद), सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

(10) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में वर्मा इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'।

(11) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'।

(12) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) इंग्लिश विभाग (दूर-संचार कारखाना संगठन)।

- (13) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद) ।
- (14) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद) इ. एम. इ. कोर रक्षा मंत्रालय ।
- (15) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद) ।

ग्रुप 'ख' सेवाएं/पद

- (16) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'ख' (यांत्रिकी इंजीनियरी पद) इ. एम. इ. कोर, रक्षा मंत्रालय ।

वर्ग 3—वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

- (1) वैद्युत इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा ।
- (2) भारतीय भंडार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।
- (3) केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।
- (4) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।
- (5) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।
- (6) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।
- (7) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत) डाक तार भवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा ।
- (8) सैनिक इंजीनियरी सेवा (आइ. डी. एस. इ.) (वैद्युत और यांत्रिक संवर्ग) (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।
- (9) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) दूर-संचार विभाग (दूर-संचार कारखाना संगठन) ।
- (10) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद) इ. एम. इ. कोर, रक्षा मंत्रालय ।
- (11) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।

वर्ग 4—इलेक्ट्रानिकी और दूर-संचार

इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

- (1) मिंगतल इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा ।
- (2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (दूर-संचार/इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।
- (3) भारतीय दूर-संचार सेवा ।

- (4) इंजीनियर वायुसेना उद्योग और सभन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन ।

- (5) भारतीय पंसारण (इंजीनियरी) सेवा ।
- (6) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।
- (7) भारतीय नौ सेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।
- (8) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा (दूर-संचार इंजीनियरी पद) ।
- (9) भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रानिकी एवं दूर-संचार इंजीनियरी पद) ।
- (10) सहायक प्रबन्धक (कारखाना), दूर-संचार विभाग (दूर-संचार कारखाना संगठन) ।
- (11) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।
- (12) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) इ. एम. इ. कोर, रक्षा मंत्रालय ।

ग्रुप 'ख' सेवाएं/पद

- (13) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'ख' (इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) इ. एम. इ. कोर, रक्षा मंत्रालय ।

1. परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित नीति में ली जाएगी । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग निर्दिष्ट करेगा ।

2. उम्मीदवार ऊपर दशाईं गई सेवाओं/पदों की श्रेणियों के सम्बन्ध में किसी एक अथवा अधिक श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं । परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विस्तृत आवेदन-पत्र में वरीयता क्रम में यह स्पष्ट करना होगा कि वह किन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं । उम्मीदवार को उनकी इच्छानुसार एकत्रिक जितनी भी वह चाहे वरीयता क्रम दर्शाने का परामर्श दिया जाता है जिससे कि योग्यता क्रम में उनके रैंक के अनुसार नियुक्ति करने समय उनकी वरीयता पर उचित ध्यान दिया जा सके ।

विशेष ध्यान । :—उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने विस्तृत आवेदन-पत्र में उन सभी सेवाओं/पदों का वरीयता क्रम में उल्लेख करें जिन सेवाओं/पदों के लिए वह नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पात्र है । यदि वह किसी सेवा/पद का वरीयता क्रम नहीं लिखता है अथवा आवेदन-पत्र में किन्हीं सेवाओं/पदों का सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं/पदों के लिए उसकी कोई विशेष वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवाओं/पदों के लिए उम्मीदवारों की वरीयताओं के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् जिनसे रिक्तियां होंगी उनका किसी भी रूप में सेवाओं/

पदों पर अधिसूचना में दिए गए क्रम के आधार पर, आबंटन कर दिया जाएगा। इस प्रकार का आबंटन करते समय उन उम्मीदवारों का पहले ग्रुप "क" सेवाओं/पदों और बाद में ग्रुप "ख" सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाएगा।

विशेष ध्यान 2 :—किसी भी उम्मीदवार का अपने विस्तृत आवेदन-पत्र में पहले से निर्दिष्ट बरीयताओं को ब्रह्मर्षि/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान 3 :—उम्मीदवार केवल उन्हीं सेवाओं/पदों के लिए अपनी बरीयता बताएँ जिनके लिए वे नियमों की शर्तों के अनुसार पात्र हों और जिनके लिए उन्होंने परीक्षा के लिखित भाग में अर्हता प्राप्त कर ली हो। बिन सेवाओं और पदों के लिए वे पात्र नहीं हैं और जिन सेवाओं और पदों में सम्बन्धित परीक्षा के लिखित भाग में उन्होंने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके बारे में बताई गई बरीयता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान 4 :—वे विभागीय उम्मीदवार जिन्हें आयु सीमा में छूट के अधीन [दिए गए नियम 5 (ख)] परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी बरीयता दे सकते हैं। तथापि पहले उन्हें उनके श्रेयताक्रम के अनुसार उनके अपने ही विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा और केवल उन विभागों में रिक्तियों के न होने पर ही उम्मीदवारों के उनके अपने ही विभागों में सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही उनके द्वारा दी गई बरीयता के आधार पर अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

विशेष ध्यान 5 :—नियम 6 के उपबन्ध के अन्तर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं बरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबन्ध में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी बरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान 6 :—उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों का आबंटन श्रेयता क्रम सूची में उनके स्थान, उनके द्वारा दी गई बरीयता और पदों की संख्या के आधार पर ही किया जाएगा जो उम्मीदवारों के चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अधीन

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाये वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस विनि-दिष्ट की जाएगी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ सिक्कीम शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थाई निवास के इरादे में पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केम्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जरे और इथियोपिया और वियतनाम से प्रवृत्त कए आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त शर्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) में सम्बन्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

5. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 1996 को 20 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 28 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1968 से पहले और 1 अगस्त, 1976 के बाद न हुआ हो।

(ख) नियम-2 के नीचे दिए गए विशेष ध्यान (4) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि वे नीचे दिए गए काल-1 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त हैं और काल-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा (सेवाओं)/पद (पदों) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु जिसके लिए वे अस्थायी पात्र हैं, आवेदन करते हैं—उत्तरी आयु-सीमा 28 वर्ष के स्थान पर 33 वर्ष होगी।

(1) वह उम्मीदवार जो सम्बन्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप में स्थायी पद पर हैं उक्त विभाग/कार्यालय में स्थाई पद पर नियुक्ति परीक्षाधीन अधिकारी को उसकी परीक्षा की अर्हता के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी।

(2) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में 1 अगस्त, 1996 को कम से कम 3 वर्ष लगा-तार अस्थायी सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो।

कालम-1	कालम-2
रेल विभाग	आई० आर० एस० ई० आई० आर० एस० एम० ई० आई० आर० एस० ई० ई० आई० आर० एस० एस० ई० आई० आर० एस० एस०
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सी० ई० एस० ग्रुप 'क' सी० ई० एण्ड एम० ई० एस० ग्रुप 'क' ।
मुख्य अभियंता सेना मुख्यालय	सैनिक इंजीनियरी सेवा, ग्रुप 'क' (आई० डी० एस० ई० बी० एं आर० संवर्ग तथा निर्माण सर्वेक्षण संवर्ग) सैनिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' (आई० डी० एस० ई०-ई० एवं एम० संवर्ग)
आयुध कारखाना महा- निदेशालय	आई० ओ० एफ० एस० ग्रुप 'क'
केन्द्रीय जल आयोग	सी० डब्ल्यू० ई० ग्रुप 'क' सेवा
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बेतार आयोजन तथा सम्बन्ध स्तम्भ/अनुसंधान संगठन	सी० पी० ई० ग्रुप 'क' सेवा इंजीनियर ग्रुप 'क'
सीमा सड़क संगठन आकाशवाणी/दूरदर्शन	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा का कनिष्ठ वेतनमान
भारतीय नौ सेना संचार महालय दूर संचार विभाग तथा डाक विभाग	भारतीय नौसेना आयुध सेवा । भारतीय दूर संचार सेवा, ग्रुप 'क' सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/विद्युत) डाक व तार
विज्ञान तथा तकनीकी विभाग आपूर्ति और निपटान महा- निदेशालय	मकम निर्माण ग्रुप 'क' सेवा महायुक्त प्रबन्धक (कारखाना) ग्रुप 'क', डाक एवं तार (दूर- संचार कारखाना संगठन)
भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग	आई० एस० एस० ग्रुप 'क'
भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग	यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क', बर्मा इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'

टिप्पणी :—प्रतिभूता की अवधि के बाद यदि रेलों में किसी कार्यभार पद पर नियुक्ति हो जाती है तो आय में छूट के प्रयोजन के लिए प्रतिभूता की अवधि रेल सेवा मानी जाएगी ।

(ग) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी उपर निर्धारित अवधि आय सीमा में छूट दी जाएगी :—

- (1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;
- (2) यदि उम्मीदवार कूवैत या इराक से वस्तुतः प्रत्यार्षित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश में 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर, 1991 से पहले भारत प्रव्रजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;
- (3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और कूवैत या इराक से वस्तुतः प्रत्यार्षित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर, 1991 से पहले भारत प्रव्रजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;
- (4) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर विभाजन में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक ।
- (5) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर विभाजन में अधिवास किया हो, अधिकतम 10 वर्ष तक ।
- (6) शत्रु देश के साथ संघर्ष में अर्थात्तत्काल क्षेत्र में फौजी करवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;
- (7) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अर्थात्तत्काल क्षेत्र में फौजी करवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(8) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 1996 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारण से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, इनमें से भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1996 में एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है, या (2) अल्पकालिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(9) भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) जो अ.जा. या अ.ज.जा. के हैं तथा जिन्होंने 1 अगस्त 1996 को कम से कम 5 वर्ष तक सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें से भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 1996 में एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है, या (2) सैनिक सेवा में हुए शारीरिक अपंगता या (3) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक 10 वर्ष तक;

(10) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त 1996 की सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और छुट्टी होने पर नियमित प्रत्यावृत्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जायेगा। अधिकतम 5 वर्ष तक;

(11) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त, 1996 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और छुट्टी होने पर नियमित प्रत्यावृत्त होने की तारीख से तीन माह

के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जायेगा, अधिकतम 10 वर्ष तक।

(12) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, अधिकतम 3 वर्ष तक।

टिप्पणी 1—भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा तथा मदों में पूर्णरोजगार) नियम, 1979, में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी 2—ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तथा जिन्होंने आय सीमा में छूट लेने के पश्चात् सिगल साइड में फोर्स सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियम 5(ग) (2) में (12) के अधीन आय सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं।

तथापि, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत किसी सिविल पद पर पहले ही नियमित रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, केंद्र सरकार के अन्तर्गत किसी उच्च पद या सेवा में किसी अन्य रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथासंभव कार्य आय छूट के लाभ की अनुमति दी जाती है।

टिप्पणी 3—अन्य पिछड़ी वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपरोक्त नियम 5 (ग) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में अधिवास करने वाले व्यक्तियों तथा कर्नाट और इराक आदि में देश प्रशस्ति प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली संवर्गीय आय सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

विशेष ध्यान—जिस उम्मीदवार को उपरोक्त नियम (5) (ख) में उल्लिखित आय सम्बन्धी रिथायतें देकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जायेगी यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद वह परीक्षा देने से पहले या बाद में सेवा से त्याग पत्र देता है या उसके विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर ली जाती है। किन्तु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छूटनी हो जाती है तो वह परीक्षा देने का पात्र बना रहेगा।

जो उम्मीदवार विभाग को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाता है वह उस सेवा/पद हेतु विभाग की आय सम्बन्धी रिथायतें के अन्तर्गत सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा अग्रोपल कर दिया गया है।

उपर्युक्त व्याख्या के अलावा निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मेट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मेट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरोधित मेट्रिकुलेंटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धारण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धारण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मेट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।

टिप्पणी 1—उम्मीदवार यह ध्यान में रखे कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मेट्रिकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2—उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. उम्मीदवार—

- (क) के पास भारत के केंद्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए; अथवा
- (ख) इंजीनियरों की संस्था (भारत) की परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हो; अथवा
- (ग) के पास किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालिज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिस समय-समय पर हम प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो; अथवा

- (घ) इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; अथवा
- (ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा भाग 2 और 3/खण्ड क और ख उत्तीर्ण हो; अथवा
- (च) यांत्रिक इंजीनियरों की संस्था (भारत) की एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा (भाग क और ख) उत्तीर्ण हो; अथवा
- (छ) नवम्बर, 1959 के बाद ली गई इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो संचार इंजीनियरी की संस्था (लन्दन) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो।

किन्तु वायरलैस आयोजन तथा समन्वय स्कन्ध/अग्रवर्ण संगठन, संचार मंत्रालय में इंजीनियरी ग्रुप क; भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा तथा भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी पद) के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो जैसे :—

वायरलैस संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम. एस. सी. डिग्री या समकक्ष।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसके उत्तीर्ण करने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उस परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं बसती कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी 3 :—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास निदेशी विधवाविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वह भी आवेदन को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेक पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए गैरिगिस्ट रूप में नियुक्त कर्मचारी हों जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है, उनको या जो सार्वजनिक उद्यमों में संवारत हों, उनको इस आशय का परिचयन (अपहरण/कथन) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके निरीक्षता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. उम्मीदवार के आवेदन-पत्र और उसकी पात्रता को स्वीकार करने या परीक्षा में प्रवेश आदि के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, चरणों के लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में हस्ता-पत्र करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उनके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन) न हो।

11. आयोग ने जिस उम्मीदवार को बोली पायी अथवा घोषित किया है :—

- (1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (2) नाम रद्द कर परीक्षा दी है, अथवा
- (3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया अथवा

- (4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
- (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
- (6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, या
- (8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अस्वील भाषा में या अशुद्ध आशय की हों, या
- (9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुरुव्यवहार किया है, या
- (10) परीक्षा केंद्रों के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया है या अन्य प्रकार की पारस्परिक क्षति पहुंचाई है, या
- (11) परीक्षा की अनुमति दत्त हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण-पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा
- (12) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है।

तो उस पर आरंभिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, तथा/अथवा
- (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए :—

(1) आयोग द्वारा दी जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा भवन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी में

वारिस्त किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनु-वामनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शर्तित तथ्य तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

- (1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहें, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, अथवा

(2) उम्मीदवारों द्वारा अनागत समय में प्रस्तुत अभ्या-
वेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया
हो।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धा-
रित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आयोग की गिरफ्तार
पर व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

यदि आयोग का विचार है कि अनुसूचित जाति अथवा अनु-
सूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर
इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए
नहीं बुलाए जा सकेंगे तब आयोग द्वारा मानकों में
छूट देकर इन समुदायों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए
बुलाया जा सकता है।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार
को अंतिम रूप से लिए गए कूल प्राप्तांकों के आधार पर
उनके योग्यताक्रम के अनुसार नामों की सूची बहालगा और उस
परीक्षा का परिणाम निकालने पर जितनी अनारक्षित खाली
जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे
उम्मीदवारों को योग्यताक्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए
अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाए गए
हैं।

(2) किसी भी अनुसूचित जाति अथवा जनजातियों अथवा
अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आर-
क्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग द्वारा मानक में छूट देकर
सिफारिश की जा सकती है बशर्त कि ये उम्मीदवार सेवा में
चयन हेतु उपयुक्त हों।

बशर्त कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और
अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों जिनको इस उपभूषण में
संबंधित रियायती मानकों का सहारा लिए बिना आयोग द्वारा
नस्तुत की गई है, को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-
जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों
के लिए समाप्ति नहीं किया जाएगा।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप
में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा
और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं
करेगा।

16. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए
परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त करते समय उम्मीदवार
द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए
वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा।

विभागीय उम्मीदवारों को योग्यताक्रम के अनुसार पहले उनके
उपरोक्त विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्या-
वेदन ऐसे उम्मीदवारों के, उनके अपने विभागों में सेवाओं/पदों
के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही, उन्हें
उनके द्वारा दी गई वरीयताओं के आधार पर अन्य मन्त्रालयों/
विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार
किया जाएगा।

16. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्त का अधि-
कार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार
आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि
उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्त
के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

17. उम्मीदवारों के मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ
होना चाहिए और उनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना
चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को
काम्यतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि विहित डाक्टरों
परीक्षा जो सरकार या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की
जाए, प्रस्थापित के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञान
हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी
नियुक्ति नहीं की जाएगी।

परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर जो उम्मीदवार साक्षात्-
कार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनकी डाक्टरों जांच साक्षात्-
कार की तारीख के तुरन्त बाद आने वाले कार्यदिवस को की जाएगी
(शनिवार और रविवार तथा छुट्टियों वाले दिन डाक्टरों जांच
नहीं होगी)। इस प्रयोजन के लिए सभी सफल उम्मीदवारों को
प्रातः 9.00 बजे अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी केनाय
अस्पताल उत्तरी रेलवे बसस्टेन नई दिल्ली पर उपस्थित होना
पड़ेगा। यदि उम्मीदवार चरमा लगाते हैं तो उन्हें हाल के चरमों
के रम्बर के साथ मॉडकल बॉर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिए।

डाक्टरों जांच की तारीख या स्थान में परिवर्तन का अनुरोध
सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवार को यह नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी संकेत
में डाक्टरों जांच से छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया
जाएगा।

उम्मीदवारों का ध्यान इससे प्रकाशित शारीरिक परीक्षा से
संबंधित विनियमों की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें
विभिन्न सेवाओं के लिए शारीरिक स्वस्थता मापदण्ड अलग-अलग
हैं। अतः उम्मीदवारों को यह समाह दी जाती है कि जिन
सेवाओं के लिए वे प्रतिस्पर्धी हैं, जिन सेवाओं/पदों के लिए सं-
तो. सं. आ. की वरीयता बतायी है उन सेवाओं के विषय संबंध
में इन मापदण्डों का ध्यान में रखें।

उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि :—

(1) उनकी 30 रुपये (तीस रुपये) की नकद राशि में डि-
जिटल रूप में धन भुगतान करनी होगी।

- (2) डाक्टरों जांच के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा; और
- (3) उम्मीदवार की डाक्टरों जांच हो जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किया जाएगा।

उम्मीदवार यह नोट करे कि उन्हें रेल मन्त्रालय (रेल विभाग) द्वारा डाक्टरों जांच सम्बन्धित अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरों परीक्षा करा लें। उम्मीदवारों के नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरों परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। संवर्ष के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में से छूट दी जा सकती है।

18. जिन व्यक्ति न—

- (क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या
- (ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है,

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि कन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में प्रवेश से पहले हिन्दी का कुछ ज्ञान विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायक होगा जो कि उम्मीदवारों को सेवा में प्रवेश के बाद उत्तीर्ण करनी है।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

परिशिष्ट - 1

1. परीक्षा निर्मातांकृत योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग-1—लिखित परीक्षा के दो भाग होंगे। भाग 1 में केवल वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे और भाग 2 में परम्परागत प्रश्न-पत्र होंगे। दोनों भागों में संगत इंजीनियरी शिक्षा शाखाओं जैसे सिविल इंजीनियरी, यंत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूर-संचार इंजीनियरी की पूरी पाठ्य-चर्चा होगी। इन प्रश्नपत्रों के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यचर्चा परिशिष्ट की अनुसूची में दिये गए हैं। लिखित परीक्षा का विवरण जैसे विषय, प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक नीचे पैरा 2 में दिए गए हैं।

भाग-2—लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का व्यक्तिगत परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है।

लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

श्रेणी-1—सिविल इंजीनियरी

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड 1—वस्तु परक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षा (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन) सिविल इंजीनियरी	01	2 घंटे	200
प्रश्न-पत्र I सिविल इंजीनियरी	11	2 घंटे	200
प्रश्न-पत्र II सिविल इंजीनियरी	12	2 घंटे	200
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	13	1 घंटा	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	14	1 घंटा	200

श्रेणी-2—यांत्रिक इंजीनियरी

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड 1—वस्तु परक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन) यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	01	2 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	21	2 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	22	2 घंटे	200
योग			1000
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	33	3 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	24	3 घंटे	200
योग			1000

श्रेणी-3—वैद्युत इंजीनियरी

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड 1—वस्तु परक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन) वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	01	2 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	41	2 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	42	2 घंटे	200
योग			1000
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	43	3 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	44	3 घंटे	200
योग			1000

श्रेणी 4—इलैक्ट्रानिकी और दूर संचार इंजीनियरी

विषय	कोड	अवधि	पूर्णांक
खण्ड 1—वस्तु परक प्रश्न-पत्र			
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन) इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	01	2 घंटे	200
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	61	2 घंटे	200
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	62	2 घंटे	200
योग			1000
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र			
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर-संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र-I	63	3 घंटे	200
इलैक्ट्रानिक तथा दूरसंचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र-II	64	3 घंटे	200
योग			1000

3. व्यक्तिस्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की तैयारी क्षमता, पहल तथा मेधा शक्ति, व्यवहार कौशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जास्वता प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और शारीरिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

4. सभी प्रश्न-पत्रों को उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएं। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपनी विवक्षा से परीक्षा को किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. लिखाई सराब होने पर लिखित प्रश्न-पत्रों के पूर्णांक में 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जाएंगे।

9. परीक्षा के परम्परागत प्रश्न-पत्र में इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि अनिश्चित काल प्रश्नों में कठोरता, प्रमाण पूर्ण ढंग की ओर सही हो।

10. प्रश्न-पत्रों में जहाँ आवश्यक होना लीज वीर मय की मीटरों प्रणाली से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

नोट :—जहाँ भी जरूरी समझा जाएगा उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में संदर्भ हेतु भारतीय मानक संस्थान द्वारा संकलित तथा प्रकाशित मीटरों इकाइयों की सारणी उपलब्ध कराई जाएगी।

11. उम्मीदवारों को परम्परागत (निबन्ध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तु-परक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब से उन्हें परीक्षा भवन में न लायें।

12. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखते समय भारतीय अकों में अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

परिच्छेद 1 की अनुसूची

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य योग्यता परीक्षण के प्रश्न-पत्र का स्तर वैसा ही होगा वैसा कि इंजीनियरी विज्ञान स्नातक में अपेक्षा की जाती है। अन्य विषयों के प्रश्न-पत्रों के स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा। किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

सामान्य योग्यता परीक्षण (कोड संख्या 01)

भाग (क) सामान्य अंग्रेजी :—अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार को अंग्रेजी भाषा की शब्दों और शब्दों के कथन प्रयोग की जांच हो सके।

भाग (ख) सामान्य अध्ययन :—सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में सामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिस्पर्ध के अन्तर्भ में अस्ती है तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका स्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे।

मिदिल इंजीनियरी

(वस्तु परक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र 1

वस्तु परक प्रकार के लिए प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 11 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 13।

1. भवन सामग्री और निर्माण—पत्थर, इमारती लकड़ी, ईंट, सीमेंट, लीप, कंक्रीट, रीबार, इत्यादि।

2. धतु शक्ति

प्रतिबल, विकृति, धन, इधु का विकलन सिद्धांत, साधारण वक्रन और विमोदन के सिद्धांत, अपरूपण केन्द्र।

3. आलंघी स्थैतिकी

बल बहुभुज, प्रतिबल आरेख।

4. संरचनात्मक विप्लेषण

ट्रसेज और फ्रेम का विप्लेषण, प्लास्टिक विप्लेषण का परिचय।

5. धातु संरचना का अभिकल्पन

कार्यकारी प्रतिबल और साधारण रचना के धरम सामर्थ्य अभिकल्पन।

6. कंक्रीट और चिनाई रचना के अभिकल्पन

चिनाई दीवार का अभिकल्पन, कार्यकारी प्रतिबल समतल का अभिकल्पन प्रबलित और प्रतिबलित कंक्रीट, प्रबलित और प्रतिबलित कंक्रीट का धरम सामर्थ्य अभिकल्पन।

प्रश्न-पत्र-2

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए कोड सं. 12 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 14

1. तरल शक्ति जल स्रोत इंजीनियरी विकृत चैनल और पाइप प्रवाह, जल विज्ञान, नहरों का अभिकल्पन और जलीय संरचना।

2. मृदा शक्ति और आधार इंजीनियरी और उनके सामान्य सिद्धांत, प्रबलता प्राचल, भूमि दाब के सिद्धांत, उधने और गहर आधारों के अभिकल्पन।

3. रेल इंजीनियरी तथा सर्वेक्षण कार्य सहित परिवहन इंजीनियरी, सड़क अतिउन्नयन नियमन प्रवणता, कंट्रिस्टम, रासायन नियंत्रण, अभिकल्पन विचारण

4. पर्यावरण इंजीनियरी

जल स्वच्छता, सीवेज अभिक्रिया पत्र निपटान

5. निर्माण, नियोजन और प्रबंध

निर्माण पद्धति के तत्व. शान चार्ट, सी.पी.एम., पी.ड. आर.टी.।

यांत्रिकी इंजीनियरी

प्रश्न-पत्र-2

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए कोड सं. 22 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 24

प्रश्न-पत्र-1

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए कोड सं. 21 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 13

1. उष्मागतिकी

नियम, आवर्तगमियों और वाष्प के गणधर्म, विद्युत चक्र, गैस पावर चक्र, गैस टरबाइन चक्र, ईंधन और दहन

2. आई. सी. इंजन

सी. आई. और एम. आई. इंजन, अधिकोस्टन, ईंधन अन्तःक्षेपण और कार्बुरेशन, निष्पादन और परीक्षण, टर्बो चेट और टर्बो प्रोपेलर इंजन, राकेट इंजन, नाभिकीय शक्ति संयंत्र और नाभिकीय ईंधन का प्रारम्भिक ज्ञान ।

3. वाष्प वायलर, इंजन, नोजल, वाष्प टरबाइन, आधुनिक वायलर, वाष्प टरबाइन के प्रकार, नोजल से वाष्प प्रवाह, आवेग और अभिक्रिया टरबाइन के वेग आरेख रचना और नियंत्रण ।

4. संपीड़ित गैस गतिकी और गैस टरबाइन, प्रत्यागामी केन्द्र भिमुख और अपक्षीय प्रवाह को संपीड़ित वेग आरेख, दक्षता और निष्पादन । प्रवाह पर यांत्रिकी अंकों का प्रभाव, अधःमेन-ट्रायिक प्रवाह नोजल से सामान्य प्रपात और प्रवाह, बहु-चरणीय संपीड़ित सहिष्णु टरबाइन चक्र, प्ररूपतापन, पुर्नवापन ।

5. ऊष्मा अंतरण, प्रशीतन और वातानुकूलन, चालन, संवहन और विकिरण । उष्मा विनिमयक प्ररूप । सम्मिलित ऊष्मा अंतरण । संपूर्ण ऊष्मा अंतरण गुणांक, प्रशीतन और ऊष्मा पम्प चक्र प्रशीतन प्रणाली । निष्पादन के गणांक—साइक्रोमीट्रिक और साइक्रो-मिट्रिक चार्ट, कन्फर्ट सूचक, प्रशीतन और निराप्रीकरण विधि । औद्योगिकी वातानुकूलन प्रक्रिया । शीतलन और तापन भार राणना ।

6. तरलों के बर्गीकरण और गणधर्म :

तरल स्थैतिकी, लुब्ध गतिकीय और गतिकी; सिद्धांत और प्रयोग, द्वावतरमापीय और जलवाहन । आवर्त तरलों का प्रवाह । स्मरणीय तथा प्रक्षुब्ध प्रवाह । परिसीमा स्तर सिद्धांत निभजित वस्तुओं पर प्रवाह । पाइपों और खुली नालियों में प्रवाह, विभीय विश्लेषण तथा साध्य तकनीक ।

अभिकीय विशिष्ट गति सामान्यतः तरल मशीनों का बर्गीकरण; ऊर्जा हस्तांतरण सम्बन्ध । पम्पों और आवेगों तथा प्रतिक्रिया जल टरबाइन का निष्पादन और संचालन । द्रवगतिक विद्युत संसारण ।

7. मशीनों का सिद्धांत

(1) गतिमान पिंड (2) मशीनों के वेग और स्वरण, कलाहन निर्माण, मशीनों में जड़त्व बल, कम्प, गियर और गियरन गतिपालक चक्र और नियामक, पिंडों का पूर्ण एवं प्रयात्सामी संतुलन स्वतंत्र और प्रवेदित कम्पमान की प्रणाली शैफ्ट की क्रान्तिक गति और भ्रमरी ।

8. मशीन अभिकल्पन

पेक्ष बन्धन और पावर स्कू का जोड़—कंज्यां कोटेरास, टरसन—वेण्ड संभि पारगमन पद्धति—पट्टा और चेन चालित-हार रज्ज—शैफ्ट गियर-सपी और रोलिंग बेयरिंग ।

9. पदार्थों की स्वतन्त्रता

दिव्यविभीय प्रतिबल और विकृति मोहर चक्र प्रत्यास्थरांकों के बीच सम्बन्ध ।

विकरणपंज—बंकन आवर्ण अस्पृक और विकेप शैफ्ट—सम्मिलित बंकन प्रत्यक्ष और मरोड़ी प्रतिबल ग्थल-बाल्ड सिलिण्डर और दाब के अन्तर्गत गोलक, सिंप्रग, आलम्बन स्तम्भ और कालम विफलन का सिद्धांत ।

10. इंजीनियरी पदार्थ

मिश्र धातु और धातु मिश्रण तत्व ताप अभिक्रिया, संयोजन, गणधर्म और प्रयोग, प्लास्टिक और अन्य नए इंजीनियरी पदार्थ ।

11. उत्पादन इंजीनियरी

धातु मशीनीकरण—कर्तन औजार, औजार धातु घिसाई और यांत्रिकीकरणयता, कर्तन शक्ति का माप, प्रक्रियाएं—मशीनीकरण—प्रेषण, वेधन, गीजर, निर्माण धातु रूपांजन, धातु मंचकन और सम्मिलन वैसिक, विशेष प्रयोजन, काथिस और मंखात्मक निर्माण मशीनी औजार, जिंग और अनलगनी (तत्थों का अवस्थापन) ।

12. औद्योगिक इंजीनियरी

कार्य अध्ययन और कार्य की माप मजदूरी प्रोत्साहन, उत्पादन कीमत और उत्पादन प्रणाली का अभिकल्पन, संयंत्र विन्नाम के सिद्धांत—उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, पदार्थ व्यवस्था संक्रिया विज्ञान । रॉसिक प्रोग्रामन पविक्त सिद्धांत इंजीनियरी जाल विश्लेषण । सी. पी. एम. एवं पी. ई. आर. टी. सगूणकों का उपयोग ।

वैद्युत इंजीनियरी

(वस्तुपरक और परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र-1

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 41 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 43

1. वैद्युत परिपथ

जाल प्रमेय, ज्यामिकीय जाल के सोपान, रोम्प, आदेश और ज्यामिकीय निर्देश की अनुक्रिया, आवृत्ति क्षेत्र का विश्लेषण विवपद्धर जाल संश्लेषण का तत्व, संकेत प्रवाह ग्राफ ।

2. ई. एम. सिद्धांत

वैद्युत स्थैतिकी, सदिश प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुम्बक स्थैतिक, चुम्बकीय पदार्थों और चालक के अन्तर्गत परिविद्युत के क्षेत्र । समय परवर्ती क्षेत्र, मैक्सवेल का समीकरण, चालन परावैद्युत मिडिया में समतल तरंग संचरण, संचरण लाइन का गुणधर्म ।

3. पदार्थ विज्ञान (वैद्युत—पदार्थ)

पट्ट सिद्धांत स्थितिज और वैकल्पिक क्षेत्रों का व्यवहार, दाब विद्युत । धातु की चालकता अतिचालकता पदार्थों का चुम्बकीय गुण धर्म । फेरी और फेरी—चुम्बकत्व अर्धचालकों में चालकता ज्ञान प्रभाव ।

4. विद्युत मापन

मापन के सिद्धांत, परिपथ पैंगमीटर का सेतु, मापन, माप यन्त्र । वी. टी. डी. एम. तथा सी. आर. ओ. व्य. —मीटर, मैक्सवेल विद्युतपक । ट्रांसड्यूसर्स तथा गैर-विद्युत मात्राओं का मापन, अंकीय मापन दूरमापन तथा अभिलेखन तथा प्रदर्श ।

प्रश्न-पत्र-2

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 42 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 44

5. अभिकल्पन के तत्व

अंकीय प्रणाली, एल्गोरिथम विधियां, प्रवाह-संचित्रण भण्डारण, प्ररूप विवरण, सर्णी भण्डारण अंक गणित निष्पीडन, तार्किक निष्पीडन निर्दिष्टीकरण विवरण, कार्यक्रम संरचना वैज्ञानिक तथा इंजीनियर अनुप्रयोग ।

6. वैद्युत उपकरण तथा प्रणालियां

वैद्युत यांत्रिक : विद्युत यांत्रिकीय ऊर्जा रूपान्तरण के सिद्धांत । डी. सी. तुल्यकालिक तथा प्रेरण मशीनों का विश्लेषण । भिन्नात्मक अक्ष-शक्ति मोटर । नियंत्रण प्रणालियों में मशीनों ट्रांसफार्मर्स । चुम्बकीय परिपथ तथा परिचालनों के लिए मोटर्स का चयन । विद्युत प्रणाली—विद्युत उत्पादन : तापकीय, जलीय तथा नाभिकीय, विद्युत संचरण, कंट्रोला; पून चालक,

विद्युत प्रणाली रक्षण । आर्थिक परिचालन, लोड आवृत्ति-नियंत्रण, स्थायित्व विश्लेषण =

7. नियंत्रण प्रणालियां

विद्युत-पाश तथा संयुक्त पाश प्रणालियां, अनुक्रिया विश्लेषण, मूल केन्द्र प्रविधि, स्थायित्व, प्रतिपूरण तथा अभिकल्पन प्रविधियां । स्थिति-परिवर्ती उप-गमन ।

8. इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार

इलेक्ट्रॉनिकी-धनावस्था युक्तियां तथा परिपथ लघु सिगनल प्रवर्धक अभिकल्प, पुनर्भरण, प्रवर्धक दोलम तथा सीक्रियात्मक प्रवर्धक एफ. डी. टी. परिपथ तथा रेखिक आर्इ. सी. । स्थिति परिपथ ड्रूलीन बीजगणित, तर्क परिपथ, सांदायिक तथा अनुक्रियक अंकीय परिपथ ।

संचार सिगनल विश्लेषण सिगनलों का प्रेषण । माड्युलन तथा विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियों का संसूचन । संचार प्रणालियों का निष्पादन ।

इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी

वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए

प्रश्न-पत्र-1

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 61 और परम्परागत प्रश्न-पत्र के लिए कोड सं. 63

1. सामग्री, घटक तथा युक्तियां

वैद्युत इंजीनियरी सामग्रियों की संरचना तथा गुण-धर्म निष्क्रिय घटक—प्रकार तथा गुणधर्म । सक्रिय घटक—प्रकार तथा गुणधर्म—धनावस्था युक्तियां—भौतिक लक्षण तथा नमूने ।

2. जाल सिद्धांत

जाल प्रमेय: विद्युत परिपथों की स्थिर अवस्था तथा क्षणिक अनुक्रिया । परिपथ जाल विश्लेषण । प्रारम्भिक परिपथ जाल संश्लेषण ।

3. विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत

क्षेत्रगत सिद्धांत । संचरण लाइन सिद्धांत । एटीना सिद्धांत । परिबद्ध तथा अपरिबद्ध मीडिया में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रवर्तन ।

4. मापन तथा यंत्रीकरण

वैद्युत मात्राओं का आधारभूत माप । यंत्रों का मापन तथा उनकी कार्यप्रणाली का सिद्धांत । ट्रांसड्यूसर्स । गैर वैद्युत मात्राओं का माप ।

प्रश्न-पत्र-2

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न-पत्र के लिए क्रॉड सं. 62 और परस्परगत प्रश्न-पत्र के लिए क्रॉड सं. 64

1. रॉसिक तथा अरॉसिक अनुरूप परिपथ

मूल रॉसिक इलॉक्ट्रॉनिक परिपथ । स्तंड—रूपण परिपथ । तरंग आकार जनित्र । स्थायीकारक ।

2. अकीय परिपथ

तर्क परिपथ तथा गेट । संगणन परिपथ। संयोजक तथा अनुक्रमिक परिपथ ।

3. नियन्त्रण प्रणालियां

पुनर्भरण सिद्धांत । नियंत्रण प्रणाली घटक। नियंत्रण प्रणालियों की अनुक्रिया । व्यावहारिक प्रणाली का अभिकल्पन ।

4. संचार प्रणालियां

मूल सूचना सिद्धांत । माड्यूलन तथा संसूचन प्रक्रियाएँ । विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियां । रॉडियो तथा लाइन संचार । दूरदर्शन तथा रेडार। संचार सहाय, अनुगामी संचार सिद्धांत ।

5. सूक्ष्म-तरंग इंजीनियरी

सूक्ष्म तरंग स्रोत । सूक्ष्म-तरंग घटक तथा जाल मापन तथा सूक्ष्म-तरंग आवृत्तियां । सूक्ष्म-तरंग संचार प्रणालियां ।

परिशिष्ट—2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम ।

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हों या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मॉडिकल एग्जामिनर्स) को मार्ग-निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं का पूरा नहीं करता है तो उसे स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार का इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप में स्पष्ट कारण देने हुए, भारत सरकार का यह अनुज्ञा कर सके कि उक्त उम्मीदवार का सेवा में लिये जा सकता है और इसमें सरकार को कोई हानि नहीं होगी ।

2. किन्तु यह बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार का स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. प्रत्येक उम्मीदवार की उनके व्यक्तित्व परीक्षा के दूसरे दिन या इस तथ्य के ध्यान में न रखते हुए कि उन्होंने पहले ऐसी डाक्टरों की जांच करवाई थी और पहली जांच के आधार पर उन्हें स्वस्थ अथवा

अस्वस्थ पाया गया, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा यथा निर्णित तारीख और स्थान की सन्दर्भ हास्पिटल, बसंत लेन, नई दिल्ली पर डाक्टरों की जांच करवाई जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार नियत तारीख को डाक्टरों की जांच के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहता है तो उसको नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार स्वास्थ्य परीक्षा के लिए दर्शाई गई तारीख पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे तत्काल 15 दिनों के अन्दर रेलवे मंत्रालय को इसका कारण बताना चाहिए जिससे कि अगली उपयुक्त तारीख को उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था की जा सके। उम्मीदवार के ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि वह नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा उसे कोई सेवा/पद नहीं दिया जाएगा ।

3. (क) भारतीय (एंग्लो इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मॉडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छड़ी दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेरों में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्सरे लेना चाहिए। एंसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

(ख) किन्तु कुछ संघाओं के लिए कद और छाती के घेरे के लिए कम से कम मानक निर्धारित हैं, जिसे पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

सेवा का नाम	कद	छाती का घेरा	फैलाव
			(पूरा फुला-कर)

रेल इंजीनियरी सेवा
(सिविल वैद्युत)
यांत्रिक और सिगनल
और के० लॉ० नि०
वि० में केन्द्रीय
इंजीनियरी सेवा
ग्रुप 'क' तथा
केन्द्रीय विद्युत्
इंजीनियरी सेवा
ग्रुप 'क'

(क) पुरुष उम्मीदवारों के लिए

152	84	5
से० मी०	से० मी०	से० मी०

(ख) महिला उम्मीदवारों के लिए

150	79	5 से० मी०
से० मी०	से० मी०	

अनुसूचित जनजातियों और उन जातियों जैसे गरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैण्ड के आदिवासियों आदि जिनका औसत कद स्पष्टता: ही कम होगा; के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कक्ष में छूट दी जा सकती है।

(ग) रेल इंजीनियरी सेवाओं ग्रुप 'क' भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप 'घ' के लिए छाती की माप में कम से कम 5 स. मी. के फौलाद की गुंजाइश रखनी होगी।

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) के इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि जांच उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एंडियों के पावों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़ें सीधा खड़ा होगा और उगकी एंडियां, पिंडीलियां, नितम्ब और कंधे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी टांगें नीचे रखी जाएंगी ताकि सिर का स्तर (वर्टिकल आफ दी हॉइलेवल) हॉरिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

5. उम्मीदवार के छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएँ सिर से ऊपर उठी हों। फीते का छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि उसका ऊपरी किनारा असफलक (शॉल्डर ब्लेक) के निम्न कोणों (इन्फॉरियर एंगल्स) के पीछे लगा रहें और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हॉरिजेंटल प्लेन) में रहें। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फौलाद पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फौलाद सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84—89, 86—93.5 आदि न माप का रिकार्ड करके सत्य वाधे सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रैक्शन) का नोट नहीं करना चाहिए।

बिशेष ध्यान दें :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कक्ष और छाती दो बार मापी जानी चाहिए।

6. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम से रिकार्ड किया जाएगा। आधा किलोग्राम से कम भिन्न (फ्रैक्शन) का नोट नहीं करना चाहिए।

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निर्मातृलिंगत नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(1) सामान्य—किसी रंग या अनामाय्यता का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कांटांगुअस स्ट्रक्चर्स) का कोई एंमा रंग हो जो उसे अंध या आंश किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि-तीक्ष्णता (विजुअल एक्जाम्प्ले)—दृष्टि की तीक्ष्णता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्म के बिना आंध की नजर (नॉडो आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इस रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इसमें आंस की हालत के बारे में भूल सूचना (बैमिक इन्फॉरमेशन) मिल जाएगी।

चश्म के साथ और चश्म के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

सेवाएं	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
1	2	3	4	5

क. तकनीकी

1. रेल इंजीनियरी सेवाएं (सिविल) विद्युत यांत्रिकी और (सिगनल)	6/6	6/12	जे/I	जे/II
	अथवा			
	6/9	6/9		
2. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय जल इंजीनियरी	6/6	6/12	जे/I	जे/II
	अथवा			
सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी	6/9	6/9		

1	2	3	4
सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (मड़क) ग्रुप 'क' तथा तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' सहायक कार्यपालक इंजीनियर (निवित्र तथा वैद्युत) डाक एवं तार भवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा, आई० डब्ल्यू० पी० एण्ड सी० स्क्वड्रन अनुश्रवण संगठन, संचार मंत्रालय में इंजीनियरी का पद (भारतीय प्रसार इंजीनियर) सेवा, भारतीय नौसेना आयुद्ध सेवा में भारतीय आयुद्धशाला सेवा ग्रुप 'क' सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'			
3. सेना इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क', कर्मशाला अधिकारी, ग्रुप 'क' तथा 'ख', सहायक प्रबन्धक (कारखाना) ग्रुप 'क', डाकतार दूरसंचार कारखाना संगठन (गैर तकनीकी)	6/6	6/18	जे/1 जे/II
4. भारतीय रेल मंडार सेवा तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण में यांत्रिकी इंजीनियरी (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' वर्मा इंजीनियरी (कनिष्ठ) ग्रुप 'क', भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क'	6/9	6/12	जे/1 जे/II

टिप्पणी (1)

(क) उपर्युक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के संबंध में मायोपिया (सिलेंडर सहित) का कूल परिणाम 4.00 डी. से अधिक नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिया (सिलेंडर सहित) का कूल परिणाम 4.00 डी. से अधिक नहीं होगा। किन्तु शर्त यह है कि "तकनीकी" रेल मंत्रालय (रेल विभाग

के अधीन सेवाओं के अलावा) के रूप में वर्गीकृत सेवाओं का उम्मीदवार यदि हाई मायोपिया के कारण अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन नंबर विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेज दिया जाएगा जो यह घोषणा करें कि यह मायोपिया रोगात्मक है या कि नहीं। यदि यह रोगात्मक नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह अन्यथा दृष्टि संबंधी अक्षमता पूर्ण कर दे।

मायोपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में जांच करनी चाहिए और उसके नतीजे का रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार का रोगात्मक अवस्था है जिसके बढ़ने और उससे उम्मीदवार की कार्यकक्षमता पर असर पड़ने की संभावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

टिप्पणी (2)

भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप 'क' के अलावा उपयुक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के संबंध में वर्णनदर्शन की जांच अनिवार्य होगी।

जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है वर्ण—अवगम उच्चतर तथा निम्नतर ग्रंथों में होना चाहिए जो नैस्टर्न में द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर है :—

ग्रेड	वर्ण अवगम का उच्चतर ग्रेड	वर्ण अवगम का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार 'क' बीच की दूरी	16'	16'
2. डाक (एपरचर) का आकार	1.3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

रेल इंजीनियरिंग सेवा (निवित्र, वैद्युत, सिगनल और यांत्रिक) और रेल सुरक्षा से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए उच्च ग्रेड के वर्ण दर्शन की जरूरत है किन्तु अन्यथा नीचे ग्रेड के वर्ण दर्शन का पर्याप्त माना जाना चाहिए :—

सेवाओं/पदों के वर्ण जिनके लिए उच्च या निम्न ग्रेड का वर्णदर्शन अपेक्षित है, नीचे दिए जा रहे हैं :—

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए उच्चतर ग्रेड का वर्ण दर्शन अपेक्षित है :—

- (1) रेल इंजीनियरी सेवा।
- (2) सैन्य इंजीनियरी सेवा (आई डी. एस. ई. तथा सर्वेक्षण संवर्ग)।
- (3) भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप 'क' सेवा।
- (4) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (मड़क)।
- (5) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा।

- (6) सहायक कारखाना प्रबन्धक (कारखाना) (डाक गार) दूर संचार कारखाना संगठन ।
- (7) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' तथा 'ख' ।
- (8) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' तथा 'ख' ।

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए निम्नतर ग्रुप का वर्ण दर्शन अपेक्षित है :—

- (1) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ।
- (2) केन्द्रीय बंदूत तथा यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा ।
- (3) भारतीय नौसेना आयुध सेवा का 3 ड ।
- (4) भारतीय आयुध कारखाना सेवा ।
- (5) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा ।
- (6) सहायक कार्याकारी इंजीनियर (सिविल तथा बंदूत) ग्रुप 'क' डाक व तार भवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा ।
- (7) भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा का कनिष्ठ वृत्तमान ।
- (8) इंजीनियर ग्रुप 'क' व तार आयोजन और समन्वय स्कन्ध अनुसूचन संगठन ।

लाल, हरे और सफेद रंग के संकेत का आसानी से और हिष्कारिता के बिना पहचान लेना संतोषजनक वर्ण दर्शन है । वर्ण वर्णन को परीक्षा के लिए इतिहास की प्लेटों तथा एडरिज की लैटर्न—बॉनों का प्रयोग किया जाएगा ।

टिप्पणी (3)—दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुख विधि द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिभाषी (पैगमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी (4)—रतींधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों का छोड़कर रतींधी की जांच नेमा के रूप में जरूरी नहीं है । रतींधी या अन्धेरे में विश्राई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैंडर्ड निश्चित नहीं है । मोडकल बोर्ड का ही एस काम चलाक टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्दर कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना । उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी (5)—केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा हेतु उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझे जाने पर वर्ण दर्शन और रतींधी संबंधी परीक्षण पास करना होगा । भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप 'क' के लिए उम्मीदवारों का 'त्रिविम मंगलन' परीक्षण पास करना होगा ।

टिप्पणी (6)—दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख का दर्शाए (त्रिविध कण्डीशन) ।

(क) आंख को जग सम्बन्धी बीमारी की बूझी हुई अपवर्तन क्यूटि (रिफ्रैक्टिव एरर) का, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए ।

(ख) भौगोपन—ऊपर 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं हेतु यहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है, भौगोपन अयोग्यता माना जाएगा चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की हो क्यों न हो । यदि दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित मानक के अनुसार हो तो अन्य सेवाओं हेतु भौगोपन अयोग्यता नहीं माना जाएगा ।

(ग) यदि कोई एक आंख वाला व्यक्ति है या उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य है तथा दूसरी आंख की दृष्टि कमजोर है या उसकी दृष्टि उपसामान्य है तो इसका सहज प्रभाव वह होता है कि गहनता अथवा कम के लिए उसके पास त्रिविम दृष्टि की बुरी है । कई सिविल पदों के लिए ऐसी दृष्टि जरूरी नहीं है । चिकित्सा बोर्ड ऐसे व्यक्तियों की स्वस्थ होने की अनुशांसा कर सकता है, यद्यपि कि उनकी सामान्य आंख :—

- (1) का चरम लगाकर या चरम के बिना दूर दृष्टि 6×6 और निकट दृष्टि जे./1 जो दर्शाते कि किसी मीरिडियन में दूर दृष्टि सम्बन्धी दोष 4 डायोप्टर्स से अधिक न हो ।
- (2) का दृष्टि-क्षेत्र पूर्ण हो ।
- (3) आवश्यकानुसार सामान्य वर्ण दर्शन ।

किन्तु बोर्ड संतुष्ट हो कि उम्मीदवार गंदभंगत कार्य विशेष सम्बन्धित सभी कार्रवाई कर सकता है ।

'तकनीकी' के रूप में वर्गीकृत पदों/सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए दृष्टि की तीक्ष्णता का शिथिल किया हुआ उपर्युक्त मानक लागू नहीं होगा ।

टिप्पणी (7)—कान्टैक्ट लेंस—चिकित्सा परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कान्टैक्ट लेंस प्रयोग करने को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

टिप्पणी (8)—यह आवश्यक है कि आंखों का परीक्षण करते समय दूर दृष्टि के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 25 फुट कण्डल को प्रदीप्ति जैसी हो ।

टिप्पणी (9)—सरकार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में विशेष कारण किसी भी शर्त में छूट दे सकती है ।

8. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपनी विवक्षा से काम लगा। नार्मल मेकजीमम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाक विधि निम्न प्रकार है :—

- (1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है ।

- (2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को आकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य विनियम बिल्कुल संतोषजनक पड़ता है।

विशेष ध्यान : सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. से ऊपर दिस्टालिक प्रेशर और 90 एम. एम. से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (क्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे भी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया विकास (क्विलयोरेंस) की जांच भी नेमी गौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार को योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पाठ्य वाले दाढ़मापी (सरकारी मेनोमीटर) किसम का उपकरण (इंस्ट्रुमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किसम का व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। योगी बैठा या लेटा हो बसते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम में हो। बांह थोड़ी-बहुत हांग्रिजेंटल स्थिति में योगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कंधे तक कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीज की रबड़ को भजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके दाब कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिम्मा फूल कर बाहर को ना निकले।

कोहनी के मोड़ पर बांह धरती (ब्रिकजल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूँढा जाता है तब उसके ऊपर सीधे-सीधे स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगें। कफ में लगभग 200 एम. एम. एम. जी. हवा भरी जाती है। और इसके बाद हमसे से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पार्से का कालम टिका होता है वह मिन्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लपट प्रायः हो जाएं तो वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव योगी के लिए लाभकारक होता है और इससे रीजिंग गलत होनी है यदि शंका पड़ता है करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं तथा निम्न स्तर पर पुनः शकट हो

जाती है। इस "साइलेंट गैस" रीजिंग में गलती हो सकती है।

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए सूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के सूत्र में ग्रासटिक जांच द्वारा शकक का पता चल तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के टोनिक चिह्न और लक्षणों को भी विदग्ध रूप से नोट करेगा। यदि उम्मीदवार को ग्लूकोज टेह (ग्लाइक सूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मधुमेही (नानडायबिटीक) नहीं है और बोर्ड इस केंस की मेडिकल के किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेज देगा। जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी होगा, औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा ना हो जाए। किसी रीजस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

11. निर्मातवित्त अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण किया जाना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों में अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिह्न नहीं है। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शून्य क्रिया (आपरेसन) या त्रियारंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है बसते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबंध भारतीय रेल भंडार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, रेल इंजीनियरी सेवा, भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप 'ड', केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी की सेवा ग्रुप 'क' और सीमा गड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' पर लागू नहीं है।

चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है :—

- (1) एक कान में प्रकट श्रवण अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा यदि हायर फ्रीक्वेंसी में 30 डेसिबल तक हो तो गैर तकनीकी कार्यों के लिए योग्य।
- (2) दोनों कानों में बहरापन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग ऐड द्वारा कुछ सुधार संभव हो। यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए योग्य।
- (3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपैनिक् मैम्ब्रेन का छिद्र (1) एक कान सामान्य, दूसरे कान में टिमपैनिक् मैम्ब्रेन का छिद्र हो तो अस्थायी आकार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा स्थिति सुधरने पर दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्रवाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप में अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है।
- (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एंटिक बेधन होने पर अयोग्य।
- (3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप अयोग्य।
- (4) कान के एक ओर (दोनों ओर) में मस्टायड केविटी में सब नार्मल श्रवण (1) किसी एक कान में सामान्य रूप में एक ओर में मस्टायड केविटी में सुनाई देता हो दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान में मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य।
- (2) दोनों ओर में मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य। किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसिबल तक जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।
- (5) बहने रहने वाला कान आपरेशन किया गया/ बिना आपरेशन वाला। तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (6) नासा पट्ट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफॉर्मिटी) सहित अथवा इसमें रहित नाक की जीर्ण प्रवाहक/एलर्जिक दशा। (1) प्रत्येक मामले के परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (2) लक्षणों सहित नासा पट्ट विचल विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (7) टोंसिल और या कण्ठकी जीर्ण प्रवाहक दशाएं। (1) टोंसिल और या कण्ठ की जीर्ण प्रवाहक दशा—योग्य। (2) यदि आवाज में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य।
- (8) कान, नाक, गले (ई.एन.टी.) के हल्के अथवा अपने स्थान पर मैनिगेंटे ट्यूमर। (1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य। (2) मैनिगेंटे ट्यूमर—अयोग्य।
- (9) आटोमकिलैरोमिस (1) आटोमकिलैरोमिस आपरेशन के बाद या श्रवण यंत्र की सहायता से अथवा 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
- (10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष। (1) यदि काम-काज में बाधक न हों—योग्य। (2) यदि भारी मात्रा में हकलाहट हो—अयोग्य।
- (11) नेमलपोली अस्थायी रूप से अयोग्य।
- (क) वह बिना हकलाहट दोल लंता/लंती है।
- (ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह खाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगें हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।
- (घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है और छाती का फुलाव पर्याप्त है तथा उसका दिल व फफड़े ठीक हैं।
- (ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।
- (च) उसे रगधर नहीं है।
- (छ) उसे हाईड्रोमिल, स्फिन शिरा या गवामीर तो नहीं

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की घनाट और विकास अच्छा है और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतंत्र रूप में हिलती हैं ।

(छ) उसको कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी नहीं है ।

(ज) कोई जन्मजात कूरचना या दोष नहीं है ।

(ट) उसके किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान नहीं हैं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) उसके शरीर पर टीके के निशान हैं ।

(ड) कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग नहीं है ।

12. दिव्य और फोटो की किसी अपसामान्यता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से जाना न हो सभी मामलों में ऐसी रूप में छापी की एक-एक परीक्षण की जानी चाहिए ।

उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में संदेह की स्थिति में मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष सरकारी नौकरी करने के लिए उम्मीदवार के योग्य स्वास्थ्य या क्षमता का निर्णय करने के लिए अपसामान्यता के किसी उभयवक्त विश्लेषण की सलाह ले सकते हैं जैसे यदि संदेह हो कि उम्मीदवार किसी मानसिक रोग या विकार से पीड़ित है, तब बोर्ड के अध्यक्ष किसी अपसामान्यता के मनोचिकित्सक/विज्ञानी/मनो-विज्ञानी आदि की सलाह ले सकते हैं ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय देने चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा खट्टी के अपेक्षित दक्षतापूर्वक निष्पादन में इसमें बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

13. उन उम्मीदवारों को जो मेडिकल बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा निर्धारित रीति से 50 रुपये का अपील शुल्क जमा करना होगा । यह शुल्क उन उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा जिन्हें अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाएगा । जबकि अन्य मामलों में यह शुल्क जमा कर लिया जाएगा । उम्मीदवार को अपनी अपील के साथ किसी रजिस्टर्ड डाक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जिसमें विशेष तौर पर यह जल्द करना चाहिए कि उम्मीदवार को चिकित्सा बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने की जगह जानकारी है प्रस्तुत करना होगा । वह उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड के सामने उपस्थित हो तो उसके पास इस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अवश्य होनी चाहिए । उम्मीदवार को पहले मेडिकल बोर्ड के निर्णय की सूचना पत्र होने के 21 दिनों के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत कर देने चाहिए अन्यथा अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । चिकित्सा परीक्षा के लिए अपीलीय मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था उम्मीदवार के रुचि पर ही की जाएगी । अपीलीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा । रेल मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए आयुष्कर

कार्यवाही सभी की जाएगी जब निर्धारित शुल्क के साथ निश्चित समय के भीतर सभी अपीलें प्राप्त होंगी ।

14. अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड से संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा यदि कोई हो), के लिए उचित गंजाहश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्यता प्राप्त नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपॉइंटिंग अथॉरिटी) को यह तसल्ली नहीं हो जाती कि उसे ऐसी कोई बीमारी, रचना संबंधी दोष या शारीरिक दुर्बलता (दाइव्ही इन्फॉर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो गया हो उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य का प्रश्न भविष्य में भी उलाना ही सम्बन्ध है जितना वर्तमान में है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर भी समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थिति में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक माना गया है ।

महिला उम्मीदवार को परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर के मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा ।

ऐसे मेडिकल में जब कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य कारण दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बनाए जा सकने है किन्तु मेडिकल बोर्ड में जो सराबी बगार्ड हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है ।

ऐसे मामले में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने छोटी मोटी सराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिपोर्ट किया जाता चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई असुविधा नहीं है और जबकि वह सराबी दूर हो जाए तो सम्बन्ध प्राधिकारी एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो द्वारा परीक्षा की अर्थात् साधारणतया छः महीने से कम नहीं हानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब द्वारा परीक्षा हान तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अर्थात् के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर, नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप में दिया जाना चाहिए।

पुनः शिक्षा परीक्षा को प्रथम शिक्षा परीक्षा का भाग माना जाएगा और उम्मीदवार यदि चाहें तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित विवरण देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए नोट में उल्लिखित चंतावनी की ओर उस उम्मीदवार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :—

1. अपना पूरा नाम लिखें।
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान लिखें।

2. (क) क्या आप ऐसी जाति से गोरखा, गढ़वाली, असामी, नागालैण्ड आदिवासी आदि में से किसी से संबंधित हैं

5. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यूरे दें :—

यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु का और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

जिनका औसत कद स्पष्टतः दूसरों से कम होता है? 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए।

उत्तर 'हां' में तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बूखार, ग्रिथिया (ग्लण्डस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, बिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौर रिह्यू-मेटिज्म, एन्डोमेट्रिस हुआ है?

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दर्दना जिनके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो।

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई?

6. क्या इससे पहले किसी मॉडकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? (3) वर्ष दर्शा संबंधी दाय
7. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो तो बतलाइए किसी संवा/किन संवाओं में पद (पदों) के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)
8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? (5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुएल एथिबिटी)
9. मॉडकल बोर्ड कब और कहाँ था ? (6) फण्डस की जांच

चश्मे की प्रबलता

10. मॉडकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ?

दृष्टि तीक्ष्णता

चश्मे के बिना, चश्मों के साथ सहूफी। चश्मे के बिना चश्मे के साथ सिबि
एस० पी० एस० सी० सीस

दूर की तजर

दा०ने०
बा०ने०

पास की तजर

दा०ने०
बा०ने०

हाईपरमेट्रोपिया

दा०ने०
बा०ने०

मैं घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा विश्वास है ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किए

बार्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नोट :—उपर्युक्त कथन की सहायता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा ।

जान-बूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति का बँटन का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्ति भी जाए तो वार्धक्य नियुक्ति भत्ता (सुपरग्रनुएशन अलाउन्स) का आनुत्तोषक (ग्रेण्टी) के सभी धारों से हाथ धो बैठेगा ।

(*) उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा से सम्बद्ध मॉडकल बोर्ड की रिपोर्ट :

(उम्मीदवार का नाम)

1. सामान्य विकास : अच्छा साधारण कम

पोषण : पतना औसत मोटा

कद (जूते उतार कर) वजन

अत्युत्तम वजन

कब था

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन

तापमान

छाती का घंटा

(1) पूरा सांस खींचने पर

(2) पूरा सांस निकालने पर

2. त्वचा

कोई प्रत्यक्ष बीमारी

3. नंत्र

(1) कोई बीमारी

(2) रतौधी

4. कान निरीक्षण सुनना

बायाँ कान बायाँ कान

5. ग्रंथियाँ थायरॉइड

6. दाँतों की हालत

7. पेशुन तंत्र (रेसापिरेटरी सिस्टम) :—क्या शारीरिक

परीक्षण करने पर साँस के अंगों में किसी असमान्यता का पता चलता है ।

.

.

यदि हाँ तो उसका पूरा ब्यौरा दें ।

.

.

8. परिसंकरण तंत्र (सक्यूररी सिस्टम) :

(क) हृदय : कोई आंगिक विकार (आर्गेनिक लीजन)

(बंग) (स्टे)

रुड़े होने पर

25 बार फुदकने के बाद

फुदकने के 2 मिनट बाद

(ख) बन्द प्रेशर

सिस्टॉलिक

डायस्टॉलिक

9. उबर (पेट); घेर
(टोण्डरनेस)
हॉनिया
(क) स्पर्शिय यकृत
तिल्ली
गुर्दा
ट्यूमरस
(ख) रक्तार्श
भगन्वर
10. तंत्रिका तंत्र (सर्वस सिस्टम) : तंत्रिका या मानसिक
असक्तता का संकेत ।
11. चलन तंत्र (लोकमोटर सिस्टम) : कोई असामान्यता ।
12. जनन सूत्र तंत्र (जंजिंटों सूरीनरी सिस्टम) : हाइड्रो-
सील, दारिकारील आदि का बौद्ध संकेत । सूत्र विश्ले-
षण ।
(क) कैसा दिखोई पड़ता है ?
(ख) विशिष्ट घनत्व (स्पैसिफिक ग्रेविटी)
(ग) एल्ब्यूमेन
(घ) शक्कर
(ङ) कास्ट
(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट ।
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे
वह उस सेवा से सम्बद्ध जिसका वह उम्मीदवार है,
ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो
सकता है ?

नोट : यदि उम्मीदवार कोई महिला है और वह 12 सप्ताह
या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उसे विनि-
यम 9 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर
दिया जाएगा ।

15. निम्नलिखित 7 श्रेणियों में से उम्मीदवार का किस
सेवा के लिए परीक्षण किया गया है तथा अपने कर्तव्यों
को बिना बाधा के भली-भांति निभाने के लिए उन्हें
किस सेवा के लिए पूरी तरह से सक्षम पाया गया है
तथा उनमें से किन सेवाओं के लिए सक्षम नहीं पाया
गया है :—

- (1) रेल इंजीनियरी सेवा ग्रेड "क" (सिविल,
वीथुत, यांत्रिक तथा सिगनल) सी. इ. एस.
ग्रेड "क", सी. इ. एवं एम. इ. एस. ग्रेड
"क" ।
- (2) आई. आई. एस. ग्रेड "क", सी. डब्ल्यू.
इ. एस. ग्रेड "क", सी. पी. इ. एस. ग्रेड
"क" सी. इ. एस. (संबंध) ग्रेड "क" ।

सहायक कार्यकारी इंजीनियर तथा सहायक इंजी-
नियर, (पी एण्ड टी ब्रेड) सिविल इंजीनियरी
स्कन्ध इंजीनियर के पद ग्रेड "क" (डब्ल्यू पी
तथा सी स्कन्ध मानीटर संगठन), आई टी एस,
आई एन ए एस ग्रेड "क" बी आर इ एस ग्रेड
"क" ।

- (3) रक्षा मंत्रालय भारतीय संरक्षण में एम इ एस
ग्रेड क तथा कार्यशाला अधिकारी ग्रेड क तथा ग्रेड
ख ।
- (4) आई ओ एफ एस (ग्रेड क) ।
- (5) डाक एवं तार विभाग में सहायक प्रबंधक (कार-
खाना), ग्रेड क ।
- (6) आई टी एस ग्रेड 'क' ।
- (7) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में आई आर एस
एस ग्रेड "क" आई एस एस ग्रेड क, आई टी
एस ग्रेड ख तथा सहायक जूनीलिंग इंजीनियर ग्रेड
क के पद. यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रेड क
तथा सहायक यांत्रिक इंजीनियर, ग्रेड ख और
भारी उद्योग विभाग में सहायक निदेशक (हक-
नीकी) ।

नोट :—बोर्ड को अपना निष्कर्ष निम्नलिखित वर्गों में से
किसी में रिकार्ड करना चाहिए :—

- (1) योग्य (फिट) (2) के कारण अयोग्य
(अनफिट)

उपस्था
सदस्य

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट—3

उन सेवाओं/पदों का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए इस परीक्षा
के परिणाम के आधार पर भर्ती की जा रही है

1. भारतीय रेल इंजीनियर सेवा भारतीय रेल गिद्युत
इंजीनियर सेवा, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी
सेवा भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा और भार-
तीय रेल भंडार सेवा ।

(क) परीक्षा :—इन सेवाओं के लिए किए गए भर्ती उम्मीद-
वार तीन वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसमें उन्हें दो वर्ष
का प्रशिक्षण लेना होगा तथा किसी कार्यकारी पद पर न्यूनतम
एक वर्ष के लिए परीक्षा पर रहना होगा । यदि उक्त प्रशि-
क्षण को संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण किसी स्थिति
में प्रशिक्षण अवधि का तद्वाना पड़ा तो तदनुसार परीक्षा की कुल
अवधि भी बढ़ा दी जाएगी परीक्षा की अवधि के दौरान भी
यदि कार्यकारी पद पर काम संतोषजनक नहीं पया गया तो सर-

कार द्वारा परीक्षा की कुल अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(स) प्रशिक्षण :—समस्त परीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा/पत्र विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। उन्हें इस अवधि के लिए उक्त प्रशिक्षण एग्रे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा और एग्रे परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए :—

(ग) नियुक्ति की समाप्ति :—

- (1) परीक्षा की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर से तोा रहने का लिखित नोटिस देकर परीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप सेवा से बहिस्तगी और सेवा से हटाने के तथा मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में ऐसा नोटिस बोना आवश्यक नहीं होगा किन्तु सरकार को तत्काल सेवाएं समाप्त करने का अधिकार है।
- (2) यदि सरकार की राय में किसी परीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक रहे या उसके कार्य कुशल बनने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।
- (3) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। परीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिन्दी में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

(घ) स्थायीकरण :—परीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने तथा सभी निर्धारित विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप तथा नियुक्ति के लिए सभी छिष्टियों से योग्य समझे जाने पर परीक्षाधीन अधिकारियों को उक्त सेवा को कनिष्ठ बतनमान में स्थायी कर दिया जाएगा।

(ङ) बतनमान :—

- (1) कनिष्ठ बतनमान :—रुपए 2200-75-2800-व. री.-100-4000
- (2) अरिष्ठ बतनमान :—3000-100-3500-125-4500
- (3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :—रुपए 3700-125-4700-150-5000
- (4) अरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :—रु. 5900-200-6700

इसके अतिरिक्त रुपए 5900 तथा 8000 के बतन के बीच के सुपरग्राहम बतनमान वाले पद भी जिनके लिए उपर्युक्त सेवाओं की अधिकारी पात्र हैं।

परीक्षाधीन अधिकारी कनिष्ठ बतनमान के न्यूनतम बतन से प्रारम्भ करेगा तथा उस समय बतनमान में अवकाश पेशान तथा बतन वृद्धियों के लिए परीक्षा पर बिताई गई अवधि को गिनने की अनुमति होगी।

महंगाई तथा अन्य भत्ते सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्राप्त होंगे।

परीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय तथा अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण न करने पर बतन वृद्धियों को रोकना या स्थगित किया जा सकता है।

(च) प्रशिक्षण व्यय लौटाना :—यदि किसी कारणवश जो सरकार की राय में परीक्षाधीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर नहीं है, कोई परीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अथवा परीक्षा से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उस परीक्षा की अवधि के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का पूरा व्यय और अन्य धनराशियों को वापस करना होगा। इस प्रयोजन के लिए परीक्षकों से एक बंध-पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी। किन्तु जिन परीक्षाधीन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण के व्यय को वापस नहीं करना होगा।

(छ) छुट्टी :—उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे।

(ज) चिकित्सा सुविधा :—अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधा एवं उपचार कराने के पात्र होंगे।

(झ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :—अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा विशेषाधिकार टिकटों के पात्र होंगे।

(ञ) भविष्य निधि तथा पेंशन :—उक्त सेवा के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमावली द्वारा शासित होंगे और समय-समय पर लागू उस निधि नियमों के अन्तर्गत राज्य रेलवे भविष्य निधि (गैर अंशदायी) में अंशदान करेंगे।

(ट) उक्त सेवाओं/पदों के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परिवहन पर कार्य करना पड़ सकता है।

(ठ) रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व :—यदि आवश्यकता हुई तो नियुक्त किए गए परीक्षाधीन अधिकारियों को भारत की रक्षा से सम्बन्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बन्ध पद पर कार्य करना होगा।

किन्तु उस व्यक्ति के :—

- (क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्ण-व्यक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

2. केन्द्रीय इंजीनियरों सेवा ग्रुप क और

केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियरों सेवा ग्रुप क

(क) नूतन तृण उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा सन्तुष्टक रूप में पूरी कर लेने पर उनके स्थायी करतब/कार्य करतब पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की दो वर्ष की अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

परीक्षा की अवधि या परीक्षा की कोई बढ़ी हुई अवधि समाप्त हो जाने पर यदि सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी/निर्दोष/व्यवहार के उपयुक्त नहीं है, या परीक्षा की इस अवधि या परीक्षा की बढ़ी हुई अवधि के दौरान किसी समय सरकार इस बात में सन्तुष्ट हो जाए कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति बरकरारी के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्य भूक्त कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है।

(ख) जैसी कि इस समय स्थिति है, केन्द्रीय इंजीनियरों सेवा ग्रुप क में नियुक्त सभी अधिकारी, सहायक कार्यपालक इंजीनियर के उच्चतर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अगले उच्च ग्रेड अर्थात् कार्यपालक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और वे एंसी पदोन्नति के अन्यथा योग्य पाए जाएं।

(ग) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बन्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (पीई काई है) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बन्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को :—

- (1) नियुक्ति की तारीख से बस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, और
- (2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ख) वेतन की प्राप्ति दरें निम्न प्रकार हैं :—

पद	वेतनमान
(1) कनिष्ठ समय वेतनमान (सहायक कार्यपालक इंजीनियर)	रु० 2200-75-2800- द० 200-100-4000
(2) वरिष्ठ समय वेतनमान (कार्यपालक इंजीनियर)	रु० 3000-100-3500- 125-4500

पद	वेतनमान
(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अधीक्षक इंजीनियर)	रु० 3700-125-4700-150-5000
क. सामान्य ग्रेड	रु० 4500-150-5700
ख. चयन ग्रेड	रु० 5900-200-6700
(4) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चीफ इंजीनियर)	
(5) सुपरटाइम स्केल अपर महानिदेशक	रु० 7300-7600
महानिदेशक (डब्ल्यू०)	रु० 8000 नियुक्त

(ये पद सभी तीन विषयों अर्थात् सिविल, इलैक्ट्रीकल और यांत्रिक तथा वास्तु इंजीनियरों के लिए समान हैं।)

नोट :—जो सरकारी कर्मचारी परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अथवा किसी स्थायी पद पर भूल रूप से कार्य कर चुका है उसका वेतन एफ. आर. 22 (बी) (1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ड) केन्द्रीय इंजीनियरों सेवा ग्रुप (क) और केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों सेवा ग्रुप (क) के पदों के संबंधित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्वरूप :—

1. केन्द्रीय इंजीनियरों सेवा ग्रुप क

इंजीनियरों सेवा परीक्षा के माध्यम से सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार की सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार के) जिसमें आवासीय भवन, कार्यालय, भवन संस्था तथा अनुसन्धान केन्द्र, औद्योगिक भवन, अस्पताल को भूमि की विकास योजना, हवाई अड्डे, महामार्ग तथा पुल आदि सम्मिलित हैं, आवाजन अभिकल्पन निर्माण और रख-रखाव के कार्य पर लगाए जाते हैं। इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के रूप में शुरू करते हैं और अपनी सेवा करते-करते पदोन्नत होकर विभाग के विभिन्न वरिष्ठ ओहदों पर पहुंच जाते हैं।

2. केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों सेवा ग्रुप क

इंजीनियरों सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार के सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार) के विद्युत घटकों के जिसमें विद्युत संस्थान इलैक्ट्रिकल सबस्टेशन तथा पावर हाउस, वातान-कूलन तथा प्रशीतन, हवाई अड्डों की रानवे लाइटिंग, यांत्रिक कर्मशाखाओं का परिचालन, निर्माण मशीनरी की प्राप्ति तथा रख-रखाव आदि सम्मिलित हैं। आयोजन, अभिकल्पन निर्माण और रख-रखाव से कार्य लगाए जाते हैं। इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियरों के रूप में शुरू करते

है और अपनी सेवा करते-करते वे पदोन्नत होकर विभाग में विभिन्न शरिष्ठ ओहदों पर पहुँच जाते हैं।

3. सेना इंजीनियरी सेवा (ग्रुप क)

(क) जूने हुए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित तथा भाषा सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ सकती है। यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य तथा आचरण असन्तोषजनक रहा है या ऐसा आभास होता है कि उसके कुशलता प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है अथवा यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी उक्त अवधि के दौरान निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार उसे नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य तथा आचरण असन्तोषजनक रहा है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि इतनी बढ़ा सकती है जितनी वह ठीक समझे।

उम्मीदवार को दो वर्षों की परिवीक्षा की अवधि के दौरान एम. ई. एस. प्रोसेजर सुपरिन्टेन्डेंट्स बी. आर. एण्ड ई. एम./ ग्रेड-1, एक्जामिनेशन तथा हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने होंगे। हिन्दी परीक्षा का स्तर प्राज्ञ (मैट्रिकुलेशन स्तर के समकक्ष) का होगा।

(ख) (1) जूने हुए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी प्रशिक्षण पर बिनाई गई अवधि यदि कोई है, सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा किन्तु ऐसे उम्मीदवारों को :—

- (1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (3) उम्मीदवारों पर एम. आर. ओ. नं. 92 दिनांक 9 मार्च, 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957 के सिविलियन इन डिफेंस सर्विस (फील्ड लाइबिलिटी) रूल्स के अन्तर्गत उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

(ग) ग्राह्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं :—

(क) सहायक कार्यकारी इंजीनियर/
सहायक निर्माण सर्वेक्षक

रु. 2200-75-2800-द० रो०-100-4000

(ख) कार्यकारी इंजीनियर/
निर्माण सर्वेक्षक

रु. 3000-100-3500-125-4500

(ग) अधीक्षक इंजीनियर

(साधारण ग्रेड)

अधीक्षक निर्माण

सर्वेक्षक (साधारण ग्रेड)

रु. 3700-125-4700-150-5000

(घ) अधीक्षक इंजीनियर

(चयन ग्रेड)

अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक

(चयन ग्रेड)

रु. 4500-150-5700

(ङ) अपर मुख्य अभियंता—

4500-150-5700 रु. + 400/- रुपए
प्रतिमास का विशेष वेतन

(च) मुख्य अभियंता/
मुख्य निर्माण सर्वेक्षक

5900-200-6700 रुपए

(छ) अपर महानिदेशक (निर्माण)

7300-100-7600 रु.

4. भारतीय आयुध कारखाना सेवा (ग्रुप क)

(क) जूने हुए उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे। सरकार महानिदेशक, आयुध कारखाना अध्यक्ष आयुध कारखाना बोर्ड की सिफारिश पर परिवीक्षा अवधि घटा या बढ़ा सकती है। परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सरकार द्वारा यथाविहित विभागीय तथा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। भाषा के परीक्षण का हिन्दी में परीक्षण होगा।

सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा। किन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा है तो सरकार उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी ठीक समझे और बढ़ा सकती है।

(ख) (1) जूने हुए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी परीक्षण पर बिनाई गई अवधि, यदि कोई है, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा। किन्तु उस व्यक्ति को (1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा और (2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(2) उम्मीदवार पर एम. आर. ओ. नं. 92 दिनांक 9 मार्च, 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957

के सिविलियन इन डिफेंस सर्विस (फोल्ड नाइबिलिटी) क्लस भी लागू होंगे। उनमें निर्धारित चिकित्सा स्तर के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जायेगी।

(ग) निम्नलिखित वेतनमान देय है :—

कनिष्ठ समय वेतनमान—रु. 2200-75-2800-द०

रो०-100-4000/-

वरिष्ठ समय वेतनमान—रु. 3000-100-3500-125-4500/-

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सामान्य ग्रेड)—रु. 3700-125-4700-150-5000/-

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन ग्रेड)—रु. 4500-150-5700/-

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु. 5900-200-6700/-

वरिष्ठ जनरल मैनेजर—रु. 7300-100-7600/-

अतिरिक्त महानिदेशक, आयुद्ध कारखाना/सदस्य, आयुद्ध कारखाना बोर्ड—रु. 7300-200-7500-250-8000/-

महानिदेशक आयुद्ध कारखाना/अध्यक्ष आयुद्ध कारखाना, बोर्ड—रु. 8000/-

टिप्पणी :—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले प्रावधिक पद को उलाना किसी स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका है उसका वेतन रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित का. जा. सं. 15(6)/64/डी (ए।एन्टमेंट्स)/1051/डी. (सी. 41/) दिनांक 25 नवम्बर, 1965 के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(घ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को मंजूरी/तामपूर फाउण्डेशन कोर्स करना होगा।

(ङ) इस प्रकार भर्ती हुए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा प्रारम्भ करने से पहले एक बन्धपत्र भरना होगा।

5. भारतीय दूर संचार (ग्रुप क)

(क) दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त परिवीक्षा पर की जायेगी। सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारियों का कार्य तथा आचरण आदि अमंतोपजनक है या उसे यह आभास होता है कि उसके द्वारा प्रदात करने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल कार्यमुक्त कर सकती है। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकार उसे वक्त नियुक्ति पर स्थाई बना सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य अथवा आचरण अमंतोपजनक रहा है तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती है या जितनी ठीक समझे उतनी अवधि के लिए उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान जो भी गिनाधीन परीक्षा या परीक्षण निर्धारित की जाये, अधिकारियों को उत्तीर्ण करनी होगी। उसको स्थाई किए जाने से पहले हिन्दी का परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) अधिकारियों को व्यवसाय तथा भाषा संबंधी परीक्षण भी उत्तीर्ण करने होंगे।

(ग) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़े तो भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी परीक्षण पर बिनाई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित कक्ष से कम चाय वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करवाया जाएगा, किन्तु उस व्यक्ति को :—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य करना होगा।

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(घ) निम्नलिखित वेतनमान प्राय्य है :—

(1) कनिष्ठ समय वेतनमान—2000-75-2800-द० रो०-100-4000-रु०

(2) वरिष्ठ समय वेतनमान—3000-100-3500-125-4500/-रु०

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—3700-125-4700-150-5000/-रु०

(4) चयन ग्रेड—4500-150-5700/-रु०

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—5900-200-6700/-रु०

(6) सी० जी० एम० ग्रेड—7300-100-7600/-रु०

(7) मलाहकार ग्रेड—7300-200-7500-250-8000 रु०

(8) अधिकारीगण दूर संचार आयोग के सदस्यों के पदों के लिए विचार लिए जाने के लिए भी पात्र होंगे तथा यह भारत सरकार के सचिव के समक्ष होगा—8000/-रु०

नोट :—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले प्रावधिक पद को उलाना किसी स्थाई पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो उसका वेतन एक. आर. 22 थी (1) के उपबन्धों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप क के अधीन कनिष्ठ वेतनमान में यदि किसी अधिकारी का स्थानापन्न वेतन रु. 2350/- या इससे

अधिक है तो वह तब तक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं करेगा जब तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके।

(ड) भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप के पदों से सम्बद्ध कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व।

सहायक डिवीजनल इंजीनियर

सहायक डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ-टेलीफोन इंजीनियरी सब डिवीजन, कैंटर, थी. एफ. टी. क्रोएक्सीजल माइक्रो-वेव, लांग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक तथा वायरलेस स्टेशन के इन्चार्ज होंगे और सामान्यतः डिवीजनल इंजीनियर के अधीन कार्य करेंगे। वे विभिन्न दूर संचार निर्माण के संस्थापन परियोजना संगठन में भी जुड़े रहेंगे।

डिवीजनल इंजीनियर

डिवीजनल इंजीनियर को टेलीग्राफ/टेलीफोन इंजीनियरी डिवीजन के अंतर्गत लांग डिस्टेंस, कोक्सजल माइक्रोवेव, मॉस्टनेस डिवीजन तथा वायरलेस डिवीजन शामिल है, का प्रभारी बनाया जाता है। वे अपने प्रभार में रहने वाले टेलीग्राफो तथा टेलीफोनो के उपकरणों के रख-रखाव के पूरे जिम्मेदार होंगे तथा अपनी डिवीजन में रह करके कार्य करेंगे। जब डिवीजन अधिकारी इंजीनियरी/परियोजना संगठन पर लगाए जाते हैं तो उन्हें यूनिट में निर्माण/संस्थापन कार्य करना होगा।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

दूर संचार सर्किल और टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में दूर संचार सम्बन्धी परिमपत्तियों के प्रशासन और दूर संचार संस्थाओं के प्रशासन तथा आयोजन के लिए दूर संचार प्रणालियों आदि में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। वे माइनर टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट दूर संचार सर्किल, आदि के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं सी. जी. एम. ग्रेड

दूर संचार सर्किल/टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सर्किल दूर संचार अन्वेषण क्षेत्र का प्रधान, जो कार्यभार में उसकी पूरी तरह से प्रबंध प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार होगा उप महानिदेशक दूर संचार आयोग, दूर संचार आयोग की नीति निर्धारित करने तथा समय प्रशासन करने में उच्चस्तरीय सहायता प्रदान करता है। वरिष्ठ उप महानिदेशक दूर संचार इंजीनियरी केंद्र तथा उप महानिदेशक दूर संचार इंजीनियरी केंद्र के अगसन्धान संबंधी समस्त कार्यकारणों के लिए जिम्मेदार हैं।

व्यवस्थापक ग्रेड

भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक में मुख्यतः कार्मिक सम्बन्धी नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी : स्थानीय तथा दूरभाषी दोनों प्रकार के दूरसंचार नेटवर्क का संचालन और रख-रखाव; फन्ड यूनिटों के आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति/परियोजनाओं और उत्पादन का समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करने लीज्ड यूनिटों द्वारा वार्षिक योजना का क्रियान्वयन सनि-

श्चित करना तथा दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और उनका समावेश करना।

6. केन्द्रीय जन इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा

(1) केन्द्रीय जन आयोग में सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर भर्ती हुए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

किन्तु सरकार, आवश्यक होने पर, दो वर्ष की उक्त अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकती है।

यदि परीक्षा की उपर्युक्त या बढ़ी हुई अवधि, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त होने पर सरकार को यह राय हो कि उम्मीदवार स्थाई नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है या परीक्षा की इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार मंगल हो जाए कि वह स्थाई नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या उसको उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है।

परीक्षा की अवधि के दौरान सरकार उम्मीदवारों से प्रशिक्षण का ऐसा कोई कोर्स करने और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने को कह सकती है जिसे वह परीक्षा की सफल पूर्ति की एक दर्ज के रूप में ठीक समझे।

(2) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर विस्थाई गई अवधि यदि कोई हो, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को —

(1) नियुक्ति की तारीख में इस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नही करना होगा।

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नही करना होगा।

(3) सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद पर नियुक्त अधिकारी निर्धारित शर्तों पूरी करने के बाद उपनिदेशक/कार्यपालक इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर/निदेशक साधारण ग्रेड/निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड) मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) म. इ. (स्तर-1) में सदस्य/अधीक्ष सी. उच्च सी. के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं।

(4) केन्द्रीय जल आयोग में इंजीनियरी पदों के ग्रुप 'क' के लिए बतनमान निम्न प्रकार है :-

13 केन्द्रीय जल आयोग में सिविल और यांत्रिक पद

1. सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियरी--
र० 2200-75-2800-द० र०-100-4000 ।
2. उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियर--र० 3000-100-
3500-125-4500 ।
3. अधीक्षक निदेशक/इंजीनियर (साधारण ग्रेड)--र०
3700-125-4700-1450-5000 ।
4. निदेशक अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड)--र० 4500-
150-5700 ।
5. मुख्य इंजीनियर--र० 5900-200-6700 ।
6. सदस्य सी० डब्ल्यू० सी०/अध्यक्ष, जी० एफ० सी०
सी०--र० 7 300-100-7600 ।
7. अध्यक्ष सी० डब्ल्यू० सी०--र० 8000 (नियत)

(5) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप क) सेवा में पदों से संबद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप ।

सहायक निदेशक (सिविल और यांत्रिक)

स्विंदाई, नौबालान, विद्युत धरालू, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और कना प्रयोजनों के विकास हेतु जल साधनों के संरक्षण तथा विनियमन के लिए आकलन, रिपोर्ट आदि तैयार करने सहित परियोजनाओं की योजना सर्वेक्षण अन्वेषक तथा अभिकल्पना ।

सहायक कार्यकारी इंजीनियरी (सिविल तथा यांत्रिक)

उन्को अर्बिटल उपमण्डल या अन्य अर्कों के निर्माण कार्य के लिए वे जिम्मेदार होंगे । उन्हें अपने प्रभार के अधीन रोकड तथा भंडारों का लेखा-जोखा रखना होगा तथा परीक्ष रूप में उपमण्डल में प्रत्येक कार्य की प्रगति के लिए काल अनुसंधानिक कार्यों को भी देखना होगा । विहित नियमों आदि के अनुसार वे अपने प्रभार के अधीन माफ बहिर्गों मस्टर रोल तथा अन्य अभिलेखों को सही रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियर (ग्रुप क) सेवा

(1) संगठन का विवरण

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा (3) (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण संगठित किया गया था और इसका दायित्व राष्ट्रीय विद्युत साधनों के निर्माण तथा उपयोग के संबंध में योजना अभिकर्तों के कार्यकलापों में सम्मिलित करने के लिए एक सुदृढ़ पर्याप्त और एकरूप विद्युत नीति का विकास करना है । देश की सभी विद्युत योजनाओं (संरक्षण संरक्षण वितरण और विशुद्ध आपूर्ति का उपयोग) की संभावना तकनीकी विश्लेषण, आर्थिक व्यवहार्यता आदि के सम्बन्ध में यह सनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में संवीक्षा की जाती है कि ये योजनाएँ राष्ट्रीय तथा क्षेत्रों के समस्त विकास के लिए उपयुक्त होंगी और सब प्रकार

से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अनुरूपी होंगी । इस संगठन का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास और विद्युत को इसकी मुख्य गतिदायी शक्ति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

(2) उस ग्रेड का विवरण जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है । र० 2200-4000 के बतनमान के सहायक निदेशक, (ग्रेड-1) सहायक प्राधिकारी इंजीनियर के ग्रेड में पचास प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर ली गई इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाते हैं ।

केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप क) में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) ।

सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहने के लिए जहां आवश्यक हो वहां सरकार उक्त दो वर्षों की अवधि के अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकती है जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि उपर्युक्त परीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि जैसी भी स्थिति हो, के समाप्त होने के बाद सरकार यह समझे कि कोई उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा ऐसी परीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय वह इस बात में संतुष्ट हो कि उक्त उम्मीदवार ऐसी परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा में रख सकता है या उसके स्थायी पद पर प्रत्या-स्थानित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे ।

परीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा तथा अनुदेश का पालन करना होगा तथा सभी परीक्षाओं उत्तीर्ण करनी होंगी जो सरकार द्वारा परीक्षा की अवधि की संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में निर्धारित की जाएं ।

यदि आवश्यकता है तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा में सम्बन्ध किसी प्रशिक्षण पर विचारित गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बन्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस अवधि में व्यक्ति को--

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा; और

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु से जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(3) उच्चतर श्रेणियों के लिए पदोन्नति

सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर नियुक्त अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा नियमावली, 1965 में निर्धारित शर्त पूरी करने के बाद उन्हीं श्रेणियों अर्थात् उपनिवेशक कार्यपालक इंजीनियर, निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर (साधारण ग्रेड) निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड), उप मुख्य इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर, के रूप में नियुक्ति को प्राप्त है यद्यत् कि संबंधित श्रेणियों में नियुक्तियां उपलब्ध हों।

(4) वेतनमान

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में केंद्रीय विद्युत इंजीनियर (ग्रुप 'क') के सेवा के पदों पर वेतनमान निम्नलिखित है :—

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत यांत्रिक और दूर-संचार से संबंधित पद :—

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान
1.	सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यकारी इंजीनियर	रु० 2200-75-2800- द० रो० 100-4000
2.	उप निदेशक कार्यकारी इंजीनियर	रु० 3000-100- 3500-125-4000
3.	निदेशक अधीक्षण इंजीनियर (साधारण ग्रेड)	रु० 3700-125-4700 -150-5000
4.	निदेशक अधीक्षण इंजीनियर (चयन ग्रेड)	रु० 4500-150- 5700
5.	मुख्य इंजीनियर सर्वस्य-सचिव	रु० 5900-200-6700

(5) कर्तव्य और क्षमता

सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पदों पर संबंधित कर्तव्यों के और क्षमताओं के स्वरूप इस प्रकार है :—

विद्युत विकास के क्षेत्रों का विविध प्रकार की समस्याओं से संबंधित अपेक्षित तकनीकी तथ्यों का संग्रह, संकल्प और परस्पर संबंध उन्हें इनसे संबंधित मामलों को भी निपटाना है जिसमें हाइड्रो तथा धार्मिक पावर परियोजनाओं की स्थापना संचालन अनु-रक्षण तथा विद्युत योजनाओं परियोजनाओं अभिकलाओं आदि के तैयार करने में सहायता देते हुए उनकी संरचना तथा वितरण/विद्युत प्रणालियों की परियोजना रिपोर्टों का अध्ययन करना सम्मिलित है। क्षेत्र एककों में कार्य करते हुए वे उप मंडल या उनको आबंटित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के पद

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर कनिष्ठ/यांत्रिक इंजीनियर कनिष्ठ (ग्रुप क पद) पदों पर अस्थायी आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिशिक्षण पर रहेंगे। दो वर्ष में अधिक अतिरिक्त अवधि के

लिए सेवा में उनका रखना परिशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। सरकार को विवीक्षा पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। उन्हें क्रमशः रुपए 2200-75-2500-द. रो०-100-4000 के समय वेतन-मान में वृद्धि मिलेगी। संतोषजनक रूप से उनकी परिशिक्षण की अवधि पूरी कर लेने पर यदि वे स्थायी नियुक्ति के योग्य समझे जाते हैं तो मूल रिक्तियों के उपलब्ध होने पर नियमानुसार उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

यदि आवश्यकता हुई तो भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर कनिष्ठ/यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भारत की रक्षा से संबंधित किसी प्रशिक्षण पर विताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा में भारत की रक्षा से संबंधित पद पर कार्य करना होगा।

किन्तु उस व्यक्ति को :—

- (1) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) या यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) के पद पर नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा, और
- (2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

इस विषय पर नियमों और अनुदेशों के अनुसार जो उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं उनके लिए पदोन्नति का क्षेत्र निम्नलिखित है :—

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (क) बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) के लिए | रु० 2200-75-2500
द० रो०-100-4000 |
| (1) बरमा इंजीनियर (वरिष्ठ) | रु० 3000-100-
3500-125-4500 |
| (2) निदेशक (बरमा) | रु० 3700-125-
4700-150-5000 |
| (3) उप-महानिदेशक (इंजीनियरी सेवा) | रु० 5900-200-6700 |
| (4) वरिष्ठ उप महानिदेशक | रु० 7300-100-7600 |
| (ख) यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' | रु० 2200-75-2500-
द० रो०-100-4000 |
| (1) यांत्रिक इंजीनियर (वरिष्ठ) | रु० 3000-100-
3500-125-4500 |
| (2) निदेशक (यांत्रिक इंजीनियरी) | रु० 3700-125-4700-
150-5000 |
| (3) उप महानिदेशक (इंजीनियरी सेवा) | रु० 5900-200-6700 |
| (4) वरिष्ठ उप महानिदेशक | रु० 7300-100-7600 |

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में भतीं किए गए अधिकारियों को भारत में या विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

नोट :—उन सरकारी कर्मचारियों का वंत्तन, जो परिवीक्षा-धीन नियुक्ति से पहले स्थायीपद ह्रांसयत से किसी आवाधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर हैं, एफ. आर. 22-ख (1) के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ)
पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्व का स्वरूप

बरतन वाहनों और अन्य उपकरणों अनुसरण तथा मरम्मत, विविध क्षेत्रों के कर्तव्यों तथा कार्यों के लिए ब्राइवरों तथा वाहनों का आवंटन पी. आर. एल. अंकों तथा अभिलेखों, लागू बूक, इति वृत्तियों की संवीक्षा तथा अनुसरण। डिप्लिंग और विज्ञान अनुसंधानों का संघिरचना तथा विनिर्माण।

बरतन इंजीनियर (कनिष्ठ)

कोर रिक्वरी का इष्टतम प्रतिशत निश्चित करते हुए एक या अधिक डिप्लिंग रिगों से खनिज अन्वेषण के संबद्ध में छेदन कार्य करना। सरकारी भंडारों और उभके मौपे गए हम्प्रेट को ठीक प्रकार से सुरक्षा के लिए नगाईं गइं मशीनरी और वाहनों का समारक्षण। भंडारों तथा रोकड़ लंखों को रखना और अपन अधीन नियोजित कर्मचारी वर्ग को देखना।

9. इंजीनियर ग्रुप-क वायरलेस योजना और समन्वय स्कन्ध/अनुभवण संगठन, संचार मंडालय (दूर संचार विभाग)

(क) वंत्तनमान रुपए 2200-75-2800-व. सं. -100 4000।

(ख) ग्रेंड में पांच वर्ष की सेवा करने के बाद इंजीनियरी के पदधारी सहायक वायरलेस सलाहकार, वायरलेस योजना और समन्वय। स्कन्धों इंजीनियर प्रभारी अनुभवण संगठन (वंत्तनमान रुपए 3000-100-3500-125-4500 तथा सहायक वायरलेस सलाहकार के पद के लिए रुपए 200/- प्रतिमास विरंण वंत्तन) के ग्रेंड में रिक्तियों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति के पात्र हैं। सहायक वायरलेस सलाहकार/इंजीनियर प्रभार के ग्रेंड में उन की पदोन्नति ग्रुप के पदों के लिए संगठित की गईं विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंसाओं पर उनके चयन के आधार पर की जाएगी। सहायक वायरलेस सलाहकार/इंजीनियर प्रभारी ग्रेंड में 5 वर्ष की सेवा रखने वाले सभी सहायक वायरलेस सलाहकार और इंजीनियर प्रभारी उप वायरलेस सलाहकार/उप निदेशक (वंत्तनमान रु: 3700-125-4700-150-5000) के पद पर पदोन्नति के लिए थिहार किए जाने के पात्र हैं। उप वायरलेस सलाहकार उप निदेशक के ग्रेंड में रिक्तियों ग्रुप के पदों के लिए गठित की

गईं विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंसाओं पर चयन करने के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जाती है।

अगले उंचे ग्रेंड में पदोन्नति हेतु तथा पूर्विकत अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की है और संबद्ध ग्रेंड में पदोन्नति केवल रिक्त की उपलब्धता पर होगी।

(ग) इंजीनियर के पद पर नियुक्ति किए गए व्यक्ति को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

(घ) यदि आवश्यकता हुईं तो इंजीनियर के पद पर नियुक्ति किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर दिताईं गईं अधीध (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति—

(1) नियुक्ति की तारीख से बस वर्ष की समाप्ति के बाद पृथक् रूप में कार्य न करना होगा, और

(2) सामान्यत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्णिक रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ड) पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप—

(1) डप्ल्यू. पी. सी. स्कन्ध/वायरलेस मीनिटरिंग संगठन के विभिन्न एककों के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा प्रशिक्षण।

(2) सम्बद्ध रेडियों आवृत्ति वर्णक्रमों तथा विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन को आवृत्त करने वाली रेडियों आवृत्ति मीनिटरिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिकीकरण के विभिन्न वर्गों एंटीना तथा सहायक उपकरणों का प्रतिष्ठापन, अंशरक्षण, परीक्षण, तथा अन्तरक्षण।

(3) भिन्न-भिन्न प्रकार की रेडियों संचार सेवाओं के लिए विभिन्न प्रयोज्य विभागों/संगठनों के वायरलेस प्रतिष्ठाओं का अज्ञापन एवं निरीक्षण।

(4) रेडियों आवृत्ति वर्णक्रम तथा नुत्यकारी उपग्रह कक्षा के उपयोग के राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय समन्वय से सम्बद्ध सभी पहलू जिसमें नियतन योजना का निर्माण, संगत तकनीकी मानकों की स्थापना-उपन्कर का प्रकार—अनुमोदन देखतु क्षुब्धकीय व्यदधान/संसंगति आदि का अध्ययन सम्मिलित हो।

(5) सम्बद्ध राष्ट्रीय नियमों तथा विनियमों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन सहित अन्तराष्ट्रीय रेडियों विनियमों का प्रवर्तन।

- (6) प्रवीणता/ग्रीडयो अव्यवसायी प्रमाण-पत्र आदि के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उनके लिए लाइसेंस जारी करना ।
- (7) रीीडयो आवृत्ति प्रबन्ध तथा मानीटरन से सम्बन्ध अनुसंधान तथा विकास कार्य करना ।
- (8) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ दूर संचार से संबंधित अन्य यथोचित अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगठनों की बैठकों तथा सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंध करना ।

- अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड)
 रु० 4500-150-4700-
 मुख्य इंजीनियर (सड़क/पुल) यांत्रिक-
 रु० 5900-200-6700/-
 अतिरिक्त महानिदेशक (सड़क/पुल)-
 रु० 7400-100-7600/-
 अतिरिक्त सचिव महानिदेशक (सड़क विकास)
 रु० 7300-200-7500-250-8000-

10. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) (ग्रुप 'क')

(क) चुने हुए उम्मीदवार सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर दो वर्ष के लिए परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे । परीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हों और वे स्थायी नियुक्ति के योग्य समझे जाते हैं तो उन्हें सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर स्थायी किया जाएगा । सरकार दो वर्ष की परीक्षा अवधि का बढ़ा सकती है ।

परीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर यदि सरकार यह समझती है कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर स्थायी नियोजक के योग्य नहीं है या ऐसी परीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान यह इंगित संतुष्ट है कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर ऐसी अवधि या बढ़ाई गई अवधि के समाप्त पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उस सहायक कार्यकारी इंजीनियर को सेवा निवृत्त कर सकती है अथवा उसे आदेश पार कर सकती है जो वह ठीक समझे ।

(ख) यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति का भारत रक्षा से सम्बन्ध किसी प्रशिक्षण पर दिताई गई, अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बन्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को --

- (1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा; और
- (2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु होने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ग) निम्नलिखित वेतनमान देय हैं :—

- सहायक कार्यकारी इंजीनियर—
 रु० 2200-75-2800-दो रो०-100-4000/-
 कार्यकारी इंजीनियर—
 रु० 3000-100-3500-125-4500 -
 अधीक्षक इंजीनियर—
 रु० 3800-125-4700-150-5000/-

टिप्पणी.—उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' ग्रुप 'ख' में परिवर्तित किया गया है, वेतन के लिए नियुक्ति से पहले मूल रूप में किसी आधिकाधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर है (एफ. आर. 22-1) के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

(घ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) पुल ग्रुप 'क' के पद से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप ।
 सिविल इंजीनियरी पद

सड़कों/पुलों के निर्माण के डिजाइनों की योजना बनाने उनके आकलन तैयार करने से भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क स्कंध के मुख्यालयों में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वरिष्ठ अधिकारियों आदि की सहायता करना और राज्यों में ऐसे निर्माणों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना ।
 यांत्रिक इंजीनियरी पद

सड़कों/पुलों के निर्माण उपकरणों के आयोजन, प्राप्ति, प्रचालन और अनुक्षण में भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क स्कंध के मुख्यालयों में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की सहायता करना; इस प्रकार के उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए आकलन तैयार करना और राज्यों में प्राप्त प्रस्तावों और आकलनों की समीक्षा करना ।

11. भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(क) उक्त सेवा के कनिष्ठ वेतनमान सीधे भर्ती द्वारा या पदान्तरित द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तित रहनेगा ।

- (1) किन्तु शर्त यह है कि नियंत्रण अधिकारी परीक्षा की अवधि के सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार घटा या बढ़ा सकता है ।
- (2) अगली शर्त यह है कि परीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई निर्णय परीक्षा की पहली अवधि के समाप्त के बाद आठ सप्ताहों के अन्दर किया जाएगा और सम्बन्ध अधिकारियों को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अन्दर लिखित रूप में संश्लेषित कर दिया जाएगा ।

(3) परिबीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के समापन पर अधिककारी को स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त षष्ट्य वर्ष की स्थिति में अपनी नियुक्ति पर नियमित आधार पर बनाए रखा जाएगा और उसकी यथावधि उपलब्ध मूल रिक्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा।

(4) यदि परिबीक्षा या बड़ी हुई परिबीक्षा की अवधि अभी भी स्थिति है के दौरान सरकार का यह मत है कि कोई अधिकारी सरकार में स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसे कार्यमूक्त कर सकती है या उसी पद पर वापस भेज सकती है जो वह उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले धारण कर रहा था, जैसी भी स्थिति है, या और कोई उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है।

(5) परिबीक्षा या बड़ी हुई परिबीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को परिबीक्षा के सफल समापन की शर्त के रूप में सरकार द्वारा यथासंप्रभित शिक्षण तथा प्रशिक्षण कोर्स पूरे करने होंगे और परीक्षा तथा परीक्षण (हिन्दी परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने होंगे।

(ख) सेवा में नियुक्ति—उक्त सेवा के विभिन्न इंडों के सभी पदों पर सभी नियुक्तियाँ—चाहे वे "आकाशवाणी" में हों या "दूरदर्शन" में हों—नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(ग) भारत के किसी भाग में सेवा का दायित्व सेवा की अन्य शर्तें :—

(1) एंसी नियुक्ति की तारीख से या उक्त सेवा के किसी भाग में का प्रारम्भ सेवा कर्मजी छुट्टी प्रारम्भ की है।

(2) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी को भारत की रक्षा से सम्बन्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है जिसमें प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित है किन्तु ऐसे अधिकारी को:—

(1) एंसी नियुक्ति की तारीख से या उक्त सेवा के प्रारम्भक गठन से पहले कार्य ग्रहण की तारीख में 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा।

(2) सामान्य : 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा।

(घ) उक्त सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों में उन मामलों पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू होंगे जिनके सम्बन्ध में इन नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है।

ग्राह्य वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—

- (1) कनिष्ठ वेतनमान
रु० 2000-75-2800 व० रो० 100-4000/-
- (2) वरिष्ठ वेतनमान
रु० 3000-100-3500-125-4500/-
- (3) जे०ए० जी०
रु० 3700-125-4700-150-5000/-
- (4) जे०ए० जी० (चयन ग्रेड)
रु० 4500-150-5700/-
- (5) एस०ए० जी०
रु० 5900-200-6700/-
- (6) इंजीनियर-इन-चीफ
रु० 7300-100-7600/-

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा ग्रुप 'क' के कनिष्ठ वेतनमान के पद के सम्बन्ध कार्य तथा उत्तरदायित्व के प्रकार ब्राडकास्ट, टी. वी. स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का अभिकल्पन, संस्थापन, प्रचालन और अनुरक्षण सहायक इंजीनियरों के कार्य पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व।

12. भारतीय नौसेना आयुद्ध सेवा

(क) पद पर नियुक्ति के लिए चुन गए उम्मीदवारों को वं वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा और यह अवधि सक्षम प्राधिकारी की विवेका पर बढ़ाई जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी की राय से परिबीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी न करने पर उन्हें सेवा-मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस की अपेक्षित अवधि (अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से एक महीना और स्थायी नियुक्ति के मामले में तीन महीने) देकर किसी समय भी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किन्तु सरकार को नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं नोटिस की अवधि या इसके समाप्त न हुए भाग के लिए वेतन तथा भत्तों के बराबर की राशि का भगतान करके तत्काल या नोटिस की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले समाप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) वं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रक्षा सेवा प्राक्कलन से प्रदत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तों के अधीन होंगे। वं समय-समय पर संशोधित फील्ड सर्विस दायित्व नियमावली 1957 के अधीन होंगे।

(घ) उनका भारत या विदेश में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(क) बतैनमान तथा वर्गीकरण—ग्रुप — राजषाप्रित

- (i) उप-आयुध आपूर्ति रु० 2200-75-2800-
अधिकारी ग्रेड—II रु० 100-100-4000
- (ii) उप-आयुध आपूर्ति रु० 3000-100-3500-
अधिकारी ग्रेड—I 125-4500
- (iii) नौसेना आयुध रु० 3700-125-4700
आपूर्ति अधिकारी 150-5000
(साधारणग्रेड)
- (iv) नौसेना आयुध रु० 4500-150-5700
आपूर्ति अधिकारी
(चयन ग्रेड)
- (v) निदेशक आयुध रु० 5900-200-6700
आपूर्ति

(ख) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर—

(1) उप-आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड—

पांच वर्ष की सेवा रखने वाले उप-आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2 विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं चयन के आधार पर रु. 3000--4500/- के बतैनमान में उप-आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड-1 के पद में पदोन्नति के पात्र हैं परन्तु केवल उन्हीं अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो जो तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स आई. आई. टी. किरक्री या तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स नौसेना तकनीकी स्टाफ अधिकारी कोर्स के बाद ली गई हो।

(2) नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड)

उप-आयुक्त पूर्ति अधिकारी (ग्रेड-1) के अधिकारी जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा की हो उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किए जाने के आधार पर रुपये 3700--5000/- के बतैनमान में नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(3) नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड)

नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण ग्रेड) के अधिकारी जिन्होंने इस रूप में 5 वर्ष की सेवा की हो उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने के आधार पर रुपये 4500-5700/- के बतैनमान में नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड) में पदोन्नति के पात्र हैं।

(4) आयुध पूर्ति निदेशक

संबद्ध ग्रेड (ग्रेडों) में तीन वर्ष की सेवा रखने वाले नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (चयन ग्रेड) उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने के आधार पर रु. 5900-6700/- के बतैनमान में आयुध पूर्ति निदेशक के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं।

अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु या पर्युक्त अपेक्षाएं व्यक्तित्व पात्रता की हैं और संबद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल निश्चितों की उपलब्धता पर होगी।

नोट :—उन सरकारी कर्मचारियों का बतैन और परिबीक्षाधीन नियुक्ति के तत्काल पहले किसी आधीक पद के अधीन-रिक्त मूल रूप से अस्थायी पद धारण किए हुए वे एफ. आर. 22ख (1) के प्रावधानों तथा भारतीय नौसेना परिबीक्षाधीन व्यक्तियों के लागू सी. एस. के. और तदनुसूची अनुच्छेद के लागू सी. एस. के. और तदनुसूची अनुच्छेद के अधीन विनियमित किया जा सकता है।

(ख) भारतीय नौसेना रक्षा मंत्रालय में उप-आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2 के पद से सम्बद्ध कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप।

(1) विविध यांत्रिक इलेक्ट्रानिकी तथा विद्युत ताबनों तथा उत्पादन तथा उत्पादकता प्रणाली वाले आयुध सामग्री की मरम्मत, जांचावन तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध कार्य का प्रस्तुतीकरण, मापयेजन तथा निदेशन।

(2) मरम्मत, अनुरक्षण और ओवरहाल के लिए इलेक्ट्रानिक तथा विद्युत उपकरणों की मशीनरी का उपलब्ध कराना।

(3) आयात प्रतिस्थापना से सम्बद्ध प्रौद्योगिकीय कार्य, स्वदेशी अभिकल्पन निशिष्टियां तैयार करना।

(4) आयुध के लिए यांत्रिकी इलेक्ट्रानिक तथा विद्युत अतिरिक्त पार्ट्स का उपलब्ध कराना।

(5) आयुध (मिसाइल टारगेटिंग भाइस तथा गन) मापने वाले यंत्रों आदि के यांत्रिकी इलेक्ट्रानिक विद्युत मर्दों के उप-समूह तथा समूहों का आधीक अंशा-कन परीक्षण/जांच।

(6) एलीट तथा नौसेना प्रीग्रेडों को आयुध भंडारण सम्बन्धी संयन्त्र सहायता प्रदान करना।

(7) आयुधों के बारे में यांत्रिक इलेक्ट्रानिक तथा विद्युत इंजीनियरी से सम्बद्ध सभी मामलों में सम्बद्ध सेवा की तकनीकी सलाह देना।

13. डाक तार भवन निर्माण ग्रुप (क) सेवा में सहायक कार्य-कारों इंजीनियर

(क) उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिबीक्षा आधार पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी। उन्हें यथावधिपरित प्रशिक्षण लेना होगा। यदि सरकार की राय में किसी परिबीक्षा-धीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उरामे गह आभास हो कि उसके कार्यकुशल होने की संभावना नहीं है, तो सरकार उसे तत्काल सेवानुस्त कर सकती है। परिबीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी बना सकती है और यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे वा लौ तथा मुक्त कर सकती है या उम्मीद परिबीक्षा अवधि में विरत उचित समझे और बना सकती है।

अधिकारियों को एसी शिभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो परीक्षा अधि के दौरान निर्धारित की जाएं। उन्हें हिन्दी में एक परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) इस प्रतिरोधिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त अधिकारी के अर्पित होने पर किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है।

परन्तु उस व्यक्ति को—

- (क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ख) सामान्यतः 40 वर्ष आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (घ) प्राप्य वेतन दर निम्न प्रकार है :

ग्रेड 'क'

- (1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल विद्युत्)
रु० 2220-75-2800-द० रो०-100-4000/-
- (2) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) निर्माण सर्वेक्षक (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (मुख्यालय)
रु० 3000-100-3500-125-4500/-
- (3) अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (सिविल) अधीक्षक इंजीनियर (मुख्यालय)
रु० 3700-125-4700-150-5000/-
- (4) अधीक्षक इंजीनियर निर्माण सर्वेक्षक अधीक्षक (सिविल/विद्युत्) (चयन ग्रेड)
रु० 4500-150-5700/-
- (5) मुख्य इंजीनियर (सिविल विद्युत्) (वरिष्ठ) प्रशासनिक ग्रेड
रु० 5900-200-6700/-
- ((6) वरिष्ठ उप महानिदेशक (भवन निर्माण)
रु० 7300-100-7600/-

(क) डाक-तार सिविल स्कंध में उक्त पदों में जो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व संबद्ध है वे सीधे दिए गए हैं :—

इंजीनियर सेवा परीक्षा के माध्यम से डाक-तार सिविल स्कंध अर्पित हुए उम्मीदवारों को डाक-तार विभाग के विभिन्न

सिविल निर्माणों के जिनमें आवासीय भवन, कार्यालय भवन, दूरभाष केंद्र भवन, डाकघर, भवन, कारखाने, शण्डार तथा प्रशिक्षण केंद्र आदि सम्मिलित हैं, जायेगी, अभिकल्पन, निर्माण और अनुरक्षण पर लगाया जाता है। उमीदवार विभाग में अपने सेवा सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में शुरू करने हैं और सेवा करते हुए विभाग के विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति पा जाते हैं।

14. ई. एम. ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी का पद

(क) ई. एम. ई. कोर में कर्मशाला अधिकारी के पद पर भर्ती व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

(ख) उक्त पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी काम होगा।

(ग) ग्राह्य वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं :—

- | | |
|----------------------------------|--|
| (i) कार्यशाला अधिकारी 'ग्रुप 'ख' | रु० 2000-60-2300-
द० रो० 75-3200-
100-3500 |
| (ii) कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'क' | रु० 2200-75-2800-
द० रो०-100-4000 |
| (iii) वरिष्ठ कर्मशाला अधिकारी | रु० 3000-100-3500
125-4500 |
| (iv) कर्मशाला अधीक्षक | रु० 3700-125-
4700-150-5000 |
| (v) कर्मशाला अधीक्षक (चयन ग्रेड) | रु० 4100-125-4850
150-5300 |
| (vi) मुख्य इंजीनियर | रु० 5100-150-
5700। |

(ख) कर्तव्य :—'ए', 'बी' और 'सी' वाहनों, टोप, वायरलेस तथा रेडार उपकरण व उपकरणों का मरम्मत कार्य करने वाले अनुभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करना। ई. एम. ई. आर्मी बेस वर्कशॉप/स्टेशन वर्कशॉप में अधिकारी के रूप में कार्य करना और/या स्टाप/ई. एम. ई. (रीज़र्वेंट के अलावा) रोजगार नियुक्तियों में कप्तान (ई. एम. ई.) के स्थान पर कार्य करना या ई. एम. ई. प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशासकीय कर्तव्यों के साथ-साथ अनुदेशक के रूप में कार्य करना होगा।

(ख) प्रारम्भ में उक्त पद गैर-पेंशनी है लेकिन स्थायी होने पर पद पेंशनी हो जाएगा। किन्तु यदि सरकार के अधीन स्थायी पद पर कार्यरत व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे पेंशन के सारे लाभ मिलते रहेंगे।

(च) उक्त पद के लिए चुने गए उम्मीदवार कीन्ड में सेवा के दायित्व से प्रतिबद्ध हैं, उनका स्वस्थता-स्तर दर्जा 1 (एक) होना चाहिए।

(क) चुने गए उम्मीदवारों की दो वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न विषयों के विशेष अध्ययन जैसे रण्डार, दूर संचार, टैकों तथा बंदूकों आदि तथा विदेशों में विभिन्न कोर्सों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है।

15. भारतीय आपूर्ति सेवा

(क) चुने गए उम्मीदवारों का दो वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिबीक्षा की अवधि पूरी कर लेने पर अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के योग्य मानके जाने पर स्थायी पदों के उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा। सरकार इसे दो वर्ष की परिबीक्षा अवधि को बढ़ा भी सकती है।

यदि परिबीक्षा की उक्त अवधि या उसकी बढ़ी हुई अवधि को समाप्त होने पर सरकार की यह राय हो कि उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति नहीं है तथा परिबीक्षा की अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा तो वह उक्त अधिकारी को कार्यभार कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे। अधिकारियों को स्थायी होने से पहले हिस्से में एक विहित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ख) इन प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर विताई गई अवधि महिमा, यदि कोई हो, कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए या किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध पद पर कार्य करना होगा; किन्तु उक्त व्यक्ति को—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य करना होगा।

(2) माध्यमता: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ग) इच्छा बंधन की दर निम्नलिखित है :—

कीन्ड समय वेतनमान

सहायक निदेशक (ग्रेड-1)

वेतन रु. 2200-75+2800-

द. र. -100-4000

वरिष्ठ समय वेतनमान

उपनिदेशक

वेतन रु. 3000-100-3500-125-4500

कीन्ड प्रशासनिक ग्रेड (सामान्य)

निदेशक (साधारण)

वेतन रु. 3700-125-4700-150-5000।

निदेशक (तान-कंकाल चयन ग्रेड)

वेतन रु. 4500-100-5700।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

उप महानिदेशक

वेतन रु. 5900-200-6700।

उच्च प्रशासनिक ग्रेड

अपर महानिदेशक

वेतन रु. 7300-100-7600।

टिप्पणी :—जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस परिबीक्षाधीन नियुक्ति से पहले आधीनक पद से अन्यथा किसी स्थायी पद पर स्थायी हसियत से काम किया है उनका वेतन एफ. आर. 22-बी (1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ख) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' में संबद्ध कार्य तथा जिम्मेदारियों का स्वरूप।

इस सेवा के अधिकारियों का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार के विभिन्न भागों के लिए आभार पर आवर्ती आधार पर व्योक्त भंडार सामग्री प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि अनुबंधों को कार्यरूप देना है। ऐसी भंडार सामग्री से हाइड्रोजन की माधारण वस्तुओं से लेकर परिष्कृत और कीमती इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं जैसे बहुत से किस्मों शामिल हैं। आवश्यकतासार अनुरोध प्राप्त होने पर, इस सेवा के अधिकारियों को विभिन्न सरकारी संगठनों की तदर्थ आवश्यकता के लिए वस्ताएं खरीदने का प्रबंध भी करना होगा। इसके साथ-साथ उन्हें ऐसी क्रय नीतियां भी तैयार करनी होंगी जो अन्य सरकारी विभागों द्वारा अपनाई जाती हैं और ऐसे मामलों में अन्य सरकारी विभागों के अनुरोध पर उनका मार्गदर्शन भी करना होगा। उनके कार्यों में कतिपय श्रेणी की अधिशेष रक्षा भंडार सामग्री का निपटारा करना तथा अनुरोध प्राप्त होने पर भारतीय संरक्षण पर सरकारी शाल की निकासी करना भी शामिल है। इसलिए भारतीय आपूर्ति सेवा के अधिकारियों से ऐसे बहुविध प्रकृति के कार्यों से निपटारे के लिए अर्पणित तकनीकी एण्टिगों की अपेक्षा की जाती है।

16. सीमा सडक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'

(1) चुना हुआ उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परिबीक्षाधीन व्यक्ति को परिबीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा निहित विभागीय परीक्षणों को उत्तीर्ण करना होगा। परि-

परिबीक्षा की अवधि के दौरान या इसकी समाप्ति पर किसी समय यदि सरकार की राय में उसका कार्य और आचरण असंतोषजनक रहा है, तो ही सकता है कि सरकार या तो उसे कार्यमुक्त कर दे या उसकी परिबीक्षा अवधि रक्षा अधीक्षक समय के लिए बढ़ा दे।

(2) चुने गए उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग या प्रदेश में जिसमें युद्ध तथा शांति के क्षेत्र सम्मिलित हैं, कार्य करा होगा। उनकी क्षेत्र सेवा के लिए निर्धारित चिकित्सा भानकों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

(3) उन्हें निम्नलिखित वेतनमान दिये हैं :—

(क) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)

2200-75-2800-

ब. रोज. -100-4000 रुपए

कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)

3000-100-3500-125-4500 रुपए

अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)

3700-125-4700-150-5000 रुपए

अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)

4500-150-5700 रुपए (चयन ग्रेड)

मुख्य इंजीनियर (सिविल)

5900-200-6700 रुपए

अपर मंत्रानिदेशक सीमा सड़क

7300-100-7600 रुपए

(ख) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (इं. एण्ड एम.)

2200-75-2800-ब. रोज. -100-4000 रुपए

कार्यकारी इंजीनियर (इं. एण्ड एम.)

3000-100-3500-125-4500 रुपए

अधीक्षक इंजीनियर (इं. एण्ड एम.)

3700-125-4700-150-5000 रुपए

अधीक्षक इंजीनियर (इं. एण्ड एम.) (चयन ग्रेड)

4500-150-5700 रुपए

मुख्य इंजीनियर (इं. एण्ड एम.)

5900-200-6700 रुपए (उचित समय में सऊन किया जाना है)

(4) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्ति किए गए अधिकारियों निर्धारित अवधि के पार करने के बाद कार्यकारी इंजीनियर, अधीक्षक इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर (केवल सिविल) इंजीनियर के अधिकारियों के लिए लगभग उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जहाँ उनके ग्रेड

में पदोन्नति हेतु यथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पाठ्यता की हैं और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी। यद्यपि इन्हीं नियमों में इन सभी मुख्य इंजीनियर को कोई पद नहीं है।

(5) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट इलाकों में तैनात होने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की गथाग्राह्य अन्य सामान्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता तथा नागरिक प्रतिपूरक भत्ता आदि के अलावा विहित दर पर विशेष प्रतिपूरक भत्ता और मूफ्त राशन के हकदार हैं। वे वहीं के वास्तु परिसरों भत्तों के भी हकदार हैं।

(6) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' के पदों पर नियुक्त अधिकारियों पर अनुसूचन के मामले में भला सेवा अधिनियम, 1950 लागू होगा।

(7) सशस्त्र सेना अधिनियम के भाग 12 के उपबंधों के सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' पर लागू होने मूफ्त राशन के हकदार हैं। वे वहीं के वास्तु परिसर नहीं होंगे।

17. डाक-तार, बूर-संसार कारखाना संगठन में सहायक प्रबंधक, कारखाना

ग्रुप 'क' के पद

(1) वेतनमान रुपए 2200-4000 में सहायक प्रबंधक (कारखाना) के पदों पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षाधीन रहेंगे।

(2) परिबीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्राप्त करना होगा; व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

(3) यदि आवश्यकता है तो सहायक प्रबंधक (कारखाना) के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बितायी गई अवधि (यदि कोई है) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा। किन्तु उस व्यक्ति को :—

(क) नियुक्त की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, और

(ख) सामान्य 40 वर्ष की आयु तक जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(4) उच्चतर क्षेत्रों में पदोन्नति के अवसर :-

(क) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुकने वाले सहायक प्रबंधक रु. 3000-4500 के वेतनमान में वरिष्ठ इंजीनियर (वारंट समय वेतनमान) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हों।

(ख) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुकने वाले वरिष्ठ इंजीनियर रुपए 3700-5000 के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उप-महा-प्रबंधक/प्रबंधक (कारखाना) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हों।

(ग) अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-महाप्रबंधक/प्रबंधक दूर-संचार कारखाना में 4500-5700 रु. के वेतनमान में उप-महाप्रबंधक/प्रबंधक (चयन ग्रेड) के अकार्यात्मक (नान फंक्शनल) चयन ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हों।

(घ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (इसमें अकार्यात्मक चयन ग्रेड की सेवा, यदि कोई हो, भी शामिल है) में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-महाप्रबंधक/प्रबंधक अथवा ग्रुप 'क' पद में, जिसमें कम से कम 4 वर्ष की सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए, 17 वर्ष के नियमित सेवा वाले (इसमें अकार्यात्मक चयन ग्रेड की सेवा, यदि कोई हो, भी शामिल है) 5900-6700 रु. (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के वेतनमान में महाप्रबंधक, दूर-संचार कारखाना के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हों।

(5) उक्त पदों से सम्बद्ध कार्य और उत्तरदायित्यों का स्वरूप :-

सहायक प्रबंधक :- दूर-संचार अंश के उत्पादन क्षेत्र से दूर-संचार विभाग के दूर-संचार कारखानों का पर्यवेक्षण तथा प्रबंध और औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों और स्टाफ की नियुक्तियों सहित सेवा मामलों पर कार्य करना।

वरिष्ठ इंजीनियर :- उत्पादन, आयोग, विकास, अनु-रक्षण अंश आदि से सम्बद्ध शाखा के प्रधान और दूर-संचार कारखानों में विभिन्न व्यवसायों/सदरों में नियुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

उप-महाप्रबंधक/प्रबंधक :- सामान्य प्रशासन, उत्पादन, अनुशासन आयोग आदि से सम्बद्ध दैनिक कार्यों में महाप्रबंधक की सहायता करना, कारखाना या उत्पादन एकक/रकथ कार्य-प्रभारी।

महाप्रबंधक :- दूर-संचार कारखाना के प्रधान कारखाना के सामान्य प्रशासन, उत्पादन, आयोग अनुशासन आदि के समस्त नियंत्रण हेतु उत्तरदायी।

18. भारतीय सर्वोक्षण ग्रुप 'क' सेवा

नियुक्तियों दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा आधार पर होंगी।

किन्तु शर्त यह है कि इस संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी परीक्षा का अबाध का सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकता है।

अगली शर्त यह है कि परीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई नियम परीक्षा का पहला अवधि के स्थापन के बाद सामान्यतः अठारह माह के अंदर किया जाएगा और सम्बद्ध अधिकारियों को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अंदर लिखित रूप में सूचित कर दिया जाएगा।

परीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के सामना पर, जैसी भी स्थिति हो, यदि सरकार का यह मत हो कि कौन-कौन अधिकारी स्थायी नियुक्त होंगे उपयुक्त नहीं हों तो इसके कारण लिखित रूप में सरकार को भेजा जाए और सरकार उस अधिकारियों को कार्य-मुक्त कर सकती है या उस पर पर वापस भेज सकती है, जिस वह उक्त सेवा में, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त से पहले धारण कर रहा था। परीक्षा या बढ़ा हुआ परीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्राशिक्षण प्राप्त करना होगा और अनुदेशों का पालन करना होगा तथा परीक्षाएं और परीक्षण पास (इसमें हिन्दी की परीक्षा भी शामिल है) करने होंगे जो सरकार द्वारा परीक्षा का अबाध को संतोषजनक ढंग से पूरा करने का शर्त के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

2. नियुक्ति किए गए अधिकारियों का भारत और विदेश में कहां भी कार्य करना पड़ सकता है।

3. नियुक्त किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए नियमों के अनुसार भारत और विदेश में एस प्राशिक्षण और अनुदेशों के विस्तृत आठ-वर्षों में जाना पड़ सकता है।

4. यदि आवश्यकता हुई तो प्रातयागिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिनाहूट भेजा जा सकता है (यदि कोई हो) साहस कम से कम 4 वर्ष का अबाध के लिए रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पदों पर कार्य करना होगा किन्तु उस व्यक्ति को :-

- (1) नियुक्ति की तारीख से उस वर्ष की समाप्ति पर पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।
- (2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

5. ग्राह्य वेतनमान निम्न प्रकार है :-

कनिष्ठ वेतनमान 2200-75-2800-द. रों.-100-4000/- रु. 10

वरिष्ठ वंतेनमान 3000-100-3500-125-4500/-
रु. ।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-125-4700-150-
5000/- रु. ।

चयन ग्रेड 4500-150-5700/- रु. ।

(कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900-200-6700/- रु. ।

भारत का महासर्वोक्षक 7300-100-7600/- रु. ।

6. पद से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप :

उप अधीक्षक सर्वोक्षक :—भूगणित फोटोग्रामिति मानचित्र कला और अंकीय मानचित्रण के क्षेत्रों में अनुभाषण/कंप्यूटर का पर्यवेक्षण करने के लिए सर्वोक्षण का कार्य अलग-अलग कार्यकर्ता के रूप में करने के साथ-साथ अनुभाग अधिकारियों के रूप में भी करना । यूनिट के तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों कार्यों में प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक सर्वोक्षक) की भी सहायता करना ।

अधीक्षक सर्वोक्षक :—पार्टी के प्रबंध करना और अनुशासन रखना, भंडारों की अभिरक्षा करना, रखरखाव और परिशुद्ध लेखा-जोखा रखना, अपने अधिकार में होने वाली निधि को किरफायत से व्यय करना, अपने सभी अधिकारियों और वंचित व्यक्तियों के अपने कार्यों (ड्यूटियों) और दायित्वों के लिए समय-समय पर उपयुक्त सर्वोक्षण विधि में उचित प्रशिक्षण देना, सामग्री तकनीकी कार्यों का निष्पादन और पर्यवेक्षण करनी फील्ड प्रमाणन, फील्ड मानचित्रण, फोटोग्रामिति और अंकीय मानचित्रण आदि करना ।

उपनिवेशक :—निदेशालय का सूचारु और कुशल संचालन करने में द्विपक्षीय निदेशक की सहायक करना, व्यावसायिक

परीक्षणों सिकिल की द्विभागीय पवान्ति समितियों को बैठकों का आयोजन करने हेतु सभी तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनों तथा विवरणियों की समीक्षा करने, उनको पूरा करने और उन पर निगरानी रखने आदि का दायित्व संभालना, बसूती बंधों की बैठकों की अध्यक्षता करना, निदेशकों तथा अधीक्षकों को अंतिम रूप देना और निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को सम्पन्न करना ।

निदेशक/उपनिदेशक चयन ग्रेड :—सभी दायित्वों का संभालना, ग्रुप 'ग' के सभी कर्मचारियों के नियुक्त तथा अनु-शासनिक प्राधिकारियों के रूप में कार्य करना, सर्वोक्षण तथा मानचित्रण कार्यों से संबंधित तकनीकी समन्वय करना, निदेशन करना, उनकी बह-रेख करना और उन पर निगरानी रखना जिसमें राज्य सरकारों केन्द्रों परियोजना प्राधिकारियों आदि को रुबाह देना भी शामिल है, वित्तीय प्रबंध करना, वजत कार्य करना, निदेशालय के मामले व्यय पर निगरानी और नियंत्रण रखना ।

अपर महा सर्वोक्षक :—अपने प्रभार के अधीन आने वाले सिकिलों के तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, वित्त एवं लेखा कार्य के दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु समग्र दायित्व संभालना । अपने प्रभार के अधीन आने वाले सभी सिकिलों के फील्ड और फील्ड मानचित्रण कार्यक्रमों तथा मूद्रण-कार्य को अंतिम रूप देना, निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी कार्य को प्रगति पर निगरानी रखना तथा प्रत्येक अवस्था पर परिशुद्धता के अपने निर्देशन और को मूर्च्छित करना, कार्य की सर्वोक्षण तकनीकी विधि को विकसित करने/उसको अपनाने का दायित्व संभालना, आदि जान में आने वाले सभी सर्वोक्षण मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना ।

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 15th January 1996

RESOLUTION

F. No. 1/69-92-NCB(Coord).—In continuation of the Resolution dated 10-8-1993, published in Part-I, Section I of the Gazette of India (Extraordinary), constituting a High Level Committee to undertake a comprehensive review of the present arrangements for dealing with the various aspects of the problem of drug abuse, and subsequent Resolutions dated 11-3-1994, 14-7-1994, 20-9-1994, 19-1-1995, 21-4-1995, 30-6-1995, 2-8-1995 and 4-10-1995, extending the tenure of the Committee upto 31-12-1995, it has been decided by the Government of India to further extend the tenure of this Committee upto 31-03-1996.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

A. K. SRIVASTAVA,
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 14th December 1995

RESOLUTION

Sub : Reconstitution of Joint Council for Vocational Education (JCVE) in supersession of the previous Resolution No. F. 7-3/88/VE.I dated 20-4-94.

No. F. 4-4/94-VE I.—Vocational Education is a distinct stream intended to prepare students for identified occupations spanning several areas of activity. The main objectives of the scheme of Vocationalisation of Secondary Education are to provide diversification of educational opportunities so as to enhance individual employability, reduce the mismatch between demand and supply of skilled manpower and to provide an alternative for those pursuing higher education. The Vocational Courses are provided in general education institutions at the +2 stage. Under this scheme assistance is given to the States/UTs for approved purposes according to a pattern of assistance.

2. In order to ensure proper planning and coordination of vocational programmes a Joint Council for Vocational

Education was set up at the national level in 1990, to perform the following functions :

- planning and coordination of vocational programmes conducted by different organisations/Ministries;
- lay down guidelines for:
 - *assessment of manpower needs;
 - *development of vocational programmes at all levels;
 - *development of bridge/transfer courses;
 - *training of teachers and educational administrators;
 - *development of textbooks and instructional material;
 - *accreditation and certification of vocational courses including those conducted by non-governmental organisations;
- develop schemes for creating vocational facilities at different levels;
- evolve schemes for involvement of public/private sector industry in vocational education;
- prepare schemes for undertaking programmes of vocational education for workers and imparting vocational education through non-formal programmes;
- periodically review vocational programmes;
- identify and support non-governmental organisations engaged in vocational training of special disadvantaged groups;

3. The JCVE is an umbrella body under the Ministry of Human Resource Development. It has been decided to reconstitute the JCVE with the following membership :

Chairman

1. Minister of Human Resource Development

Vice-Chairman

2. Minister of State (Education) or Deputy Minister (Education).

Members

3. Member (Education), Planning Commission.
 4. Secretary (Education) Government of India.
 5. Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education, Govt. of India.
 6. Secretary, Ministry of Health/D.G. (HS), Government of India.
 7. Secretary, Ministry of Labour/DGFI, Govt. of India.
 8. Secretary, Rural Development, Govt. of India.
 9. Secretary, University Grants Commission.
 10. Member Secretary, All India Council for Technical Education.
 11. Director, NCFERT.
 12. Chairman, CBSF
 13. Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India.
 14. Joint Director, Central Institute of Vocational Education, Bhopal
- 15-17. Three Persons from Voluntary Agencies engaged in Vocational Education.

Brother Mathew, Superintendent, Don Bosco Technical School, Ernakulam

— Dr. A. K. Basu, Chief Executive, Society for Rural Industrialisation, Ranchi.

— Dr. S. S. Kaihap, Director, Vigyan Ashram, Pune.

18-19. Two persons engaged in womens training and employment.

— Principal, Kamla Nehru Polytechnic, Hyderabad (Community Polytechnic).

— Principal, Government Polytechnic for Women, Gujarat (Community Polytechnic).

20-22. Three Members of Parliament

(2 from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha).

23-24. Two Ministers dealing with Vocational Education from States/UTs (Membership by rotation for 2 years).

25-26. Two Secretaries dealing with Vocational Education from States/UTs (Membership by rotation for 2 years).

27-28. Two Directors of Vocational Education from States/UTs (Membership by rotation for 2 years).

29-32. Four professionals from Industry and Commerce including public sector.

— Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

— National Alliance of Young Entrepreneurs.

Federation of Associations of Small Scale Industries of India.

— Indian Banks Association.

33-36. Four Educationists/Experts in the area of Vocational Education.

— Dr. V. C. Kulandraswami, Former Vice Chancellor, IGNOU.

— Father T. V. Kunnunkal.

— Shri K. M. Gedam, Chairman and Director, Centre for Science and Technology, Harala, Nagpur.

— Shri J. A. Ryan, Ex Director, Education, Tamil Nadu.

37-39. Three representatives of Workers Association.

— India National Trade Union Congress.

— Bharatiya Mazdoor Sangh.

— Hind Mazdoor Sabha.

Member Secretary

40. Joint Secretary,

(Vocational Education)

Ministry of Human Resource Development.

4. Keeping in view the functions to be performed by the Joint Council for Vocational Education, a Standing Committee of Joint Council for Vocational Education, was also set up which would meet more frequently and ensure that the tasks laid down by JCVE are effectively performed. The Standing Committee is also reconstituted as follows :—

Chairman

1. Education Secretary,

Members

2. Member Secretary, All India Council for Technical Education, Deptt. of Education.
3. Representative of Department of Personnel and Training (not below the level of Joint Secretary).
4. Joint Director, Central Institute of Vocational Education, Bhopal.
5. Director General, Employment and Training.
6. Joint Secretary (Vocational Education), Ministry of Human Resource Development.
7. Representative of Indian Council of Agricultural Research.
8. Chairman, CBSE.
9. Principal, Womens' Polytechnic (Community Polytechnic), Calcutta.
10. Shri J. A. Ryan, Ex-Director (Education), Tamil Nadu.
11. Dr. S. S. Kalbag, Vigyan Ashram, Pune.

12-17. Education Secretaries or Directors dealing with Vocational Education from 6 States/UTs by rotation.

Member-Secretary

18. Deputy Secretary/Deputy Educational Adviser (Vocational Education), Ministry of Human Resource Development.

5. The Joint Council for Vocational Education shall determine its own procedure of work and shall meet at least once a year, with its Standing Committee meeting as frequently as necessary.

ORDER

ORDERED that the copy of the Resolution be sent to all State Governments/Union Territory Administrations, All Ministries/Department of the Government of India and the concerned agencies and employment organisations.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRASHANT MEHTA,
Joint Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th January, 1996

RESOLUTION

No. 6/1/79PP.—The erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No. 6/1/79-PP dated 10th March, 1983, setting up the National Water Resources Council and amendments of even number dated 14th October, 1985, 29th October, 1985, 21st January, 1987, 12th June, 1987, 18th February, 1994 and 22nd March, 1994 stand further amended as below :

In Para 3 of the resolution, the composition of the National Water Resources Council will be as follows :

Chairman

1. Prime Minister.

Vice-Chairman

2. Union Minister of Water Resources.

Members

3. Union Minister of Finance.
4. Union Minister of Agriculture.
5. Union Minister of Power.
6. Union Minister of Welfare.
7. Union Minister for Rural Areas & Employment.
8. Union Minister of State for Urban Affairs & Employment.

9. Deputy Chairman, Planning Commission.

10. Union Minister of State for Water Resources.
11. Union Minister of State for Planning.
12. Union Minister of State for Surface Transport.
13. Union Minister of State for Science & Technology.
14. Union Minister of State for Environment & Forests.
15. Chief Minister, Andhra Pradesh.
16. Chief Minister, Arunachal Pradesh.
17. Chief Minister, Assam.
18. Chief Minister, Bihar.
19. Chief Minister, National Capital Territory of Delhi.
20. Chief Minister, Goa.
21. Chief Minister, Gujarat.
22. Chief Minister, Haryana.
23. Chief Minister, Himachal Pradesh.
24. Chief Minister, Jammu & Kashmir.
25. Chief Minister, Karnataka.
26. Chief Minister, Kerala.
27. Chief Minister, Madhya Pradesh.
28. Chief Minister, Maharashtra.
29. Chief Minister, Manipur.
30. Chief Minister, Meghalaya.
31. Chief Minister, Mizoram.
32. Chief Minister, Nagaland.
33. Chief Minister, Orissa.
34. Chief Minister, Pondicherry.
35. Chief Minister, Punjab.
36. Chief Minister, Rajasthan.
37. Chief Minister, Sikkim.
38. Chief Minister, Tamil Nadu.
39. Chief Minister, Tripura.
40. Chief Minister, Uttar Pradesh.
41. Chief Minister, West Bengal.
42. Lt. Governor, Andaman & Nicobar Islands.
43. Administrator, Chandigarh.
44. Administrator, Dadra & Nagar Haveli.
45. Administrator, Daman & Diu.
46. Administrator, Lakshadweep.

Secretary, Ministry of Water Resources will be the Secretary of the National Water Resources Council.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and the Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor-General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd February 1996

RULES

No. 95/E(GR)1/18/1.—The Rules for a combined competitive Engineering Services Examination to be held by the Union Public Service Commission in 1996 for the purpose of filling vacancies in the following Services/Posts are, with the concurrence of the Ministries/Departments concerned, published for general information :—

CATEGORY I—CIVIL ENGINEERING

Group A Services/Posts

- (i) Indian Railway Service of Engineers.
- (ii) Indian Railway Stores Service (Civil Engineering Posts).
- (iii) Central Engineering Service.
- (iv) Military Engineer Service (IDSE) (Building and Roads Cadre).
- (v) Military Engineer Service (Surveyor of Works Cadre).
- (vi) Survey of India Service Group-A (Civil Engineering Posts).
- (vii) Central Water Engineering Service (Civil Engineering Posts).
- (viii) Assistant Executive Engineer (Civil) in P&T Building Works (Group 'A') Service.
- (ix) Central Engineering Service (Roads) Group-A.
- (x) Assistant Executive Engineer (Civil) in Border Roads Engineering Service Group-A.
- (xi) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Civil Engineering Posts).

CATEGORY II—MECHANICAL ENGINEERING

Group A Services/Posts

- (i) Indian Railway Service of Mechanical Engineers.
- (ii) Indian Railway Stores Service (Mechanical Engineering Posts).
- (iii) Central Water Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).
- (iv) Central Power Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).
- (v) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Mechanical Engineering Posts).
- (vi) Indian Naval Armament Service (Mechanical Engineering Posts).
- (vii) Military Engineering Service (IDSE) (Electrical and Mechanical Cadre) (Mechanical Engineering Posts).
- (viii) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).
- (ix) Assistant Executive Engineer (Elect. & Mech.) (Mechanical Engineering Posts), Border Roads (Engineering Service, Group-A).
- (x) Drilling Engineer (Junior) Group A in G.S.I.
- (xi) Mechanical Engineer (Junior) Group A in G.S.I.
- (xii) Assistant Manager (Factories), Department of Telecom. (Telecom Factories Organisation).
- (xiii) Central Engineering Service (Roads) Group 'A' (Mechanical Engineering Posts).
- (xiv) Workshop Officer—Group 'A' Mechanical Engineering Posts in the Corps of E.M.E., Ministry of Defence.

- (xv) Indian Supply Service Group-A (Mechanical Engineering Posts).

Group B Services/Posts

- (xvi) Workshop Officer Group 'B' (Mechanical Engineering Posts) in the Corps of EME Ministry of Defence.

CATEGORY III—ELECTRICAL ENGINEERING

Group A Services/Posts

- (i) Indian Railway Service of Electrical Engineers.
- (ii) Indian Railway Stores Service (Electrical Engineering Posts).
- (iii) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Electrical Engineering Posts).
- (iv) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Electrical Engineering Posts).
- (v) Indian Naval Armament Service (Electrical Engineering Posts).
- (vi) Central Power Engineering Service (Electrical Engineering Posts).
- (vii) Assistant Executive Engineer (Electrical) in P&T Building Works (Group 'A') Service.
- (viii) Military Engineer Service (SDE) (Electrical and Mechanical Cadre) (Electrical Engineering Posts).
- (ix) Assistant Manager (Factories) Department of Telecom. (Telecom Factories Organisation).
- (x) Workshop Officer Group 'A' (Electrical Engineering Posts) in the Corps of E.M.E., Ministry of Defence.
- (xi) Indian Supply Service Group 'A' (Electrical Engineering Posts).

CATEGORY IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Group A Services/Posts

- (i) Indian Railway Service of Signal Engineers.
- (ii) Indian Railway Stores Service (Telecommunication/Electronics Engineering Posts).
- (iii) Indian Telecommunication Service.
- (iv) Engineer in Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation; Ministry of Communications (Department of Tele Communication).
- (v) Indian Broadcasting (Engineers) Service.
- (vi) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Electronics Engineering Posts).
- (vii) Indian Naval Armament Service (Electronics Engineering Posts).
- (viii) Central Power Engineering Service (Telecommunication Engineering Posts).
- (ix) Survey of India Service Group 'A' (Electronics and Telecom Engineering Posts).
- (x) Assistant Manager (Factories), Department of Telecom. (Telecom Factories Organisation).
- (xi) Indian Supply Service, Group 'A' (Electronics Engineering Posts).
- (xii) Workshop officer, Group 'A' (Electronics Engineering Posts) in the Corps of E.M.E., Ministry of Defence.

Group B Services/Posts

- (xiii) Workshop Officer Group 'B' (Electronics Engineering Posts) in the Corps of E.M.E., Ministry of Defence.

1. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by Commission.

2. A candidate may compete in respect of any one or more of the categories of Services/Posts mentioned above. A candidate who qualifies on the result of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the detailed application form the Services/Posts for which he wishes to be considered in the order of preferences. The candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preferences when making appointment.

N.B. (i)—Candidates are advised to indicate all the Services/Posts for which they are eligible in terms of the Rules in the order of preference in their detailed application form. In case a candidate does not give any preference for any Service/Post or does not include certain Services/Posts in his application form it will be assumed that he has no specific preference for those Services/Posts, and in that event he shall be allocated to any of the remaining Services/Posts in the order as appearing in the notification and in which there are vacancies after allocation of candidates according to the Services/Posts of their preference. In making such allocation the candidate shall be considered first for Group 'A' Services/Posts and then for Group 'B' Services/Posts.

N.B. (ii)—No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his detailed application form will be entertained by the Commission.

N.B. (iii)—Candidates should give their preferences only for the Services & Posts for which they are eligible in terms of the Rules and for which they have qualified in the written part of the examination. Preference given for Services and Posts for which they are not eligible and for Services and Posts in the respect of which they have not qualified at the written part of the examination will be ignored.

N.B. (iv)—DEPARTMENTAL CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION UNDER AGE RELAXATION RULE 5(b) MAY GIVE THEIR PREFERENCES FOR THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ALSO. THEY WILL HOWEVER, BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SERVICES/POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT SUBJECT TO MERIT POSITION AND ONLY IN THE EVENT OF NON-AVAILABILITY OF VACANCIES THEREIN OR MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR THE SERVICES/POSTS UNDER THEIR OWN DEPARTMENTS THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT TO THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ON THE BASIS OF PREFERENCES EXPRESSED BY THEM.

N.B. (v)—Candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts mentioned in the said proviso, and their preference for other Services and Posts, if any, will be ignored.

N.B. (vi)—The candidates will be allotted to various Services/Posts strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies, subject to their medical fitness.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. A candidate must be either—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention to permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility Certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 28 years on the 1st August, 1996 i.e. he must have been born not earlier than 2nd April, 1968 and not later than the 1st August, 1976.

(b) Subject to condition mentioned in N.B. (iv) below Rule 2, the upper age-limit of 28 years will be relaxable up to 33 years in the case of the government servants of the following categories, if they are employed in a Department/Office under the control of any of the authorities mentioned in column 1 below and apply for admission to the examination for all or any of the Service(s)/Post(s) mentioned in column 2, for which they are otherwise eligible.

(i) A candidate who holds substantively a permanent post in the particular Department/Office concerned. This relaxation will not be admissible to a probationer appointed against a permanent post in the Department/Office during the period of his probation.

(ii) A candidate who has been continuously in a temporary service on a regular basis in the particular Department/Office for at least 3 years on the 1st August 1996.

Column 1	Column 2
Railway Department	I. R. S. E. I. R. S. M. E. I. R. S. E. E. I. R. S. E. E. I. R. S. S.
Central Public Works Department	C. E. S.—Group 'A'
Engineer-in-Chief Army	C. E. & M. E. S. Group 'A'
Headdarters	M. E. S. Group 'A'
	(I. D. S. E.—B & R (Cadre) and Surveyor of Works)
	Cadre M. E. S.
	Group A (I. D. S. E.—E & M Cadre)
Directorate General Ordnance Factories	I. O. F. S. Group 'A'
Central Water Commission	C. W. E. Service (Group A)
Central Electricity Authority	C. P. E. Service (Group A)
Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation	Engineer (Group A)
Border Roads Organisation	Border Roads Engineering Service

Column 1	Column 2
All India Radio Doordarshan	Junior Scale of Indian Broadcasting (Engineers) Service.
Indian Navy	Indian Naval Armament Service.
Ministry of Communication Department of Telecommunication & Deptt. of Posts	Indian Telecommunication Service Group A. Assistant Executive Engineer (Civil/Electrical) in P & T Building works (Group A) Service, Assistant Manager (Factories) Group A, P & T Telecom. Factories Organisation.
Deptt. of Science & Technology	Survey of India Service Group ('A')
Directorate General of Supplies and Disposals	I. S. S. Group 'A'. Mechanical Engineers (Junior) Group 'A'. Drilling Engineer (Junior) Group 'A'.

NOTE.—The period of apprenticeship if followed by appointment against a working post on the Railways may be treated as Railway Service for the purpose of age concession.

(c) The upper age-limit prescribed above will be further relaxable :

- (i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.
- (ii) Upto a maximum of three years if a candidate is a bona-fide repatriate of Indian origin from Kuwait or Iraq and has migrated to India from any of these countries after 15th May, 1990 but before 22nd November 1991.
- (iii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona-fide repatriate of Indian origin from Kuwait or Iraq and has migrated to India from any of these countries after 15th May 1990 but before 22nd November 1991.
- (iv) Upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- (v) Upto a maximum of ten years if a candidate belongs to a SC or a ST and had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- (vi) Upto a maximum of three years, in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof ;
- (vii) Upto a maximum of eight years, in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ;

(viii) Upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1996 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August 1996 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service, or (iii) on invalidation.

(ix) Upto a maximum of ten years in the case of ECOs/SSCOs who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1996 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 1996 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service, or (iii) on invalidation.

(x) Upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 1996 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment ;

(xi) Upto a maximum of ten years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes who are also ECOs/SSCOs and have completed initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 1996 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(xii) Upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail a reservation applicable to such candidates.

Note : (I) The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil-Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note : (II) Candidates falling under rule 5(c) (ii) to (xii) who do not belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not eligible for age concession if they have already joined any Government Job on civil side after availing of the age concession. The Ex-Servicemen who have already secured regular employment under the Central Government in a civil post are, however, permitted the benefit of age relaxation as admissible to Ex-Servicemen for securing another employment in any higher post or Service under the Central Government.

Note : (III) Candidates belonging to Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 5(c) above, viz. those coming under the category of Ex-Servicemen. Persons domiciled in Kashmir Division of the State of J&K, repatriates from Kuwait and Iraq etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

N.B.—The Candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(b) above shall be cancelled if, after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department/office either before or after taking the examination. He will, however continue to be eligible

if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

A candidate who after submitting his application to the department is transferred to other department/office will be eligible to complete under departmental age concession for the service/post for which he would have been eligible but for his transfer provided his application has been forwarded by his parent department.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the paper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the Instruction include the alternative certificate mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission, and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any other Examination of the Commission.

6. A candidate must have—

- (a) obtained a degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of a Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or
- (b) passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or
- (c) obtained a degree/Diploma in Engineering from such foreign University/College/Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time or
- (d) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Tele-communication Engineers (India); or
- (e) passed Associate Membership Examination, Parts II and III/Sections A and B of the Acronautical Society of India; or
- (f) passed Associate Membership Examination (Sections A and B) of the Institution of Mechanical Engineers (India); or
- (g) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November 1959.

Provided that a candidate for the posts of Engineer Group A, in Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Indian Broadcasting (Engineers) Service and Indian Naval Armament Service

(Electronics Engg. Posts) may possess any of the above neering qualifications or the qualification mentioned below namely :—

M.Sc. degree or its equivalent with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics or Radio Engineering as a special subject.

Note 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed applications which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination.

Note 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

Note 3.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee-prescribed in the Commission's Notice.

8. All Candidates in Government service, whether in permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employes or those serving under Public Enterprises will be required to submit as undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. written Examination and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written Examination and Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

- (i) obtaining support for his candidature by any means; or
- (ii) impersonating; or
- (iii) procuring impersonation by any person; or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
- (vii) using unfair means during the examination; or
- (viii) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the script(s); or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or
- (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or
- (xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
- (c) if he is already in service under the Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation if any submitted by the candidate, within the period allowed to him; into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may be summoned for an interview for a Personality Test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them

13. (i) After the interviews the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) The candidates belonging to any of the Schedule Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard subject to the fitness of these candidates for selection to the Service

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes

who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standard referred to in this sub-rule(s), shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and the preferences expressed by them for various Services/posts at the time of their application.

DEPARTMENTAL CANDIDATES WILL HOWEVER, BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SERVICES/POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT SUBJECT TO MERIT POSITION AND ONLY IN THE EVENT OF NON-AVAILABILITY OF VACANCIES THEREIN OR MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR THE SERVICES/POSTS UNDER THEIR OWN DEPARTMENTS, THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT TO THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ON THE BASIS OF PREFERENCES EXPRESSED BY THEM.

16. Success in the examination confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such an enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who (after such physical examination as Government or the appointing authority as the case may be, may prescribe) is found not to satisfy those requirements will not be appointed.

All candidates who qualify for interview on the basis of written part of the examination are required to undergo medical examination on the next working day following the date of interview (there shall be no medical examination on Saturdays, Sundays and closed holidays). For this purpose the successful candidates will be required to present themselves before the Additional Chief Medical Officer, Central Hospital, Northern Railways Basant Lane, New Delhi at 9.00 Hrs. In case the candidates are wearing glasses they should take with them the latest number of glasses to the Medical Board.

No request for change in the date of medical examinations or in its venue would ordinarily be acceded to.

The candidates should note that no requests for grant of exemption from the medical examination will be entertained under any circumstances.

The attention of the candidates is invited to the Regulations relating to the Physical Examination published herewith. It will be seen therefrom that the physical standards prescribed vary for different services. The candidates are therefore, advised to keep these standards in view with specific reference to services for which they have competed/expressed preferences to the UPSC.

The candidates may also please note that :

- (i) A sum of Rs. 30 (Rupees Thirty only) in cash, is required to be paid by them to the Medical Board;
- (ii) no travelling allowance will be paid for the journey performed in connection with the medical examination; and
- (iii) the fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEY WILL NOT RECEIVE ANY SEPARATE INTIMATION REGARDING MEDICAL EXAMINATION FROM THE MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD).

In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled/ex-Defence Services Personnels the standards will be relaxed consistent with requirements of each Service.

18. No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examination which candidates have to pass after entry into Service.

20. Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

S. SURYANARAYANA
Secretary,
Railway Board

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—The written examination will comprise two sections—Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Electronics & Telecommunication Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the written examination i.e. subject, duration and maximum marks allotted to each subject are given in para 2 below :

Part II :—Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the written examination.

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Category 1. CIVIL ENGINEERING

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I.—Objective Papers			
General Ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	01	2 hrs.	200
Civil Engineering Paper I	11	2 hrs.	200
Civil Engineering Paper II	12	2 hrs.	200
Section II—Conventional Papers			
Civil Engineering Paper I	13	3 hrs.	200
Civil Engineering Paper II	14	3 hrs.	200
TOTAL			1000

Category II—MECHANICAL ENGINEERING

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I—Objective Papers			
General ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	01	2 hrs.	200
Mechanical Engineering Paper I	21	2 hrs.	200
Mechanical Engineering Paper II	22	2 hrs.	200
Section II—Conventional papers			
Mechanical Engineering Paper I	23	3 hrs.	200
Mechanical Engineering Paper II	24	3 hrs.	200
TOTAL			1000

Category III—ELECTRICAL ENGINEERING

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I—Objective Papers			
General Ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	01	2 hours	200
Electrical Engineering Paper I	41	2 hours	200
Electrical Engineering Paper II	42	2 hours	220
Section II—Conventional Papers			
Electrical Engineering Paper I	43	3 hours	200
Electrical Engineering Paper II	44	3 hours	200
TOTAL			1000

Category IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING—

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Section I—Objective Papers			
General Ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	01	2 hours	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper I	61	2 hours	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper II—	62	2 hours	200
Section II—Conventional papers			
Electronics & Telecommunication Engineering Paper I—	63	3 hours	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper II—	64	3 hours	200
TOTAL			1000

3. In the Personality Test special attention will be paid to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.

4. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the written papers will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the conventional papers of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

Note :—Candidates will be supplied with tables in metric units compiled and published by the Indian Standards Institute compiled and published by the Indian Standards Institute considered necessary.

11. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (easy) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

SCHEDULE TO APPENDIX I

Standard and Syllabi

The standard of paper in General Ability Test will be such as may be expected of an Engineering/Science Graduate. The standard of papers in other subjects will approximately be that of an Engineering Degree Examination of an Indian University. There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ABILITY TEST (Code No. 01)

Part A : General English : The question paper in General English will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words.

Part B : General Studies : The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters as of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

CIVIL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 11 for objective type paper and 13 for conventional paper)

1. Building Materials and Construction.

Stones, Timber, Bricks, Cement, Mortar, Concrete, Masonry, Steel.

2. Solid Mechanics.

Stresses, Strain, Failure Theories of Solid Materials. Simple bending and torsion theories, shear centre.

3. Graphic Statics.

Force Polygon, stress diagram.

4. Structural Analysis.

Analysis of trusses and frames. Introduction to plastic Analysis.

5. Design of Metal Structures.

Working stress and ultimate strength design of simple structures.

6. Design of concrete and Masonry Structures.

Design of masonry walls, working stress design of plain, reinforced and prestressed concrete, ultimate strength design of reinforced and prestressed concrete.

Paper II (Code No. 12 for objective type paper and 14 for conventional paper)

1. Fluid Mechanics, Water Resources Engineering. Open channel and pipe flow. Hydrology Design of canals and hydraulic structures.

2. Soil Mechanics and Foundation Engineering and then general principles Strength Parameters. Earth pressure Theories. Design of Shallow and deep foundations.

3. Transportation Engineering including Railway Engineering and Surveying. Roads superelevation Ruling gradient, pavements, Traffic controls, Design considerations.

4. Environmental Engineering.

Water purification, sewage treatment and disposal.

5. Construction, Planning and Management

Elements of construction practice, Bar charts, CPM, PERT.

MECHANICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

PAPER I (Code No. 21 for objective type paper and 23 for conventional paper)

1. Thermodynamics

Laws, Properties of ideal gases and vapours, Power Cycles, Gas Power Cycles, Gas Turbine Cycles Fuels and Combustion.

2. I.C. Engines

C.I. and S.I. Engines Detonation. Fuel injection and carburation. Performance and Testing Turbo Jet and Turbo-prop Engines, Rocket Engines, Elementary knowledge of Nuclear Power Plants and Nuclear Fuels.

3. Steam Boilers, Engines, Nozzles and Steam Turbines. Modern boilers. Steam Turbines types. Flow of Steam through nozzles. Velocity diagrams for impulse and Reaction Turbines. Efficiencies and Governing.

4. Compressors Gas Dynamics and Gas Turbines, Reciprocating, Centrifugal and axial flow compressors, velocity diagrams, Efficiency and performance, effect of Mech. number on flow, Isentropic flow, Normal Shocks and Flow through nozzles. Gas Turbine Cycle with multistage compression, Reheating and Regeneration.

5. Heat Transfer, Refrigeration and Air-Conditioning Conduction, Convection and Radiation. Heat exchangers, types, Combined Heat Transfer. Overall Heat Transfer coefficient, Refrigeration and heat pump cycles. Refrigeration systems. Coefficient of performance, Psychrometrics and psychrometric chart, Comfort indices, Cooling and dehumidification methods. Industrial Air-conditioning Processes. Cooling and heating loads calculations.

6. Properties and classification of fluids

Fluid statics, kinematics and dynamics; principals and applications. Manometry and Buoyancy. Flow of ideal fluids. Laminar and turbulent flows. Boundary layer theory. Flow over immersed bodies. Flow through pipes and Open Channels. Dimensional analysis and similitude technique.

Non-dimensional specific speed and classification of fluid machines in general. Energy transfer relation performance and operation of pumps and of impulse and reaction water turbines. Hydrodynamic power transmission.

Paper II (Code No. 22 for objective type paper and 24 for conventional paper)

7. Theory of Machines

Velocity and acceleration (i) of moving bodies (ii) in machines. Klien's construction Inertia forces in machines. Cams; Gears and Gearing. Fly wheels and Governors. Balancing of Rotating and Reciprocating masses. Free and forced vibrations of systems. Critical speeds and whirling of shafts.

8. Machine Design

Design of : Joints—Threaded fastners and Power screws—Keys, Kotters. Coupling—Welded Joints—Transmission system : Belt and chain drives—wire ropes—shafts;

Gears—siding and Rolling bearings.

9. Strength of Materials

Stress and strain in two dimensions; Mohr's circles; relations between Elastic Constants.

Beams : Bending moments, shearing forces and reflection.

Shafts : Combined bending, direct and torsional stresses.

Thick Walled cylinders and spheres under Pressure Spring, Struts and columns. Theories of failure.

10. Engineering Materials

Alloys and Alloying Materials, heat treatment; Composition; properties and uses. Plastics and other newer engineering materials.

11. Production Engineering

Metal Machining : Cutting Tools : Tool Materials. Wear and Machinability, measurement of cutting forces. Process : Machining—Grinding. Boring Gear Manufacturing. Metal forming. Metal casting and jointing. Basic, Special Purpose, Programme and numerically Controlled machine Tools, Jigs and fixtures (locating elements).

12. Industrial Engineering

Work study and work measurement, Wage incentive. Design of Production System and Product Cost Principles of Plant layout, Production Planning and Control. Material Handling. Operations Research. Linear Programming Queuing Theory, Value Engineering Network Analysis, CPM and PERT. Use of Computers.

ELECTRICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 41 for objective type paper and 43 for conventional paper)

1. Electrical Circuits

Network theorems. Response of network to step, ramps, impulse and sinusoidal inputs, Frequency domain analysis. Two port networks elements of network synthesis. Signal-flow graphs.

2. EM Theory

Electrostatics Magnetostatics using vector methods. Fields in dielectrics in conductors and in magnetic materials. Time varying fields. Maxwell's equations. Planewave propagation in conducting & Dielectric media properties of Transmission lines.

3. Material Science : (Electric Materials)

Band Theory. Behaviour of dielectrics in static and alternating fields. Piezoelectricity. Conductivity of Metals. Super conductivity. Magnetic Properties of Materials. Ferro and ferri-magnetism, Conduction in Semiconductors, Hall effect.

4. Electrical Measurements

Principle of Measurement. Bridge measurement of Circuit parameters. Measuring Instruments, VTVM and CRO, Q-meter, Spectrum analyser. Transducers and measurement of non-electrical quantities, digital Measurement, telemetering, data recording and display.

Paper II (Code No. 42 for objective type paper and 44 for conventional paper)

5. Elements of Computation

Digital system algorithms, flow-charting, Storage; Type statements, array storage Arithmetic expression logical expressions, Assignments statements. Programme structure. Scientific and Engineering applications.

6. Power Apparatus & Systems

Electromechanics : Principles of electro mechanical energy conversion. Analysis of D.C., synchronous and induction Machines. Fractional horse-power motors. Machines in Control Systems. Transformers magnetic Circuits and Selection of motors for drives. Power System; power generation Thermal, Hydro and Nuclear Power Transmission, Corona Bundle conductors. Power System Protection. Economic operation. Load frequency control, stability analysis.

7. Control Systems

Open-loop and closed loop systems. Response analysis Root-locus technique, stability, compensation and design techniques. State variable approach.

8. Electronics & Communications

Electronics : Solid state devices and circuits. Small signal amplifier design. Feedback amplifiers Oscillators and operational amplifiers, FET circuit and linear ICs Switching circuits Boolean Algebra. Logic circuits Combinational and sequential digital circuit. Communications : Signal analysis. Transmission of signals. Modulation & Detection. Various types of communication systems. Performance of communication systems.

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

Paper I (Code No. 61 for objective type paper and 63 for conventional paper)

1. Materials Components and Devices

Structure and properties of electrical engineering materials. Passive components-types and properties. Active components types and properties.

Solid State Devices-Physics. Characteristics and models.

2. Network Theory

Network Theorems. steady State and transient response of electric circuits. Network analysis, Elementary network synthesis.

3. Electromagnetic Theory

Field theory. Transmission line theory, Antenna Theory. Propagation of electromagnetic waves in bounded and unbounded media.

4. Measurements and Instrumentation

Measurement of basic-electrical quantities. Measuring instruments and their principles of working, Transducers.

Measurement of non-electrical quantities.

Paper II (Code No. 62 for objective type paper and 64 for conventional paper)

1. Linear and Non-linear Analog Circuits

Basic Linear electronics circuits. Pulse shaping circuits. Wave form Generators, Stabilizers.

2. Digital Circuits

Logic circuits and Gates, Computing Circuits, Combinational and sequential circuits.

3. Control Systems

Feedback theory, Control system components, Response of Control Systems, Design of practical system.

4. Communication Systems

Basic Information Theory, Modulation and Detection processes. Various type of communication systems. Radio and line communications, Television and Radar Navigational aids Satellite communication principles.

5. Microwave Engineering

Microwave Sources, Microwave Components and networks. Measurement at microwave frequencies. Microwave Communication Systems.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. Every candidate will be medically examined at Central Hospital Basant Lane, New Delhi on the next day of their personality test or on the date and place as decided by the Ministry of Railways (Railway Board) irrespective of the fact that he/she had appeared for such medical examination in the past and found fit or unfit on the basis of earlier examination. In case a candidate does not appear on the stipulated date, he should immediately submit the reason thereof to the Ministry of Railways within 15 days so that his medical examination can be arranged on next suitable date failing which it will be presumed that the candidate is not keen for appointment and he will not be allotted to any Service post.

3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever corre-

lation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

(b) However, for certain Services the minimum standards for height and chest girth without which candidate cannot be accepted are as follows :—

Name of Services	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
Railway Engineering Service (Civil, Electrical, Mechanical and Signal) and Central Engineering Service Group A and Central Electrical Engineering Service Group A in the C.P.W.D.			
(a) For Male candidates	152 cm.	84 cm.	5 cm
(b) For Female candidates	150 cm.	79 cm.	5 cm.

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidate belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes, etc. whose average height is distinctly lower.

(c) For the Indian Ordnance Factories Service Group A a minimum expansion of 5 centimetres will be required in the matter of measurement of the chest.

4. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be repressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetres to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulders blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters, 83—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fraction of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms—fraction of a kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) **General.**—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any morbid conditions of eye, eyelids or contiguous structure of such a sort as to render or are likely at future date to render him unfit for Service.

(ii) **Visual Acuity.**—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests—one for distant the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for maximum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the conditions of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Service	Distant Vision		Near Vision	
	Better eye (corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye
	1	2	3	4

A. Technical

1. Railway Engineering Service (Civil Electrical Mechanical and Signal)	6/6	6/12	J/I	J/II
		OR		
	6/9	6/9		
2. Central Engineering Service Group A	6/6	6/12	J/I	J/II
Central Electrical and Mechanical Engineering Service Group A, Indian Inspection Service Group 'A' Central Water Engineering Service Group A, Central Power Engineering Service Group A, Central Engineering Service (Roads) Group A and Indian Telecommunication Service Group A Assistant Executive Engineer (Civil of Electrical) in P & T Building Works (Group 'A') Service, Post of Engineer, Group A in W P & C Wing/Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Indian Broadcasting (Engineers) Service, Indian Naval Armament Service, Indian Ordnance Factories Service Group A Border Road Engineering Service Group	6/9	6/9		

	1	2	3	4	5
3. Military Engineer Service, Group 'A', Workshop officer, Group 'A' & Group 'B' Assistant Manager (Factories) Group— 'A', P & T Telecommunication Factories Organisation		6/6	6/18	J/I	J/II
		OR			
		6/9	6/9		
B. Non-Technical					
4. Indian Railway Stores Service and Mechanical Engineer (Junior) Group 'A' Drilling Engineer (Jr.) Group A in G.S.I. Indian Supply Service Group 'A'		6/9	6/12	J/I	J/II

NOTE (1)

(a) In respect of the Technical Services mentioned at A above, the total amount of myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

Provided that in case a candidate in respect of the Services classified as "Technical" (other than the Services under the Ministry of Railways) is found unfit on grounds of high myopia the matter shall be referred to a special boards of three Ophthalmologists to declare whether this myopia is Pathological or not. In case it is not pathological the candidate shall be declared fit provided he fulfils the visual requirements otherwise.

(b) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of any pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.

NOTE (2)

The testing of colour vision shall be essential in respect of the technical Services mentioned at A above except the Indian Telecommunication Service Group A.

Colour perception should be graded into higher and lower grade depending upon the size of aperture in the ratern as described in the table below :

Grade	Higher Grade of colour perception	Power grade of colour perception
1. Distance between the candidate and the lamp	16'	16'
2. Size of aperture	1.3 mm	13 mm
3. Times of exposures	5 seconds	5 seconds

For the Railway Engineering Services (Civil, Electrical, Signal and Mechanical) and other service connected with the safety of the public, higher grade of colour vision is essential but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

The categories of Service posts which require higher or lower grade colour perception are as indicated below :—

Technical Services or posts requiring higher grade colour Perception

(i) Railway Engineering Services.

(ii) Military Engineering Service (IDSE and Surveyor Cadre).

- (iii) Survey of India Group 'A' Service.
- (iv) Central Engineering Service (Roads).
- (v) Central Power Engineering Service.
- (vi) Assistant Manager, (Factories) Group 'A' (P&T) Telecom, Factories Organisation.
- (vii) Border Roads Engineering Service, Group 'A'.
- (viii) Engineer Group 'A' in Wireless Planning and Co-Technical Services or posts requiring lower grade colour Perception
 - (i) Central Engineering Service.
 - (ii) Central Electrical and Mechanical Engineering Service.
 - (iii) Indian Naval Armament Service.
 - (iv) Indian Ordnance Factory Service.
 - (v) Central Water Engineering Service.
 - (vi) Assistant Executive Engineer (Civil & Electrical) in P&T Building Works (Group 'A') Service.
 - (vii) Junior Scale in Indian Broadcasting (Engineers) Service.
 - (viii) Engineer Group 'A' in Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation.

Satisfactory colour vision constitutes recognition of signal red, green and white colours with ease and without hesitation. Both the Ishihara's plates and Edrings Green's lantern shall be used for testing colour vision.

NOTE (3) Field of vision.—The field of vision shall be tested in respect of all Services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (4) For Night Blindness.—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he has been there for 20 to 30 minutes. Candidate's own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

NOTE (5) For Central Engineering Services the Candidates may be required to pass the colour vision test and undergo test for night blindness when considered necessary by the Medical Board. For Survey of India Group 'A' Service the candidate may be required to pass a 'stereoscopic fusion' test.

NOTE (6) Ocular conditions, other than visual acuity—

(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) Squint.—For Technical Services mentioned at A above where the presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acuity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For other Services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(c) If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is amblyopic or has sub-normal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has—

(i) 6 distant vision and J/I near vision with or without glasses provided the errors in any meridian is not more than 4 dipters for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standard of visual acuity will NOT apply to candidates for Post/Services classified as "TECHNICAL".

NOTE (7) Contact Lenses :—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed.

NOTE (8) It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot candles.

NOTE (9) It shall be open to Government to relax any one of the conditions in favour of any candidate for special reasons.

8. Blood pressure.

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal, maximum, systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus age.

(ii) With subject over 25 years of age general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro cardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be free from cloths to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to above 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stand when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the wellheard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Re-checking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

9. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the Glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified

specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion fit or unfit. The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain candidate for several days in hospital under strict supervision.

10. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services, other than Indian Railway Stores Services, the Military Engineer Services, the Indian Telecommunication Service Group A, Central Engineering Service Group A, Central Electrical Engineering Service Group 'A' and the Border Roads Engineering Service Group 'A'. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1	2	3
(1) Marked or total deafness in one year other being normal		Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibels in higher frequency.
(2) Preceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid		Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibels in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) One ear normal, other ear perforation of tympanic membrane present	Temporarily unfit under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other Perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(ii) Marginal or attic perforation in both ears.	Unfit.
	(iii) Central Perforation both ear—	Temporarily unfit.
(4) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides	(i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity—	Fit for both technical and non-technical jobs.

2	3
(5) Persistently Discharge ear operated/unoperated	(ii) Mastoid cavity of both sides— Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibels in either ear with or without hearing aid.
(6) Chronic Inflammatory allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal septum is present with Symptoms Temporarily Unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E. N. T.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then Temporarily Unfit.
(9) Otitis media	(i) Benign Tumours Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumours Unfit.
(10) Congenital defects of year, nose or throat.	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(11) Nasal Poly	(i) If non-interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering severe degree Unfit. Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth) will be considered as sound;

(d) that the chest is well formed and his chest expansion is sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination;

(m) that he is free from communicable disease;

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberration; the Chairman of the Board may consult a Hospital psychiatrist/psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not, it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

13. The Candidates who desire to file an appeal against the decision of the Medical Board are required to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such a manner as may be prescribed by the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) in this behalf. This fee will be refundable only to those candidates who are declared fit by the Appellate Medical Board whereas in the case of others it will be forfeited. Alongwith appeal the candidates must submit a medical certificate by a registered doctor specifically mentioning that he is aware of the candidate having been declared unfit by a Medical Board. Candidates must have a copy of this certificate when they present themselves before the Medical Board. The appeals should be submitted within 21 days of the date of communication in which the decision of the first Medical Board is conveyed to the candidate; otherwise request for medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board will be arranged only at candidate's own cost. No travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination of the Appellate Medical Board. Necessary action to arrange medical examination by the Appellate Medical Board will be taken by the Ministry of Railways (Railway Board) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee within the stipulated time.

14. The decision of the Appellate Medical Board will be final and no appeal shall lie against the same.

Medical Boards Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance of the age and length of service if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy.

Government or the appointing authority as the case may be that he has no disease constitutional affliction or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service the ground for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

The Medical re-examination shall be deemed to be part of the 1st Medical Examination and candidates may, if they so desire, appeal against its decision.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the Statement required below prior to his Medical Examination and must sign the declaration 'appended thereto'. Their attention is specially directed to the warning contained in the Note below--

1. State your name in full (block letters)

.....
.....
.....
.....
.....

2. State your age and birth place

.....

2.(a) Do you belong to races such a Gorkhas, Garhwalis, Assamese Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is, 'Yes', state the name of the race.

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism appendicitis.

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?

.....
.....
.....

4. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause.

.....
.....
.....

5. Furnish the following Particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death
(1)	(2)	(3)	(4)
Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death
(5)	(6)	(7)	(8)

(b) Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical examination.

1. General development
 Good Fair Poor Nutrition
 Thin average Obese Height
 (without shoes) weight Best Weight

When? Any recent change in weight
 temperature

Girth of chest :—

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin. Any obvious disease

3. Eyes

(1) Any disease

(2) Night Blindness

(3) Defect in colour vision

(4) Field of vision

(5) Visual acuity

(6) Fundus Examination

Strength of glasses

Acuity of vision	Naked eye	with glasses	SPh	Cyl	Axis
Distant vision			R.F.	L.E.	
Near vision			R.E.	L.E.	
Hypermetropia (Manifest)			R.E.	L.E.	

6. Have you been examined by a Medical Board before?

7. If answer to the above is 'Yes' please state what Service(s)/post(s) you were examined for?

8. Who was the examining authority?

9. When and where was the Medical Board held?

10. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or it known

I declared all the above answers to be, true and correct to the best of my belief.

Candidate's Signature

Signed in my presence

Signature of Chairman of the Board

Note—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed of for feinting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

4. Ears : Inspection

Hearing	Right	Ear
Left Ear.		

5. Glands Thyroid

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs.

If yes, explain fully.....

8. Circulatory system :

(a) Heart : Any organic lesions
 Rate Standing
 After hopping 25 times
 Two minutes after hopping

(b) Blood Pressure : Systolic
 Diastolic

9. Abdomen : Girth Tenderness
- Hernia
- (a) Palpable Liver Spleen
-
-
- Kidneys
- Tumours
- (b) Haemorrhoids Fistula
10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities
11. Loco-Motor System : Any abnormality
12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele etc. Urine analysis :
- (a) Physical Appearance
- (b) Sp. Gr.
- (c) Albumen
- (d) Sugar
- (e) Casts
- (f) Cells.....
13. Report of X-Ray Examination of Chest

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Service for which he is a candidate.

Note :—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide Regulation 9.

15. For which services out of the following seven categories has the candidate been examined and found in all respect qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit :—

- (i) Railway Engineering Services, Gr. A (Civil, Electrical, Mechanical and Signal), CES Gr. A and CE & MES Gr. A.
- (ii) I.I.S. Gr. A, CWES Gr. A, CPES Gr. A, CES (Roads) Gr. A, Assistant Executive Engineer and Asstt. Engr. (P&T Board) (Civil Engineering Wing) Posts of Engineer Gr. A (WP&C Wing, Monitoring Organisation), IBS, INAS Gr. A, BRES Gr. A.
- (iii) MES Gr. A and Workshop Officer, Gr. A and Gr. B in the Ministry of Defence, Survey of India.
- (iv) IOFS (Gr. A).
- (v) Assistant Manager (Factories) Gr. A in P&T.
- (vi) IRSS Gr. A, ISS Gr. A, TIS Gr. B, Posts of Assistant Drilling Engineer Gr. A, Mechanical Engr. (Jr.) Gr. A and Assistant Mechanical Engineer, Gr. B in Geological Survey of India and Assistant Director (Tech) in Department of Heavy Industry.

Is the candidate fit for Field Service ?

Note :—The Board should record their findings under one of the following categories :—

- (i) Fit
- (ii) Unfit on account of

President.....

Member.....

Place

Date

APPENDIX III

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES/POSTS TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE ON THE RESULTS OF THIS EXAMINATION.

1. INDIAN RAILWAY SERVICE OF ENGINEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF ELECTRICAL ENGINEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF SIGNAL ENGINEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF MECHANICAL ENGINEERS AND INDIAN RAILWAY STORES SERVICE.

(a) Probation :—Candidates recruited to these Services will be on probation for a period of three years during which they will undergo training for two years and put in a minimum of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily, the total period of probation will be correspondingly extended. Even if the work during the period of probation in the working post is found not to be satisfactory, the total period of probation will be extended as considered necessary by the Government.

(b) Training :—All the probationers will be required to undergo training for a period of two years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular Service/post at such place and in such manner and pass such examinations during this period as the Government may determine from time to time.

(c) Termination of appointment :—(i) The appointment of probationers can be terminated by three months' notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however required in case of dismissal or removal as disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity. The Government however, reserve the right to terminate the services forthwith.

(i) If in the opinion of the Government the work or conduct of probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(ii) Failure to pass the departmental examination may result in termination of services. Failure to pass the examination in Hindi of an approved standard within the period of probation shall be liable to termination of services.

(d) Confirmation :—On the satisfactory completion of the period of probation and on passing all the prescribed departmental and Hindi examinations, the probationers will be confirmed in the Junior Scale of the Service if they are considered fit for appointment in all respect.

(e) Scales of pay :—

- (i) Junior Scale—Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-.
- (ii) Senior Scale—Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.
- (iii) Junior Administrative Grade II—Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.
- (iv) Senior Administrative Grade II—Rs. 5900-200-6700/-.

In addition there are supertime scale posts carrying pay between Rs. 5900/- and Rs. 8000/- to which the officers of the above Services are eligible

A probationer will start on the minimum of Junior Scale and will be permitted to count the period spent in probation towards leave, pension and increments in time scale.

Dearness and other allowances will be admissible in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

Failure to pass the departmental and other examination during the period of probation may result in stoppage or postponement of increment.

(f) Refund of the cost of training.—If for any reasons which in the opinion of the Government; are not beyond the control of the probationer, a probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation. For this purpose probationers will be required to furnish a Bond a copy of which will be enclosed alongwith their offers of appointment. The probationers permitted to apply for examination for appointment to Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of the training.

(g) Leave :—Officers of the Service will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

(h) Medical Attendance :—Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

(i) Passes and Privilege Ticket Orders :—Officers will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(j) Provident Fund and Pensions :—Candidates recruited to the Service will be governed by the Railway Pension Rules and shall subscribe to the State Railway Provident Fund (Non-contributory) under the rules of that Fund as in force from time to time.

(k) Candidates recruited to the Services/Posts are liable to serve in any Railway or Project in or out of India.

(l) Liability to serve in Defence Service :—The probationers appointed shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

2. CENTRAL ENGINEERING SERVICE GROUP A AND CENTRAL ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING SERVICE GROUP A.

(a) The selected candidates will be appointed on probation for two years. They would be required to pass the prescribed departmental examination during the period of probation. On satisfactory completion of their probation they would be considered for confirmation or continuance in their appointment. Government may extend the period of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of opinion that the officer is not fit for permanent employment/retention or if at any time during such period of probation or extension, they are satisfied that the officer will not be fit for permanent appointment/retention on the expiration of such period or extension they may discharge the officer or pass such order as they think fit.

(b) As things stand at present, all officers appointed to Central Engineering Services Group 'A' are eligible for promotion to the next higher grade viz., Executive Engineer after completion of five years service in the grade of Assistant Executive Engineer, subject to availability of vacancies and on condition that they are otherwise found fit for such promotion.

(c) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if so required be liable to serve in any Defence Service, or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

(i) J.T.S. (A.E.E.) Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-.

(ii) S.T.S. (E.E.) Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.

(iii) Junior Administrative Grade (S.E.) :

(a) Ordinary Grade Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.

(b) Selection Grade Rs. 4500-150-5700/-.

(iv) Senior Administrative Grade (C.E.) Rs. 5900-200-6700/-.

(v) Super time Scale.

Additional DG(W) D.G.R. Rs. 7300—7600—These Posts are common to Rs. 8000/- fixed all the three disciplines i.e. Civil, Electrical and Mechanical and Architectural.

Note—The pay of a Government servant who held a permanent posts other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(I).

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in Central Engineering Service (Group A) and Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Group A).

(i) Central Engineering Service Group A.

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of various civil works (of Central Government) comprising residential buildings, office buildings, institutional and research centres, industrial buildings, hospitals and development schemes, aerodromes, highway and bridges etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Civil) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

(ii) Central Electrical and Mechanical/Engineering Service Group A.

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of electrical components of various civil works (of Central Government) comprising of electrical installations, electric substations and power houses, air-conditioning and refrigeration, runway lighting of aerodromes, operation of mechanical workshops, procurement and upkeep of construction machinery etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Electrical) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

3. MILITARY ENGINEER SERVICE GROUP A

(a) The selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. A probationer during his probationary period may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient or if the probationer fails to pass the prescribed tests during the period Government may discharge him. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further periods as Government may consider fit.

Probationers will be required to pass the MES Procedure Supdts. (B/R & E/M) Grade I Examination and Hindi Test during their probationary period of two years. The standard for Hindi Test should be "PRAGYA" (equivalent to Matriculation standard).

(b) (i) The selected candidates shall if so required be liable to serve as commissioned officers in the Armed Forces for a period of not less than 4 years including the period spent on training, if any;

Provided that such a candidate—

- (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;
- (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(b) The candidates shall also be subject to Civilians in Defence Service (Field Liability) Rules of 1957 published under SRO, No. 92, dated 9th March 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein.

(c) the following are the rates of pay :—

- (a) Assistant Executive Engineer/Assistant Surveyor of Works—Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-.
- (b) Executive Engineer/Surveyor of Works—Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.
- (c) Superintending Engineer (Ordinary Grade), Superintending Surveyor of Works (Ordinary Grade).—Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.
- (d) Superintending Engineer (Selection Grade)/Superintending Surveyor of Works (Selection Grade).—4500-150-5700/-.
- (e) Additional Chief Engineer—Rs. 4500-150-5700/- plus Special pay of Rs. 400/-.
- (f) Chief Engineer/Chief Surveyor of Works—Rs. 5900-200-6700/-.
- (g) Additional Director General (Works) Rs. 7300-100-7600/-.

4. INDIAN ORDNANCE FACTORY SERVICE GROUP A

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of 2 years. The period of probation may be reduced or extended by the Government on the recommendation of Director General, Ordnance Factories/Chairman, O.F. Board. Probationer will undergo such practical training as shall be provided by the Government and may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. The language test will be a test in Hindi.

On the conclusion of the period of his probation Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

(b) (i) Selected candidates shall if so required be liable to serve as Commissioned officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training if any provided that such persons (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidate shall also be subject to Civilians in Defence Service (Field Liability) Rules, 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein.

(c) The following are the Scales of Pay admissible :—

Jr. Time Scale	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000
Sr. Time Scale	Rs. 3000-100-3500-125-4500.
Jr. Admin. Grade (OG)	Rs. 3700-125-4700-150-5000.
Jr. Admin. Grade (SG)	Rs. 4500-150-5700.
Sr. Admin. Gr.	Rs. 5900-200-6700.
Sr. General Manager	Rs. 7300-100-7600.
Adtl. D.D.G./Mem'br.	Rs. 7300-200-7500-250-8000.
OFB	
D.D.G./Chairman OFB	Rs. 8000.

Note :—The Pay of Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provisions of Ministry of Defence O.M. No. 15(6)/64/D(Apps) 105/D (Civ. I) dated the 25th November, 1965 as amended from time to time.

(d) Probationers are required to undergo Foundational course at Mussoorie/Nagpur.

(e) A probationer so recruited shall have to execute a bond before joining the service.

5. INDIAN TELECOMMUNICATION SERVICE GROUP A

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years. If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith on the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

Officer will be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass a test in Hindi before confirmation.

(b) Officers will also be required to pass professional and language test.

(c) Any person appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) the following are the scales of pay admissible :—

(i) Junior Time Scale : Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 -.

(ii) Senior Time Scale : Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.

(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.

(iv) Selection Grade JAG : Rs. 4500-150-5700/-.

(v) Senior Administrative Grade : 5900-200-6700/-.

(vi) C.G.M. Grade : Rs. 7300-100-7600/-.

(vii) Adviser's Grade : Rs. 7300-200-7500-250-8000/-.

(viii) The Officers shall also be eligible for consideration for the posts of Members of the Telecom. Commission which is equivalent to secretary to Govt. of India—Rs. 8000/-.

Note : The pay of a Government Servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22B(I).

In case the substantive pay is or exceeds Rs. 2350 an officer in the Junior Scale of Indian Telecommunications Service, Group A, will not draw any increment till he passes the departmental examinations.

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the post in the Indian Telecommunication Service (Group A).

Assistant Divisional Engineer

Assistant Divisional Engineers will be incharge of a Telegraphs/Telephones Engineering Sub-Division. Incharge of Carrier VFT Coaxial Microwave. Long Distance, Electrical and Wireless Station and will work generally under a Divisional Engineer. They may also be attached to project Organisation to carry out installation/construction job of various Telecommunication net work.

Divisional Engineer

Divisional Engineers are placed incharge of Telegraphs/Telephones Engineering Division including Long Distance. Coaxial Microwave maintenance Division and Wireless Divisions. They will be fully responsible for the maintenance of the Telegraphs and Telephones equipments in their charge and will also execute work within their Division. When Divisional Engineers are attached to Project Organisations they will be required to do construction/installation job in the unit.

Junior Administrative Grade

Responsible for administration of Telecommunication assets in the Telecommunication Circles and Telephones Districts and administration and Planning of Telecommunication installations, research and development in Telecommunication system etc. Overall incharge of management and administration of Minor Telephone District. Telecommunication Circle etc.

Senior Administrative Grade and CGM Grade

Head of Telecommunications Circle/Telephones District/Project Circle/Telecommunication Maintenance Region responsible for the overall management and administration of his charge. Deputy Director General, Telecom Commission provides the top level assistance to the Telecom Commission in framing policy and in overall administration. Sr. DDG Telecom Engineering Centre and DDGs Telecom Engineering Centre are responsible for overall research activities of the Telecommunication/Engineering Centre.

Advisor Grade

In the rank of Additional Secretary to the Government of India primarily responsible for formulating the personnel policies; Operations and maintenance of the telecom networks—both local and long distance; ensuring Annual Plan Implementation by the field units by ensuring timely approval of projects and production/supply of necessary equipment to the field units; and assessment and induction of the new technologies into the telecom network.

6. CENTRAL WATER ENGINEERING (GROUP A) SERVICE

(i) Persons recruited to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer in the Central Water Commission shall be on probation for a period of two years.

Provided that the Government may, where necessary extend the said period of two years for a further period not exceeding one year.

If on the expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if any time during such period of probation or extension they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation the candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examination and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

(ii) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Services or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person :—

- shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.
- shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iii) The officers appointed to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer can look forward for promotion to higher grade of Deputy Director/Executive Engineer/Superintending Engineer/Director (Ordinary Grade), Director/Superintending Engineer (Selection Grade)/Chief Engineer/Member/Chairman, CWC after fulfilling the prescribed conditions.

(iv) The scales of pay for Group 'A' Engineering post in Central Water Commission are as follows :—

(Civil and Mechanical Posts in the Central Water Commission).

1. Assistant Director/ Assistant Executive Engineer	Rs. 2220-75-2800-EB-4500 100-4000.
2. Deputy Director/ Executive Engineer	Rs. 3000-100-3500-125-4500.
3. Superintending Engineer/Director (Ordinary Grade)	Rs. 3700-125-4700-150-5000.
4. Director/Superintending Engineer (Selection Grade).	Rs. 4500-150-5700
5. Chief Engineer	Rs. 5900-200-6700.
6. Member CWC/ Chairman GFCC.	Rs. 7300-100-7600.
7. Chairman, CWC.	Rs. 8100 (fixed)

(v) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in the Central Water Engineering (Group A) Service.

Assistant Director (Civil and Mechanical)

Planning, Surveys investigation and design of projects including preparation of estimates, reports etc., for the conservation and regulation of water resources for the development of irrigation, navigation, power, domestic water supply, flood control and other purposes.

Assistant Executive Engineer (Civil and Mechanical)

Responsible for the Sub-Division or other units of works allotted to him. He is required to maintain accounts records of cash and stores under his charge as well as work abstracts with certain accompaniments for each work as process in the Sub-Division. He is responsible for the correct maintenance of measurement books, muster rolls and other records under his charge in accordance with the prescribed rules, etc.

7. CENTRAL POWER ENGINEERING (GROUP A) SERVICE

(i) Description of the Organisation

The Central Electricity Authority was constituted under Section 3(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948, and is vested with the responsibility to develop a strong, adequate and uniform national Power Policy to co-ordinate the activities of the Planning agencies in relation to the control and utilization of the National Power resources. All the Power Schemes (Generation, Transmission, Distribution and Utilisation of Power Supply) in the country are scrutinised in the Central Electricity Authority in respect of feasibility, technical analysis, economic viability, etc. to ensure that the schemes would fit into the overall development of the States as well as the Region and will conform to the overall context of National Economy. The organisation occupies pivotal position in the development of national economy power providing its main motive force.

(ii) Description of the grade to which the recruitment is made through the Engineering Services Examination held by Union Public Service Commission.

Fifty per cent of vacancies in the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer in the scale of Rs. 2200-4000/- are filled by direct recruitment on the results of the Engineering Services Examination held by the Union Public Service Commission annually.

Persons appointed to the posts of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) shall be on probation for a period of two years provided that the Government may, where necessary extend the said period of two years for a further period not exceeding one year.

If on the expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof, as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if at any time during such period of probation or extension, they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation, the candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

Any person appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any, provided that such persons—

- shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;
- shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iii) Promotion to higher grades

The officers appointed to the posts of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer are eligible for promotion to higher grade viz. Deputy Director/Executive Engineer/Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade), Director/Superintending Engineer (Selection Grade) and Chief Engineer subject to availability of vacancies in the grade concerned, after fulfilling the conditions laid down in the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1965 as amended from time to time.

(iv) Scale of pay

The scale of pay for the posts of Central Power Engineering (Group A) Services in the Central Electricity Authority are as follows :—

Electrical, Mechanical and Tele-communication posts in the Central Electricity Authority :—

Name of the Post	Pay Scale
1. Assistant Director (Grade-I)/ Assistant Ex-Engineer	Rs. 2200-75-2800-EB-100 4000.
2. Dy. Director/ Ex-Engineer	Rs. 3000-100-3500-EB-125- 4500.
3. Director/Supd. Engineer [Ordinary (Grade)]	Rs. 3700-125-4700-EB-150 5000.
4. Director/Supd. Engineer (Selection Grade)	Rs. 4500-150-5700.
5. Chief Engineer/ Member-Secretary	Rs. 5900-200-6700.

(v) Duties and responsibilities

Nature of duties and responsibilities attached to the posts of Assistant Director (Grade I)/Assistant Executive Engineer are :—

Collection, compilation and co-relation of technical data required for dealing with various types of problems in the fields of power development. He is also required to deal with cases and handle matters in relation thereto including erection; operation, maintenance of Hydro and Thermal Power Projects as well as Transmission and Distribution Power Systems, studying project reports, providing assistance in preparation of power plans, designs or projects etc. While working in field Units, he is responsible for the Sub-Division or other works allotted to him.

8. POSTS IN THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Persons recruited to the posts of Drilling Engineer (Junior) and Mechanical Engineer (Junior) (Group A posts) in the Geological Survey of India in a temporary capacity will be on probation for a period of two years. Retention in service for a further period over two years will depend on assessment of their work during the period of probation. This period may be extended at the discretion of the Government. They will receive pay in time scale of Rs. 200-75-2500-EB-100-4000/-. On completion of their period of probation satisfactorily, if they are considered fit for permanent appointment they will be considered for confirmation according to rules subjects to the availability of substantive vacancies.

The persons appointed to the posts of Drilling Engineer (Junior) and Mechanical Engineer (Junior) in the Geological Survey of India, shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period of training, if any

Provided that such a person :—

- shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment as Drilling Engineer (Junior) or Mechanical Engineer (Junior) Geological Survey of India, and
- shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

The following is the field of promotion open to those found fit according to the rules and instructions on the subject :—

A—For Drilling Engineer (Junior) Group 'A'—Rs. 2200-75-2500-EB-100-4000/-.

(i) Drilling Engineer (Senior)—Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.

(ii) Director (Drilling)—Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.

(iii) Deputy Director General (Engineering Services)—Rs. 5900-200-6700/-.

(iv) Sr. Deputy Director General—Rs. 7300-100-7600/-.

B—For Mechanical Engineer (Junior) Group A—Rs. 2200-75-2500-EB-100-4000/-.

(i) Mechanical Engineer (Senior)—Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.

(ii) Director (Mechanical Engineering)—Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.

(iii) Deputy Director General (Engineering Services)—Rs. 5900-200-6700/-.

(iv) Sr. Deputy Director General—Rs. 7300-100-7600/-.

The Officers recruited in the Geological Survey of India will be required to serve anywhere in India or outside the country.

NOTE :—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(I).

Nature of duties & responsibilities attached to the posts in Geological Survey of India Mechanical Engineer (Junior)

Maintenance & repairs of drills, vehicles & other equipment, allotment of drivers & vehicles for various field duties and assignment, scrutiny and maintenance of P.O.L. issues and records, log books, history sheets etc. Fabrication and Manufacturing of Drilling & Scientific accessories.

Drilling Engineer (Junior)

Carrying out drilling operation in connection with mineral exploration with one or more drilling rigs, ensuring optimum percentage of core recovery, upkeep of machinery and vehicles deployed in good order, security of Government Stores and imprest placed at his disposal, maintenance of stores and cash accounts and looking after the welfare of staff employed under him.

9. ENGINEERS (GROUP A) IN THE WIRELESS PLANNING AND COORDINATION WING/MONITORING ORGANISATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DEPARTMENT OF TELE-COMMUNICATIONS).

(a) Scale of pay Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.

(b) The incumbent of the post of Engineer is eligible for promotion against 100% of the vacancies in the grade of Assistant Wireless Adviser, Wireless Planning and Coordination Wing/Engineer-in-Charge, Monitoring Organisation (Scale of Pay Rs. 3000-100-3500-125-4500/- plus Rs. 200/- per month as special pay for the post of Assistant Wireless Adviser) after putting in five years service in the grade Promotion to the grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-Charge will be on the basis of their selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as constituted for Group A posts.

All Assistant Wireless Adviser and Engineer-in-Charge with 5 years service in the Grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-Charge are eligible for being considered for promotion as Deputy Wireless Adviser/Deputy Director (Scale Rs. 3700-125-4700-150-5000/-) The vacancies in the grade of Deputy Wireless Adviser/Deputy Director are filled 100% by promotion on the basis of selection on the recommendations, of the DPC as constituted for Group A posts.

The requirements for promotion to the next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(c) The person appointed to the post of Engineer is liable to be posted anywhere in India.

(d) Any person appointed to the post of Engineer shall if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than 4 years including the period spent on training if any.

Provided that such a person :—

(i) Shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) Shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) Nature of Duties and Responsibilities Attached to the Post.

(i) Supervision guidance and training of staff in the different units of the WPC Wing/Wireless Monitoring Organisation.

(ii) Installation, calibration, testing and maintenance of various categories of electronic equipment, antennae and ancillaries employed in radio frequency monitoring, covering the entire radio frequency spectrum and various types of commissions.

(iii) Licensing and inspection of wireless installations of the various user departments/organisations for different types of the radio communication services.

(iv) All aspects relating to national and international co-ordination for the use of radio frequency spectrum and geostationary satellite orbit, including preparation of allocation plans, establishment of relevant technical standards, type-approval of equipment, studies of electromagnetic interference compatibility etc.

(v) Administration of Internal Radio Regulations including formulation and implementation of corresponding national rules and regulations.

(vi) Conducting of examination for Certificate of Proficiency Radio Amateurs etc. and issuing of respective licences.

(vii) Research and development work relevant to radio frequency management and monitoring.

(viii) National level preparation for the conference and meeting of International Telecommunication Union, and as appropriate, or other international/regional organisations dealing with telecommunications.

10. CENTRAL ENGINEERING SERVICE (ROADS), GROUP A

(a) The selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineer on probation for two years. On the completion of the period of probation, if they are considered fit for permanent appointments, they will be confirmed as Assistant Executive Engineer if permanent vacancies are available. The Government may extend the period of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of the opinion that an Assistant Executive Engineer is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation on extension they are satisfied that an Assistant Executive Engineer will not be fit for permanent appointment on the expiration of such periods of extension, they may discharge the Assistant Executive Engineer or pass such orders as they think fit.

(b) Any person appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the scale of pay admissible :

Assistant Executive Engineer Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/—.

Executive Engineers Rs. 3000-100-3500-125-4500/—.

Superintending Engineer Rs. 3700-125-4700-150-5000/—.

Superintending Engineer (Selection Grade) Rs. 4500-150-5700/—.

Chief Engineer Rs. 5900-200-6700/—.

Additional Director General (Road/Bridges) Rs. 7300-100-7600/—.

Director General (Roads Development) and Additional Secretary Rs. 7300-200-7500-250 8000/—.

Note : The pay of Government servant who hold a permanent post other than a tenure post in substantive capacity prior to his appointment as a probationer in the Central Engineering Services, Group A/Group B will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in Central Engineering Service (Roads) Group A.

(i) Civil Engineering Posts :—

To assist the Senior Technical Officers at Hqrs. and in the Regional Offices etc. of the Roads Wing, Ministry of Surface Transport in planning, preparing designs and estimates of Roads/Bridges work and scrutiny of proposals for such work received from the States.

(ii) Mechanical Engineering Posts :—

To assist the Senior Technical Officers at Hqrs. and in the Regional Offices etc. of the Roads Wing, Ministry of Surface Transport in planning, procurement, operation and maintenance of Roads/Bridges constructions equipments, to prepare estimates for repairs and maintenance of such equipments and scrutiny of proposals and estimates received from the States.

11. INDIAN BROADCASTING (ENGINEERS) SERVICE, MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING.

(a) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior scale shall be on probation for a period of two years.

(i) Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time.

(ii) Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing with the said period.

(iii) On completion of the period of probation or any extension thereof Officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(iv) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Govt. is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment in Government it may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be or pass such orders as they deem fit.

(v) During the period of probation or any extension thereof candidates may be required by the Government to undergo such course of training and instruc-

tions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as Govt. may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(b) Appointment to the Service.—All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various grades of the Service whether in 'Akashvani' or in 'Doordarshan'.

(c) Liability for service in any part of India and other conditions of service :—

(i) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(ii) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any. Provided that such officers :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Services.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

(b) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to officers of Central Civil Services in general.

The following are the scale of pay admissible :—

1. Junior Scale	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.
2. Senior Scale	Rs. 3000-100-3500- 25-4500
3. Junior Administrative Grade	Rs. 3700-125-4700-150-5000
4. Junior Administrative Grade (Selection Grade)	Rs. 4500-150-5700.
5. Senior Administrative Grade	Rs. 5900-200-6700.
6. Engineer-in-Chief	Rs. 7300-100-7600

Nature of Duties and responsibilities attached to the Post of Junior Scale of Indian Broadcasting (Engineers) Service (Group A) : Designs, installation, operation and maintenance of Broadcast and TV studios and transmitters. Responsibility for the supervision of the work of subordinate Engineers.

12. INDIAN NAVAL ARMAMENT SERVICE

(a) Candidates selected for appointment to the service will be appointed as probationers for a period of two years which period may be extended at the discretion of competent authority. Failure to complete the probation to the satisfaction of the competent authority will render them liable to discharge from service.

(b) The appointment can be terminated at any time by giving the required period of notice (one month in the case of temporary appointment and three months in the case of permanent appointment by competent authority). The Government, however, reserves the right of terminating services of the appointees forthwith or before the expiry of the stipulated period of notice by making payment of a sum equivalent to pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

(c) They will be subject to terms and conditions of the Service as applicable to Civilian Government Servants paid from the Defence Services Estimates in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. They will be subjected to Field Service Liability Rules 1957 as amended from time to time.

(d) They will be liable for transfer anywhere in India or abroad.

(e) Scale of pay and Classification—Group A Gazetted.

(i) Deputy Armament Supply Officer, Grade-I—Rs. 2200—75—2800—EB—100—4000.

(f) Deputy Armament Supply Officer, Grade-I—Rs. 3000—100—3500—125—4500.

(iii) Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) Rs. 3700—125—4700—150—5000.

(iv) Naval Armament Supply Officer (Selection Grade)—Rs. 4500—150—5700.

(v) Director of Armament Supply—Rs. 5900—200—6700.

(f) Prospects of Promotion to higher grades :—

(i) Deputy Armament Supply Officer, Grade I DASOs Grade II with 5 years service are eligible for promotion to the grade of DASO Grade I in the scale of pay of Rs. 3000—4500/- on the basis of selection on the recommendations of DPC provided that only those officers will be considered for promotion who have passed the departmental examination which may be held after technical training course or the naval Technical Staff Officers Course at the I.A.T., Kirkee.

(ii) Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade).

Deputy Armament Supply Officer, Grade I with 5 years' service as such are eligible for promotion to the grade of Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) in the pay scale of Rs. 3700—5000 on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(iii) Naval Armament Supply Officer (Selection Grade).

Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) with 5 years' service as such are eligible for promotion to the grade of Naval Armament supply Officer (Selection Grade) in the pay scale of Rs. 4500—5700 on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(iv) Director of Armament Supply.

Naval Armament Supply Officer (Selection Grade) with 3 years service in the grade(s) are eligible for promotion to the grade of Director of Armament Supply in the pay scale of Rs. 5900—6700 on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

The requirements for promotion to next higher grade as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

Note : The pay of the Government servant who held a permanent post other than tenure post in a substantive capacity immediately prior to his appointment as a probationer may be regulated subject to the provision of F.R. 22B(1) and the Corresponding article in CSR applicable to probationer in the Indian Navy.

(g) Nature of duties and responsibilities attached to the post of Deputy Armament Supply Office Grade II in the Indian Navy, Ministry of Defence.

(i) Production, planning and direction of work relating to repair, modification and maintenance of armaments, incorporating various mechanical, electronics and electrical devices and system production and productivity.

(ii) Provision of machinery, electronic and electrical equipment for repair, maintenance and overhaul.

(iii) Development work to establish import substitutes, preparation of indigenous design specifications.

(iv) Providing of mechanical, electronics and electrical spare for armaments.

(v) Periodical calibration testing/examination of sub-assemblies and assemblies of mechanical electronics and electrical items of armaments (missiles, torpedos, mines and guns) measuring instruments etc.

(vi) Providing logistic support in respect of armament stores to fleet and Naval Establishments.

(vii) Rendering of technical advice to the service in all matters relating to mechanical, electronic and electrical engineering in respect of armaments.

13. ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEERS IN P&T BUILDING WORKS (GROUP 'A') SERVICE

(a) The candidates will be appointed on probation for a period of two years. They will be required to undergo a training as prescribed. If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer appointed on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith. On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment. If his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory. Government may, either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

Officers will be required to pass the departmental examination or examinations that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass a test in Hindi.

(b) An officer appointed on the results of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such persons—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the scales of pay admissible :—

Group A

(1) Assistant Executive Engineer (Civil/Electrical) Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.

(ii) Executive Engineer (Civil) Surveyor of Works (Civil) Executive Engineer (Head Quarter) Rs. 3000-100-3500-125-4500.

(iii) Superintending Engineer (Civil)/Superintending Surveyor of Works (Civil)/Superintending Engineer (Head Quarter) Rs. 3700-125-4700-150-5000.

(iv) Superintending Engineer/Superintending Surveyor of Works (Civil/Electrical) (Selection Grade) Rs. 4500-150-5700.

(v) Chief Engineer (Civil/Electrical) (Senior Administrative Grade) Rs. 5900-200-6700.

(vi) Senior Deputy Director General (Building Works) Rs. 7300-100-7600.

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in P&T Civil Wing are as follows :—

Candidates recruited to P&T Civil Wing through Engineering Services Examination are employed in Planning Designing, Construction and Maintenance of various civil works of P&T Department comprising of Residential Build-

ings, Office Buildings, Telephone Exchange Buildings, Post Office Buildings, Factories, Store and training centres etc. The candidates start their service in the department as Asstt. Executive Engineers/and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the department.

14. POST OF WORKSHOP OFFICER, IN THE CORPS OF EME, MINISTRY OF DEFENCE :—

- (a) Persons recruited to the post of Workshop Officer in the Corps EME will be on probation for a period of two years.
- (b) Candidates appointed to the post will be liable to serve any where in India.
- (c) The following are the rates of pay admissible :—
 - (i) Workshop Officer Group B—Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.
 - (ii) Workshop Officer Group A—Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.
 - (iii) Senior Workshop Officer—Rs. 3000-100-3500-125-4500.
 - (iv) Workshop Superintendent—Rs. 3700-125-4700-150-5000.
 - (v) Workshop Superintendent (Selection Grade)—Rs. 4500-150-5700.
 - (vi) Chief Engineer—Rs. 5100-150-5700.
- (d) Duties.—To function as an incharge of a section undertaking repairs of 'A', 'B' and 'C' Vehicles, Guns, Wireless and Radar Equipment and Instruments, will be required to work as Workshop Officer in EME Army Base Workshop/Station Workshops and/or Staff EME (Extra-Regimental Employment) appointments in lieu of captain (EME) or as Instructor in EME Training Establishments including administrative duties.
- (e) The posts are non-pensionable in the initial stage but become pensionable if and when made permanent. However, if a person holding a permanent pensionable post under Government is appointed he will continue to enjoy his pensionary status.
- (f) Candidates selected for the post are bound for field service liability and should possess medical category I (one).
- (g) The officers have chances of further studies like M. Tech., specialization in various discipline viz. Radar, communication, tanks and guns etc. and various courses in foreign countries :—

15. INDIAN SUPPLY SERVICE :—

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. On completion of the period of probation the officers, if considered fit for permanent appointment, will be confirmed in their appointments subject to availability of permanent posts. The Government may extend the period of two years of probation.

If on the expiry of the period of probation or any extension thereof, the Government are of the opinion that an officer is not fit for permanent employment, or if at any time during such period of probation or extension thereof they are satisfied that any officer will not be fit for permanent appointment on the expiry of such period or extension thereof they may discharge the officer or pass such order as they think fit.

The officer will also be required to pass a prescribed test in Hindi before confirmation.

(b) Any person appointed on the result of this competitive examination shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such persons—

- (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.
- (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.
- (c) The following are the rates of pay admissible :—

Junior Time Scale

Assistant Director (Grade-I) Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-

Senior Time Scale

Deputy Director Rs. 3000-100-3500-125-4500/-

Jr. Administrative Grade

Director (Ordinary) Rs. 3700-125-4700-150-5000/-

Director (Non-Functional Selection Grade) Rs. 4500-150-5700/-

Sr. Administrative Grade

Deputy Director General Rs. 5900-200-6700/-

Higher Administrative Grade

Additional Director General Rs. 7300-100-7600/-

NOTE :—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to this appointment as a probation will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B (1).

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in Indian Supply Service Group 'A'

The main item of work of the officers of this Service is to conclude long term contracts for procurement of stores which are commonly required by various Central Government Departments on recurring basis. Such stores cover a wide variety of items starting from simple hardware items to sophisticated and costly engineering and electronic items. As and when requested, the officers of this Service are also to arrange purchase of ad hoc requirements of stores of different Government organisations. In addition, they are to frame purchase policies which are adopted by other Government Departments also and, when requested, guide other Government Departments in such matters. Their duties also include disposal of certain categories of surplus Defence stores and clearance of Government cargoes at the Indian ports of entry on request. The officers of the Indian Supply Service are therefore, expected to possess the requisite technical backgrounds to deal with such diversified nature of duties.

16. BORDER ROADS ENGINEERING SERVICE GROUP 'A'

(i) The selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineers on probation for a period of two years. The probationer during the probation period may be required to pass such departmental tests as Government may prescribe. At any time during the period of probation or on conclusion thereof, if his work and conduct has in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(ii) The selected candidates shall be liable to serve in any part of India or outside including the field area in war and in peace. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down for the field service.

(iii) The following are scales of pay admissible to them:—

(a) AEE (Civil)	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.
Executive Engineer (Civil)	Rs. 3000-100-3500-125-4500
Superintending Engineer (Civil)	Rs. 3700-125-4700-150-5000.
Superintending Engineer (Civil) (Selection Grade)	Rs. 4500-150-5700
Chief Engineer (Civil)	Rs. 5900-200-6700.
Addl. DGBR	Rs. 7300-100-7600
(b) AEB (E&M)	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.
Executive Engineer (E&M)	Rs. 3000-100-3500-125-4500.
Superintending Engineer (E&M)	Rs. 3700-125-4700-150-5000.
Superintending Engineer (E&M) (Selection Grade)	Rs. 4500-150-5700.
Chief Engineer (E&M) Proposed to be created in due course)	Rs. 3900-200-6700.

(iv) The officers appointed to the post of Assistant Executive Engineer can look forward to promotion to the higher grades of Executive Engineer, Superintending Engineer, Chief Engineer (applicable to officers on the Civil Engineering side only) after fulfilling the prescribed conditions.

No post of Chief Engineer exists at present on the Mechanical Engineering side.

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

- (v) The Officers appointed to the service are entitled to special compensatory allowance and free ration at prescribed scales when employed in certain specified area besides the other usual allowances such as H.R.A. and C.C.A. etc., as admissible to Central Government Servants. They are also entitled to outfit allowances for the uniform.
- (vi) The Officers appointed to the Border Roads Engineering Service Group 'A' post would also be subject to Army Act, 1950 for the purpose of discipline.
- (vii) Ladies are ineligible for appointment in Border Roads Engineering Service Group 'A' in view of the extension of the provisions of Section 12 of the Army Act to this Service.

17. POSTS OF ASSISTANT MANAGER (FACTORIES) GROUP A IN THE P & T TELECOM FACTORIES ORGANISATION:—

- (i) persons recruited to the post of Assistant Manager (Factories) in the scale of pay Rs. 2200—4000/- shall be on probation for a period of 2 years.
- (ii) During the period of probation, the candidate shall be required to undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed by the Central Government from time to time and are required to pass a professional examination and a test in Hindi.

(ii) Any person appointed to the post of Assistant Manager, (Factories) shall, if so required be liable to serve in the Defence Services or posts connected with the Defence of India, for a period not less than four years including the period spent on training if any.

Provided that such person—

- (a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.
- (iv) Prospects of promotion to higher grades:
- (a) Assistant Managers with a minimum of 5 years of a regular service in the grade are eligible for promotion to the grade of Senior Engineer (Sr. Time Scale) in the scale of Rs. 5000—4500/-.
- (b) Senior Engineers with a minimum of 5 years of service in the grade are eligible for promotion to the grade of Deputy General Manager/Manager (Factories) in Junior Admin. Grade in the scale of pay of Rs. 3700—5000/-.
- (c) Deputy General Manager/Manager with 5 years regular service rendered in the grade are eligible for promotion to the Non-Functional Selection Grade of Deputy General Manager/Manager (Selection Grade), Telecom Factory in the scale of Rs. 4500—5700/-.
- (d) Dy. General Manager/Manager with 8 years regular service in Junior Administrative Grade (including service, if any, in the Non-functional Selection Grade) or 17 years of regular service in Group 'A' Post, out of which at least 4 years regular service should be in the JAG Grade (including service, if any, in the Non-functional selection Grade) are eligible for promotion to the Grade of Chief General Manager, Telecom Factory in the scale of Rs. 5900—6700/- (Senior Administrative Grade).
- (v) Nature of duties and responsibilities attached to the post:

Assistant Manager—Supervision and management of Telecom Factories of Department of Telecom in the areas of production of Telecom stores and to deal with service matters of industrial and non-industrial workers and staff including their appointments.

Senior Engineer—Head of a branch viz. production planning, Development, Maintenance, Tools etc. and to work as Appointing and Disciplinary Authority for various trades/cadres in Telecom Factories.

Deputy General Manager/Manager (Selection Grade) and Deputy General Manager/Manager—To assist the Chief General Manager in day-to-day work of general administration, production discipline, planning etc. Incharge of a Factory or production unit/Wing.

Chief General Manager—Head of the Telecom Factory, Responsible for overall control of general administration, production, planning, discipline, etc. in the Factory.

18. SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE

1. Appointments will be made on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and

communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

On completion of the period of probation or any extension thereof, as the case may be, if the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, for reasons to be recorded in writing, may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

2. Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India and abroad.

3. Officers appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time.

4. Any person appointed on the result of competitive examination shall if so required be liable to serve in any defence services or posts connected with defence of India for a period not less than 4 years including the period spent on training, if any; provided that such persons shall not be required :—

- (i) to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of appointment;
- (ii) ordinarily to serve as aforesaid after attaining the age of 40 years.

5. The following are the scales of pay admissible :—

Junior Scale	Rs. 2200-75-2800-EP-100-4000
Senior Scale	Rs. 3000-100-3500-125-4500
Junior Administrative Grade	Rs. 3700-125-4700-150-5000
Selection Grade	Rs. 4500-150-5700
(Junior Administrative Grade)	
Senior Administrative Grade	Rs. 5900-200-6700
Surveyor General of India	Rs. 7300-100-7600

6. Nature of duties and responsibilities attached to the various posts.

Deputy Superintending Surveyor—Required to carry out Survey work in the fields of geodesy, photogrammetry, cartography and digital mapping as an individual worker, as well as Section Officer/Camp Officer to supervise Sections/Camps. He will also assist Officer-in-Charge (Superintending Surveyor) in—both technical & administrative work of the unit.

Superintending Surveyor—Responsible for the organisation and discipline of the Party, custody, maintenance and accurate accounting of stores, economical expenditure of funds at his disposal, proper training of all his Officers and men in their duties and in the method of Survey best suited to the work, execution and supervision of all technical work—field verification, fair mapping, photogrammetry and digital mapping etc.

Deputy Director—Assist the functional Director in smooth and efficient functioning of the Directorate, responsible for scrutinising, completion and monitoring of all technical, administrative and financial reports and returns, for arranging trade, tests, circle DPCs, presiding over procurement boards, finalising of tender and contract and all other matter delegated by the Director.

Director/Deputy Director Selection Grade—Responsible for all surveys and mapping, appointing and disciplinary authority for all Group 'C' staff, technical coordination, guidance, supervision and monitoring of Surveying & Mapping operations including advice to State Govt., Central project Authorities etc. etc., financial management, budgeting, monitoring and control of entire expenditure of the Directorate.

Additional Surveyor General—Complete overall responsibility for the efficient performance of the Circles under his charge in respect of technical, scientific, administration, finance and accounts, finalising the field and fair mapping programmes and printing work for all circles under his charge, monitoring progress of technical work according to the prescribed norms and ensure requisite standard of accuracy at every stage, responsible for development/adoption of new technical methods of work, advice to State Governments on all surveying matters falling in his Zone.

